वर्ष- १२ अंक-२,३,४,५,६
एवं वर्ष-१३ अंक १
मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर १८ एवं जनवरी १९

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

A Peer-reviewed And Refereed Journal

ISSN 0973-9777
GISI Impact Factor 3.5628
वर्ष-१२ अंक -२,३,४,५,६ एवं वर्ष-१३ अंक-१
मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर २०१८
एवं जनवरी २०१९

एम.पी.ए.एस.वी.ओ.
द्वारा आन्वीक्षिकी सदस्य
सहसंयोजन से प्रकाशित

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

प्रधान सम्पादिका

डॉ. मनीषा शुक्ला,maneeshashukla76@rediffmail.com

पुनर्निरीक्षक संपादक

प्रो. विभा रानी दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ.प्र.,भारत

डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,उ.प्र.,भारत

प्रो. उमेश चंद्र दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, उ. प्र.,भारत

सम्पादक

डॉ. महेन्द्र शुक्ल, डॉ. अंशुमाला मिश्रा

सम्पादक मण्डल

डॉ. मंजु वर्मा, डॉ. अमित जोशी, डॉ. अर्चना तिवारी, डॉ. सीमा रानी, डॉ. सुमन दुबे, डॉ. सच्चिदानंद द्विवेदी, डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री, पाल सिंह, डॉ. पौलमी चटर्जी, डॉ. राम अग्रवाल, डॉ. शीला यादव, डॉ. प्रतीक श्रीवास्तव, जय प्रकाश मल्ल, डॉ. त्रिलोकीनाथ मिश्र, प्रो. अंजली श्रीवास्तव, विजय कुमार प्रभात, डॉ. जे.पी. तिवारी, डॉ. योगेश मिश्रा, डॉ. पूनम सिंह, डॉ. रीता मौर्या, डॉ. सौरभ गुप्ता, डॉ. श्रुति विग, दीप्ति सजवान, डॉ. निशा यादव, डॉ. रमा पद्मजा वेदुला, डॉ. कल्पना बाजपेयी, डॉ. ममता अग्रवाल, डॉ. दीप्ति सिंह, डॉ. आभा सिंह, डॉ. अरुण कान्त गौतम, डॉ. राम कुमार

अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल

पी.त्रिराची सोडामा (श्रीलंका), फ्रा च्युतिदेश सैन्सोम्बट (बैंकाक,थाईलैंड), डॉ. सीताराम बहादुर थापा (नेपाल), माजिद करीमजादेह (ईराक), मोहम्मद जारेई (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद मोजटाबा केयाहफरजानेह (जाहेडान, ईरान), डॉ. हासैन जेनाबदी (सिस्तान एवं बलूचिस्तान, ईरान), मोहम्मद जावेद केयाह फरजानेह (जाबोल, ईरान)

प्रबन्धक

महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

पाठकों से

आन्वीक्षिकी,भारतीय शोध पत्रिका प्रत्येक दो माह (जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर) पर एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण वाराणसी उ.प्र. भारत द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक वर्ष में आन्वीक्षिकी, भारतीय शोध पत्रिका 6 भाग हिन्दी एवं 6 भाग अंग्रेजी एवं 3 अतिरिक्तांकों के भाग में प्रकाशित की जाती है। डॉक खर्च दर के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

वार्षिक पाठक मूल्य दर

संस्थागत एवं व्यक्तिगत : भारतीय 5000+1000/-डाक शुल्क, एक प्रति 1300+100/- डाक शुल्क, वैदेशिक : 6000+डाक खर्च, एक प्रति 1000+डाक शुल्क

विज्ञापन एवं निवेदन

विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सम्पादिका के पते पर संपर्क करें। आन्वीक्षिकी एक स्ववित्तपोषित पत्रिका है,अत: किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा। कृपया अपनी सहयोग राशि चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर ही प्रेषित करें-

बी.32/16 ए. 2/1,गोपालकुंज,नरिया,लंका वाराणसी उ.प्र. भारत,पिन कोड 221005 मोबाइल नं. 09935784387, टेलीफोन नं. 0542-2310539.,E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com,www.anvikshikijournal.com

मिलने का समय : 3-5 दिन में(रविवार अवकाश)

पत्रिका संयोजन : महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

प्रकाशन :एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण

प्रकाशन तिथि : 20 जनवरी 2019

मनीषा प्रकाशन

(पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008 बी.32/16 ए. 2/1,गोपालकुंज,नरिया, लंका वाराणसी उ.प्र. भारत)

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

वर्ष-१२ अंक-२,३,४,५,६ मार्च,मई,जुलाई,सितम्बर,नवम्बर २०१८

एवं वर्ष-१३ अंक-१ जनवरी २०१९

शोध प्रपत्र

ऋग्वेद-कालीन संस्कृति -डॉ0 अंशुमाला मिश्रा 1-3

प्रेम के शायर श्री पुणेन्दु सिंह -डॉ0 विभा मेहरोत्रा 4-7

ब्रजभूमि और कृष्ण भक्ति : एक दूसरे के पर्याय -डॉ0 विजयलक्ष्मी 8-9

ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी प्रमाण -डॉ0 पुष्पांजलि 10-14

भारत की विकास यात्रा और चीन (एनएसजी से एमटीसीआर तक) -डॉ0 गीता यादव 15-19

महाकाव्यकालीन सैन्य रणनीतिक संस्कृति -अर्चना सिंह 20-23

घाघरा-गंडक दोआब में लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद -डॉ0 उषा सिंह 24-31

डॉ0 एनी बेसेन्ट का भारत को सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान : एक समीक्षा -डॉ0 स्मृति भटनागर 32-34

अग्निपुराण में नृत्य-तत्त्व -श्रीमती यास्मीन सिंह 35-39

कैसे बचेंगी बेटियाँ -डॉ0 गीता यादव 40-44

बच्चों के मानसिक विकास पर टेलीविज़ल का प्रभाव -कुमारी स्वर्णरेखा 45-49

विभिन्न पर्यावरण प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक -बृजेन्द्र कुमार शुक्ला 50-54

आजादी के 68 साल बाद भारतीय राजनीति और लोकतंत्र -कपिलकान्त श्रीवास्तव 55-60

महिला उत्थान महत्व का विषय -बृजेन्द्र कुमार शुक्ला 61-67

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण -प्रो0 अंजली श्रीवास्तव 68-70

पॉलीथीन प्रदूषण, अम्लीय वर्षा एवं जल प्रदूषण धरती के लिए -कपिलकान्त श्रीवास्तव 71-74

योग : स्वास्थ्य और कल्याण का सही मार्ग -अर्चना देवी एवं डॉ0 प्रियदर्शिनी तिवारी 75-78

प्रिंट ISSN 0973-9777, वेबसाइट ISSN 0973-9777

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,1-3**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 16 अप्रैल 2018

ऋग्वेद-कालीन संस्कृति

डॉ0 अंशुमाला मिश्रा*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *ऋग्वेद-कालीन संस्कृति* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *अंशुमाला मिश्रा* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

ऋग्वेद प्राचीनतम् भारतीय संस्कृति का द्योतक आकर ग्रंथ है। इसमें भारतीय संस्कृति के सभी तत्त्व धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक सम्मिलित हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से इन सभी बातों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसमें विभिन्न विरोधी गुणों का समन्वय है। इसमें एक ओर धर्म है, तो दूसरी ओर राजनीति; एक ओर अर्थ है तो दूसरी ओर मोक्ष; एक ओर समाज सर्वस्व है तो दूसरी ओर व्यक्ति; एक ओर समृद्धि अभीष्ट है तो दूसरी ओर त्याग; एक ओर समस्यायें हैं तो दूसरी ओर समाधान; एक ओर राजतंत्र है तो दूसरी ओर जनतंत्र।

धार्मिक अवस्था

ऋग्वेदकालीन धर्म यज्ञ-प्रधान है। इसमें विविध देवों- द्युस्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय और पृथिवीस्थानीय-की स्तुति एवं उपासना वर्णित है। यज्ञों में इन देवों का आह्वान किया जाता था। यज्ञ देवों को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन था। यज्ञ में घी-सामग्री, अन्न-जल, सोम-क्षीर, समिधा डाली जाती थी। यज्ञों में पशु-मांस सर्वथा वर्जित था। यज्ञों से प्रसन्न होकर देवगण यजमान की सभी कामनाओं की पूर्ति करते थे। ऋग्वेद में प्रतिमा एवं मूर्तिपूजा का सर्वथा अभाव है। सोमरस देवों का अतिप्रिय पेय था। यह गिलोय के ढंग की एक लता थी, जिसको कूट कर इसका रस निकाला जाता था। इसका रस बल और बुद्धि-बर्द्धक था। उपास्य देवों में प्रमुख देव थे- अग्नि, इन्द्र, वरूण, मरूत्, सोम और अश्विनौ। ऋग्वेद -काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य देवों में नहीं थे। ऋग्वेद का काल धर्म-प्रधान था। उस समय का मनन, चिन्तन और दर्शन सब कुछ धर्म-बिन्दु पर केन्द्रित था। यहाँ तक कि काव्य-रचना आदि भी धर्म पर ही आश्रित थी। ऋग्वेद--काल में आचार-विचार-शुद्धि, संयम-सत्य, आत्म-चिंतन आदि पर बहुत बल था।

* वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

सामाजिक अवस्था

समाज में दो वर्ग थे- आर्य और दस्यु। आर्य आस्तिक, धार्मिक एवं सदाचारनिष्ठ थे। दस्यु या दास-नास्तिक, धर्म ध्वंसक और चारित्रिक दशा में न्यून थे। शिल्प-कार्य में दस्यु प्रवीण थे। तत्पश्चात् वर्ण-व्यवस्था प्रारम्भ हुई और समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार भागों में बाँटा गया। अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन आदि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था। राष्ट्र-रक्षा, राष्ट्र-संचालन, न्याय और दण्ड की व्यवस्था क्षत्रियों का मुख्य कार्य था। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वैश्यों का कार्य था। समाज परिवारों में विभक्त था। परिवार पितृ-प्रधान थे। विवाह आदि संस्कारों का प्रादुर्भाव हो चुका था। एक पत्नीत्व प्रथा का प्रचलन था। समाज में नारी का गौरवपूर्ण स्थान था। पुरूषों के तुल्य स्त्रियों में भी उच्च-शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध था। यहाँ तक कि ऋग्वेद में २१ मंत्र द्रष्टा ऋषिकाएँ हैं। स्वयंवर-विवाह का भी प्रचलन था। शिक्षा, के लिए समान रूप से सुविधा थी। उसमें कोई भेद-भाव नहीं था। स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी वेदों और मंत्रों का समान अधिकार था। पिता की सम्पत्ति का अधिकार पुत्र और पुत्री दोनों को था।

वस्त्रों में अधोवस्त्र और उत्तरीय (चादर) प्रमुख थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र थे। वस्त्रों पर सोने के तारों का काम भी होता था। स्त्री और पुरूष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषणों में कानों में कर्ण शोभन, गले में निष्क, हाथों में कड़े, पैरों में खडुवे, छाती पर सुनहरे पदक (रूक्म) पहना जाता था। अन्न-पान में दूध, दही, घी, सोम, अपूप, यवागू आदि प्रचलित थे। गाय को अघन्या (अबध्य) कहा गया है। गोहत्या निषिद्ध थी। भोज्य के रूप में पशु मांस और गोमांस का सर्वथा निषेध था। सुरा को बुद्धिनाशक, क्रोध का कारण, पतन का साधन और हेय बताया गया है।

आर्थिक अवस्था

आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन थे। पशुओं में गाय का स्थान सर्वोत्तम था। इसे अघ्न्या, अदिति और माता आदि कहा गया है। बैलों से कृषि होती थी। खाद का भी प्रयोग होता था। नहर, नदी, जलाशय, कुँओं आदि से सिंचाई होती थी, अनाजों में गेहूँ, जौ, धान, चना, माष (उड़द) और तिल प्रमुख थे। कृषि के अतिरिक्त कई पेशे एवं उद्योग-धन्धे प्रचलित थे। जैसे- बढ़ई (तक्षन्), सुनार (हिरण्यकार), लोहार (शिल्पकार), मोची (चर्मकार), जुलाहा (वासोवाय) आदि।

व्यापारी के लिए वणिक् शब्द था। क्रय-विक्रय में वस्तु-विनिमय का प्रचलन था। गाय मूल्य की इकाई मानी जाती थी। सिक्कों में निष्क मुख्य था। समुद्री व्यापार भी प्रचलित था। उसके लिए सौ डाँडों (पतवारों) वाले जहाज का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त धन का उल्लेख मिलता है, जिसका अभिप्राय मोती आदि या समुद्री-व्यापार से होने वाला लाभ है।

सूद पर ऋण देने की प्रथा थी। ८वें या १६वें भाग सूद के रूप में लिया जाता था।

राजनीति अवस्था

समाज राजनीतिक दृष्टि से ५ भागों में बँटा हुआ था- १. गृह या कुल, २. ग्राम, ३. विश (ग्राम से बड़ी इकाई, मण्डल या जिला), ४. जन (विश से बड़ी इकाई, जनपद या कमिश्नरी), ५. राष्ट्र (प्रदेश)।

इनके स्वामियों को क्रमशः गृहपति, ग्रामणी, विशांपति या विशपति, जनपति और राजा कहते थे। राजा का कार्य राष्ट्र की रक्षा, शत्रुओं का नाश तथा राष्ट्र की श्रीवृद्धि था। दो प्रकार की शासन-पद्धितियाँ प्रचलित थीं- राजतंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा वंश-परम्परागत होता था और प्रजातंत्र में राजा का चुनाव होता था।

दोनों का राज्याभिषेक होता था। राजा के निर्वाचन में भाग लेने वालों को *राजकृतः कहा* जाता था। इनमें ५ प्रकार के व्यक्ति थे- १. राजान (अधीनस्थ राजा या राज परिवार के व्यक्ति), २. सूत, ३. ग्रामीण, ४. रथकार, ५. कर्मकार।

राज्य संचालन के लिए सभा और समिति दो संस्थाएँ थी। सभा छोटी और समिति बड़ी संस्थाएँ थीं। समिति को अधिकार था कि वह राजा को गद्दी से उतार सके और नए राजा को चुनकर गद्दी पर बैठावे।

दार्शनिक अवस्था

ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें देवों का स्वरूप, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि की उत्पत्ति, पाप-पुण्य, लोक-परलोक, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि का वर्णन है। प्राकृतिक तत्त्व सूर्य, चन्द्र, वायु, मेघ, विद्युत, आदि का इन्द्र, वरूण, रूद्र, मरूत् आदि नामों से वर्णन किया गया है। कुछ अमूर्त भावों को भी देवता का रूप दिया गया है, जैसे- काम, श्रद्धा, मनु, आदि। ईश्वर को एक सर्वोत्तम सत्ता माना गया है और इन्द्र, मित्र, वरूण, आदि उसी के विविध नाम बताए गये हैं। प्रत्येक देव के कुछ सामान्य गुण एवं विशेषण हैं तथा उनके कुछ विभेदक गुण भी है। सामान्य गुणों के आधार पर *एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः* (ऋग्वेद १-१६४-४६)। में एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन है। पुरूष सूक्त (ऋ० १०-९०) में विराट् पुरूष से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। नासदीय सूक्त (ऋ० १०-१२९) में भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। हिरण्यगर्भ सूक्त (ऋ० १०-१२१) में हिरण्यगर्भ प्रजापति से सृष्टि -रचना का वर्णन है। ऋग्वेद (१०-८२-३से७) में जल से भी जगत् की उत्पत्ति वर्णित है। ऋग्वेद (१०-७२-२,३) में ही असत् से सत् की उत्पत्ति भी बतायी है, *(देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सद् जायत-* मंत्र २)। ऋग्वेद (१०-५९-६,७) में पुनर्जन्म का प्रतिपादन है। जीव अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।

संदर्भ ग्रंथ

ऋग्वेद, १/१६४-४६
वही, १०/१२९
वही, १०/९०
वही, १०/१२१
ऋग्वेद, १०/८२/३-७
ऋग्वेद, १०/५९/६-७

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,4-7**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 16 अप्रैल 2018

प्रेम के शायर श्री पुणेन्दु सिंह

डॉ० विभा मेहरोत्रा*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *प्रेम के शायर श्री पुणेन्दु सिंह* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *विभा मेहरोत्रा* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

ग़ज़ल सार्थक शब्दों में लेखक एवं पाठकों की ऐसी विमर्शात्मक वार्तालाप है जो सहजता का दामन थामते हुए व्यक्ति की आत्मा का स्पर्श करती है, यह एक ऐसी विद्या है जो भावना के उत्थान एवं पतन के माध्यम से कवि की मानसिकता को प्रभावित करती है। ग़ज़ल– ग़ज़लकार के अनुभवों से जन्म लेती है, उसकी संवेदना से संस्कारित होता है भावों की सार्थकता ही उसकी शक्ति होती है। वर्तमान साहित्य में ग़ज़ल व अन्य विद्याओं की ड्योढ़ी में अपना कीर्ति का ध्वजारोहण करती हुई कह उठती है।

''ग़ज़ल कोठे से उतरकर आ गई फुटपाथ में,/ पाँव में घुँघरू नहीं पत्थर लिये हैं हाथ में/ कोई साजिंदा नहीं सागर नहीं साकी नहीं/ चंद दीवानें लिए फिरती है अपने साथ में।''[१]

ग़ज़ल वह गेयात्मक काव्य विद्या है, जिसमें प्रेम की विभिन्न दशाओं के शब्द चित्र शेरों के माध्यम से प्रस्तुत कर प्रेम की क्रीड़ा–पीड़ा एवं कोमल अनुभूतियों के स्वर हों अथवा सामाजिक, राजनीतिक एवं हास्य–व्यंगात्मक भाव भूमि पर आम आदमी के मानस में दबी पीड़ा व छटपटाहट को वाणी दी गई हो और विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक होते हुए भी संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता के गुणों से युक्त हों।[२]

ग़ज़लकार श्री पुणेन्दु सिंह ग़ज़ल लेखन के सशक्त हस्ताक्षर हैं। यद्यपि आज की ग़ज़ल जीवन के प्रत्येक क्षण की साक्षी है, परन्तु उसका मूल स्वर प्रेम है। श्री सिंह चिन्तन की आंच में अनुभवों को तपाते और खुली दृष्टि से जगत की हलचलों को आँकते, अशआर में बयान करते समय नब्ज़ को टटोलते हैं–''रचनाकार की सुन्दर उपलब्धि उसकी अपनी पहचान होती है; जिसमें सामाजिक–सांस्कृतिक चेतना का दर्शन रचनाकार के विशुद्ध अन्त:करण से संदर्भित होता है तथा रचना की मूल्यवत्ता अपने सत्यान्वेषण की खोज में जन–केन्द्रित होती है। काव्य–सृजन का वैशिष्ट्य भी इसी अस्मिता की खोज में जन–हित में अपनी मूल्यवत्ता प्रतिस्थापित करता है।'' जीवन के विविधिवर्णो उतार–चढ़ावों के सक्षमता से प्रेषणीय बनाती श्री सिंह की ग़ज़ल आन्तरिक पीड़ा की मर्मस्पर्शी अभिव्यंजित करती है :

* एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डी0बी0एस0पी0जी0 महाविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

खुशबू की ग़ज़ल कहना, संदल की ग़ज़ल कहना/ भीगे हुए शबनम से गुलेतर की ग़ज़ल कहना। तन्हा कभी रो लेना भी, देता सुकूँ दिल को,/ पलकों पे छलक आए, गौहर की ग़ज़ल कहना।[३]

सारी कोशिशों के बावजूद ग़ज़ल कहना आसान बात नहीं। यह आगे के दरिया के पार गुजरना है, वह भी पूरे होशो हवाश के साथ। तलवार की धार पर दौड़ने जैसा सख्त जान काम है यह– ''इंसानी उसूलों की हर सिम्त जलावतनी,/ नेजे की ग़ज़ल कहना, खंजर की ग़ज़ल कहना।''[४]

प्रेम की निजी अनुभूति अभिव्यक्ति को गहराई तक प्रभावित करती है। यह प्रेम की आँच धीरे–धीरे अनुभवों से गुज़र कर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देने की बारीक पकड़ ग़ज़ल को देती है :

साँस की खुशबू में भींगी वह तबस्सुम की अदा,/ बिना मकसद के भी हँसना और हँसाना आपका। सबसे ज्यादा ग़म तेरे वादों ने मुझको दिया,/ मुझसे खुद अपनी ख़ता पर रूठ जाना आपका।।[५]

दर्द झेलते–झेलते फ़ासले मिट जाते हैं। दर्द में डूबे रहते हुए एक ऐसा समय आता है जब प्रिय आँखों में बस जाता है :

दर्द की शबनमी परछाईओं में खोजो तो,/ ख्वाब तेरे ही हैं, तमाम मेरी आँखों में। छुप–छुप के देखा है तुम्हें और ख्वाब में देखा,/ लग गए रहने, सरे आम, मेरी आँखो में।[६]

महबूब का मुकाम इतना ऊँचा है कि वह उसके लिए जन्नत और सल्तनत को ठोकर मार सकता है। तमाम जल्वे आँखों में गुमनाम हैं, दिल की ख्वाहिश वह जाहिर नहीं करना चाहता, फिर भी बिना कहे उसकी आँखों ने राज जाहिर कर दिया है– ''रोज खिलाती है सुबह शाम मेरी आँखों में। पढ़ लिए लोग, तेरा नाम मेरी आँखों में।''[७]

शायर जानता है कि महबूब की रंगत और इश्क की खुशबू से बढ़कर जीने का सरंजाम कोई दूसरा नहीं है। उसकी दास्ताँ अधूरी रह गयी तो दुनियाँ उसे भूल जायेगी और रिश्ता अनाम रह जायेगा। उसे यह बात सालती है– ''मुहब्बत क्यों कसकती है जमाने की निगाहों में,/ यहाँ इससे बड़ा कोई गुनाहे आम क्या होगा?''[८]

अगर प्रेम का गहरा है तो दिल में दिलवर का दीदार हो जाता है, किन्तु लोग मिलने का बहाना तलाशा करते हैं– ''मंदिर जाकर देवी–देवों के दर्शन,/ सिर्फ मिलन का बहाना होता है।''[९]

बिहारी की रसिकता जग जाहिर है। प्रिय ने पत्र भेजा पर लिखा कुछ नहीं। जब वह पत्र पहुँचा तो पढ़ने वाले ने देखा कि पत्र में काज़ल से सना जल गिरकर सूख गया है, कोना जला हुआ है (किन्तु पत्र में लिखा कुछ नहीं है। बिना कुछ लिखे ही प्रियतम ने सारा हाल जांचकर जान लिया। सिर्फ खाली लकीरें भी खुशी का इबारत हो सकती है (यह बात सच्चा प्रेमी हृदय ही समझ सकता है– ''खुशी तेरे ख़त की इबारत में उलझी/ तेरे ख़त में सिर्फ खाली लकीरें।''[१०]

वे बिरले होंगे जो नित नया नाम लिखकर मिटाया करते हैं। यहाँ दिल पर एक नाम लिखा और अमिट हो गया :

दिलपर जो नाम लिख गया फिर कैसे मिटेगा,/ दिल, दिल है, किसी बस्ती की दीवार नहीं है,/ आगाजे इश्क है नहीं अंजाम की मुरीद,/ इसको किसी अंजाम की दरकार नही है।[११]

इश्क की पीड़ा और जलन की अनुभूति होगी ही। दिल जलता तो है, पह जलने का यह अंदाज निराला है– ''ऐसा जलना भी दिलका किस तरह का जलना है,/ जल रहा इस तरह कि बुझा–सा लगे है''[१२]

प्रेम रूह का रिश्ता है, जो पत्थर की लकीर सा है जन्नत को छोड़कर यह कहाँ शर्मसार नहीं हो सकता। यह किसी नियामत का तलबगार नहीं है। ग़ज़ल की बारीक् पकड़ अभिव्यंजना को अर्थ–गांभीर्य देती है :

लोग बेताब है, दीवानें हैं इनकी खातिर,/ खासियत कुछ तो उनके हुश्त ए से हर में होगी। सक्रिया और नहीं, बस मुझे घर जाना है,/ बहुत तन्हा मेरी तन्हाई वहाँ मेरे घर में होगी।[१३]

हांलाकि यादें शायर को तन्हा नहीं रहने देतीं – ''छोड़ती मुझको नहीं तन्हा कभी भी ये कहीं,/ ज़िन्दगी पर रही आती निगहबानी यादों की।''[१४]

ज़िन्दगी को तमाम मुश्किलात और मजबूरियों से दो–चार होना पड़ता है। कई बार नज़रों से उतरने की तकलीफ् देह अनुभूति होती है :

तिनकों के निशेमन से हवाओं की ना खुशी,/ लम्हा लगा नहीं कि निशेमन बिख़र गया। शर्मिन्दा हूँ खुद जिन्दगी भी शर्म सार है,/ इक हादसा था, हद से मैं अपनी गुजर गया।[१५]

यादों को महबूब का शहर अब भी अच्छा लगता है कभी–कभी आइने से रूबरू होना सिहरन पैदा करता है। खुद से साक्षात् करना भी दर्दनाक हो सकता है– ''मुद्दत के बाद आइने से रूबरू हुआ,/ अपनी ही शक्ल देखकर खुद से सिहर गया।''[१६] बेवफा के पास वफा तलाशना जीने का मुद्दा तलाशना है। मर्ज का अंजाम जानते हुए भी दवा तलाशना जुर्रत रही है। अहसास की बारीक् बयानी और पकड़ देखिए– ''खुशबू तुम्हारे ज़िस्म की लेकर कहाँ गयी,/ मैं दौरे खिजाँ, वह हवा तलाशता रहा।''[१७]

ज़िन्दगी की तमाम जद्दोजहद में शामिल होकर भी हंगामों से बेखबर वह सोया सा रहता है और दर्द में ऐसी लज्जत आ गयी है कि किसी के दर्द में मोया सा रहता है। हर दर्द स्वयं का दर्द बनकर मिंद जाता है। यह अहसास उसे पावनता की अनुभूति कराता है– ''एक उल्फत के सिवा मैने ग़लत कुछ न किया,/ पाक गंगा जल से मैं धोया हुआ सा रहता हूँ।''[१८]

यदि समझदार लोग मोहब्बत से ज़िन्दगी को बरबाद करना चाहते हैं और इसके अंजाम को जानते हुए यह खतरा उठाया गया है जो किससे शिकवा किया जाए? तक़दीर की दिल्लगी का क्या किया जाए :

मैं नहीं शंकर कि कर विषपान भी जिन्दा रहूँ,/ जान पर आयी हुयी है इन लबों की तिश्नगी। रोशनी की बस्तियों से दूर ले आयी मुझे,/ कहाँ लेकर जाएगी, देकर भुलावा तीरगी।''[१९]

शायर को इस तीरगी से गुरेज नहीं। अपनी बर्बादी की शर्त मंजूर है, परन्तु सच का दामन छोड़ने को वह तैयार नहीं हुआ। उसका इकबालिया बयान ही उसकी सजा का कारण है – ''सच का दामन छोड़ने को मैं नहीं राजी हुआ,/ दिला दी मुझको सजा मेरे बयानों ने।''[२०]

दर्द मीनारों से ऊँचा था। प्यास अबुझ है पर सुकून है कि सिर्फ शायर ही ग़मज़दा नहीं। मन है कि परिणाम को जानता हुआ भी 'विपुल–वेदना' के 'प्याले–पर–प्याले' मांग रहा है जो नहीं मिले उन्ही की जुस्तजू है– ''जुस्तजू अब भी मुझे है उनकी,/ बहुत चाहा जिन्हें, मिले ही नहीं।''[२१]

इस कठोरता के बावजूद उस खुदा जैसे प्रिय पर परस्तिम जारी है, यही दवा भी है, ''दिल धड़कता है, थरथराती हैं साँसे,/ इस वजूद को कुछ हुआ सा लगता है। हयात पा जाती हैं, तमामा राहतें,/ मर्जे दिल की सही दवा–सा लगता है।''[२२]

बिहारी ने 'बिहारी सतसई' में कहा है – ''उड़ी जात कित हूँ गुडी, तऊ उड़ायक हाथ।'' पतंग कहीं भी उड़े, उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है। महबूब कहीं भी जाए आखिर उसे लौटना है– ''दिल–सा घर आप कहाँ पाएँगे,/ लौट आयेंगे, कहाँ जाएँगे। अपनी बेचैनियों के आलम में,/ तुम्हें अपनी ग़ज़ल में गायेंगे।''[२३]

ग़ज़ल क्या है, दर्द को गाने का माध्यम ही न। मोहब्बत का नूर ज़िन्दगी को पाक बना देता है। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा, ''जिहि घर प्रीति न संचरै, सो घर जान मसान।'' जिस हृदय में प्रेम नहीं वह शमशान की भाँति अमंगलकारी है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं (जो जिन्दगी से बढ़ कर हैं तभी तो दीवानगी का यह हाल है–''वो तो हमको खुदा से लगते हैं/ हम भी दीवाने हुए जाते हैं। आशिकी दिल में जब से जागी है,/ ख्वाब परियों के मुझे आते हैं।''[२४]

अपनी बेचैनी और बेहिसाब दर्द को वह सँभाले हुए हैं– ''मन के इस भूखे गुलाब को,/ दिल की इस जर्जर किताब को,/ रक्खा है मैने संभालकर/ तार–तार हो गए ख्वाब को।''[२५]

इस दर्द से गुजरने वाला ही जानता है कि दर्द के एहसास को क्यों संभालकर रखना चाहता है जबकि इस दर्द और बिखराव को सहना आसान नहीं, ''इक आइने जैसा बिखर जाओगे तुम,/ टूट कर खुद बहुत पछताओगे तुम। जब करोगे इश्क तुम मुझ जैसा ही,/ यह दर्दे–दिल मेरा समझ पाओगे तुम।''[२६]

''जौहर की गति जौहर जाने, की जिन जौहर होय। यह पीर उन्हें अक्खड़ कबीर की धुन और मीरा की पीड़ा है से जोड़ती है– जो घर जालै आपना सो चलै हमारे साथ।'' शायर इस दर्द के लिए जन्नत भी न्यौछावर कर सकता है। यह इश्क अपनी पाकीजगी के बाद भी अशगीरी नही :

तेरे गेसू महकते हैं, तेरी साँसे महकती हैं,/ तेरे होंठ को छू करके, तेरी बातें महकती हैं। निगाहों और साँसों से हुआ, आगोश में तुमको,/ मिली जो हैं इस दिल को, वो सौंगातें महकती हैं।[२७]

सुनिश्चित रूप से भी श्री पुणेन्दु सिंह रोमानी शायर हैं। उनकी ग़ज़लों के मध्य से उसका दर्द, पीड़ा और आनन्द छलक–छलक पड़ते हैं। उनकी रचनाओं का प्रेरणाश्रोत यही दर्द है, जो लगातार उनकी लेखनी में नये रंग भरता है, यह उन्हें समाज से तोड़ता नहीं, सक्रियता से जोड़ता है।

निष्कर्षत

इनकी समग्र सम्प्रेषणीयता ग़ज़ल विद्या का आवश्यक तत्व रहा है। साधारणीकरण का गुण इनके लेखन का प्रमुख गुण है जो पाठक को कवि से जोड़कर आनन्दानुभूति कराने की धुरी बनकर उभरा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[१]*दि गुंजन – अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका,* अंक–६, पृष्ठ संख्या ३८
[२]*हिन्दी : ग़ज़ल उद्‌भव और विकास* –डॉ० रोहिताश्व अस्थाना, पृष्ठ संख्या २२
[३]*ग़ज़ल की खुशबू : मेरी दृष्टि में निखत बेगम,* पृष्ठ संख्या ८
[४]*ग़ज़ल की खुशबू* –पी०के० सिंह, पृष्ठ संख्या १
[५]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १
[६]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या २
[७]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ४
[८]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ४
[९]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ५
[१०]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ४
[११]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १३
[१२]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ३८
[१३]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १२६
[१४]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १३७
[१५]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १३६
[१६]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १२०
[१७]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १२०
[१८]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १७८
[१९]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ११५
[२०]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १०७
[२१]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या १०४
[२२]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ९४
[२३]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ८२
[२४]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ८०
[२५]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ६६
[२६]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ६६
[२७]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ५१
[२८]*ग़ज़ल की खुशबू,* पृष्ठ संख्या ११

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008 भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,8-9**
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777 प्रकाशनार्थ स्वीकृत 16 अप्रैल 2018

ब्रजभूमि और कृष्ण भक्ति : एक दूसरे के पर्याय

डॉ० विजयलक्ष्मी*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *ब्रजभूमि और कृष्ण भक्ति : एक दूसरे के पर्याय* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *विजयलक्ष्मी* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

ब्रज शब्द १४वीं और १५वीं की कृष्ण भक्ति की व्यापक लहर में जन–जन के मानस में पवित्रता के साथ स्थान प्राप्त करता है। भक्ति आन्दोलन के ही दौरान ब्रज संस्कृति और ब्रज शब्द प्रसिद्धि के चरम पर पहुँच गया। ब्रज का वातावरण सूर, मीरा और रसखान के भजन से आज भी गूँजता रहता है। ब्रजभूमि और कृष्ण भक्ति एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये। कृष्ण भक्ति की मधुर पीड़ा में मीरा ने अपना राजसी रहन–सहन त्याग दिया। सूरदास की रचनाएँ विश्व जगत् को चकित करती आ रही है कि ऐसी अद्भुत गहराई को छूने वाला, ब्रज ही नहीं ब्रज के बाहर भी जन–मानस को अभिभूत और चमत्कृत करने वाला कवि क्या वास्तव में दृष्टिहीन था या नहीं।

यमुना की देन यह ब्रज संस्कृति वस्तुत: एक क्षेत्रीय संस्कृति है परन्तु प्रारम्भ से ही अपनी विशिष्ट परम्पराओं के कारण क्षेत्रीय होते हुए भी देश की मार्गदर्शिका का बन गयी। श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाने वाला यह प्रदेश पूरे देश के लिए आकर्षक का केंद्र आज भी बना हुआ है। धार्मिक भजन, यहाँ की लट्ठमार होली, कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र पर्व इस संस्कृति के ऐसे अभिन्न अंग जो पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं।

उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में ब्रज शब्द का प्रयोग प्राय: पशुओं के समूह, उनके चारागाह या उनके बाड़े के अर्थ में हैं। कोशकारों ने ब्रज के तीन अर्थ बताये हैं –गायों का खिरक, मार्ग और वृंद। अत: कहा जा सकता है कि ब्रज संस्कृति की आत्मा कृष्ण भक्ति और कृष्ण की भक्ति में गाये गये भजन हैं जो पल–पल एक अद्भुत शान्ति और पवित्रता का एहसास कराते रहते हैं। कृष्ण भक्ति में कृष्ण हैं, गोपियाँ हैं, यमुना हैं, मधुवन है, बाँसुरी है। इन सब के साथ गाये हैं, बैल हैं और बछड़े हैं जिनके बिना ब्रज संस्कृति अधूरी है। ब्रज परम्परा में गायों का पालना और उनकी रक्षा तथा सेवा करना धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य अंग है। गोकुल, गोपाल, गोवर्धन आदि शब्द भी इसी ओर संकेत करते है। महाभारत के आदिपर्व में कहा गया है कि मथुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध थी। ब्रज संस्कृति में एक प्रसिद्ध कहावत

* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

है –''मथुरा की बेटी गोकुल की गाय। करम फूटै तौ अनत जाय।'' ब्रज की बेटियों और गोकुल की गायों को गोकुल के बाहर भेजने की परम्परा नहीं थी। यही पुत्री को 'दुहिता' कहा गया अर्थात् गाय दुहने और गाय की सेवा करने वाली। चूँकि गायों की सेवा ब्रज जैसी होना बाहर कठिन है इसलिए बेटियों को भी बाहर नहीं भेजा जाता था। 'ब्रजहि छोड़ बैकुण्ठ न जइहों', 'मानुस हों तो वही रसखान', बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन आदि ऐसे उदाहरण हैं जो ब्रजभूमि की पवित्रता और परम शान्ति, सुख के सामने मोक्ष और स्वर्ग को भी नकारते हैं। ब्रज क्षेत्र की यह मान्यता भी है कि ब्रजवासी मृत्यु के बाद स्वर्गवासी न हो कर ब्रजवासी ही रहता है।

संदर्भ ग्रंथ

सूर, मीरा एवं रसखान साहित्य
वैदिक साहित्य

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008 भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,10-14**
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777 प्रकाशनार्थ स्वीकृत 16 अप्रैल 2018

ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी प्रमाण

डॉ० पुष्पांजलि*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी प्रमाण* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *पुष्पांजलि* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

मानव प्राचीनकाल से ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। माध्यमिक काल में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चितंन का सहारा लिया गया है और आधुनिक दार्शनिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक आकार की युक्तियों की सहायता ली है। इन आमाणों को ईश्वर के अस्तित्व सबंधी प्रमाण कहा गया है। इन्हें परंपरागत युक्तियाँ (Traditional Argument) कहा गया जाता है। ये तीन प्रकार के हैं – (क) तात्विक युक्ति (Ontological Argu-ment), (ख) विश्व सम्बन्धी युक्ति (Cosmological Argument), (ग) प्रयोजनात्मक युक्ति (Teleological Argument)

इन युक्तियों के अतिरिक्त नैतिक युक्ति (moral argument) को भी ईश्वर प्रमाण का एक अंग माना जाता है। ईश्वर संबंधी युक्तियाँ वाद–विवाद का मुख्य विषय रही है जिसके फलस्वरूप दर्शन का साहित्य समृद्ध हुआ है।

(क) तात्विक युक्ति (Ontological Argument)

मध्ययुग में सर्वप्रथम एन्सेलम ने इस युक्ति के आधार पर ईश्वर में अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। एन्सेलम के अनुसार ईश्वर भावना सभी प्रत्ययों में सर्वोच्च है। वह जिसका अस्तित्व विचार और वास्तिविकता दोनों में हो, उस सत्ता की अपेक्षा उच्चतर है जिसका अस्तित्व सिर्फ विचार में हो। अत: ईश्वर सर्वोच्च होने के कारण विचार और वास्तविकता दोनों में है। इसलिए ईश्वर यथार्थ में परम सत्ता है। एन्सेलम की युक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, "Consideration de-monstrates the God to mean that which must be Thought as what is greatest, but to be in actuality as well as in thought, is greater than to be in thought alone, therefore, God exists not only in thought, but in fact."

* असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन विभाग, बिरसा कॉलेज, खुण्टी (झारखण्ड) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

आधुनिक युग में रेने देकार्त ने तात्विक युक्ति को दो भिन्न–भिन्न रूपों में अपनाया है :

(I) देकार्त ने तात्विक युक्ति (Ontological Argument) को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है– मेरी बुद्धि में पूर्ण (Perfect) तथा अनन्त (infinite) ईश्वर का विचार है। इस विचार का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हम एक अपूर्ण जीव है जो पूर्ण और अनंत ईश्वर के विचार का कारण नहीं हो सकते। अत: इस विचार का दूसरा कोई कारण नहीं वरन् ईश्वर स्वयं है जो पूर्ण एवं अनंत है। अत: ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध रूप से माना जा सकता है।

(II) देकार्त ने दूसरा तर्क दिया कि जिस प्रकार त्रिभुज के ज्ञान में ही यह ज्ञान निहित है कि उसके तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते है, उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णता में ही उसका अस्तित्व समाविष्ट है।

कुछ लोगों ने देकार्त की इस युक्ति को एसन्सेलम की युक्ति का नकल कहा है। परंतु सच पूछा जाय तो यह आपत्ति अनुचित कहा जा सकता है। एन्सेलम की युक्ति में ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार पर निर्भर करता है। परंतु देकार्त की युक्ति में ईश्वर का विचार के अस्तित्व पर निर्भर है। हममें ईश्वर की भावना इसलिए है कि वह वास्तविक सत्ता है।

एन्सेलम ने ईश्वर को पारिभाषित करते हुए कहा है, **ईश्वर वह है जिससे वृहत्तर सत्ता अकल्पनीय है।** "(God is that than which no greater can be conceived)" वहीं देकार्त इसके विपरीत ईश्वर को पारिभाषित करते हुए कहा है, **ईश्वर सर्वोपरि पूर्ण सत्ता है।** (God is Supremely perfect being)

(III) स्पीनोजा ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तात्विक युक्ति का सहारा लिया है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर का विचार एक अनंत द्रव्य का विचार है जो स्पष्ट (Clear) और (distinct) परिस्फुट है। 'अस्तित्व' अनन्तता के अनेक गुण में से एक है। चूँकि ईश्वर अनंत है, इसलिए इसमें अनन्तता के गुण 'अस्तित्व' का भी समावेश है।

(IV) लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक मोनड (Monad) में दो पक्ष होते है। वे है – वास्तविक (Actual) और सम्भावित (Possible) अर्थात् सक्रियता (Activity) और निष्क्रियता (Passiuity) जो मोनेड जितने उच्चतर होगें, उनमें उतनी ही अधिक सक्रियता तथा वास्तविकता होगी। इसके विपरीत जो मोनेड जितने निम्नतर होगें उनमें उसी मात्रा में निष्क्रियता होगी। चूँकि ईश्वर सोपानक्रम में सर्वोच्च मोनड है इसलिए इसके अदंर सभी निष्क्रियता और सम्भावना वास्तविक हो गई। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर पूर्णतया वास्तविक (Actus purus) है।

(V) हीगल ने भी तात्विक युक्ति का प्रतिपादन किया है। ईश्वरीय प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व निरूपित होता है। इसका कारण यह है कि ईश्वरीय प्रत्यय एक असाधारण एवं अनोखा प्रत्यय है। चूँकि हीगल के अनुसार यह अनूठा प्रत्यय है इसलिय ईश्वरीय विचार से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। जहाँ तक साधारण विषयों का सबंध है हम विचार द्वारा वास्तविकता को सिद्ध नहीं कर सकते, परंतु ईश्वरीय विचार की यह विशेषता है कि यहा विचार से वास्तविकता को सिद्ध किया जाता है। अत: ईश्वरीय प्रत्यय से ईश्वर की वास्तविकता सिद्ध होती है।

तात्विक युक्ति (Ontological argument) की आलोचना

तात्विक युक्ति के विरूद्ध गौनिलो तथा कांट द्वारा युक्ति का खण्डन किया गया है। ईश्वर की पूर्णता के विचार से केवल ईश्वर की पूर्णता के विचार से केवल ईश्वर के विचार की सत्ता प्रमाणित होती है। उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि कोई विचार करे कि उसके पास पाँच सौ रूपये है, तो केवल उस विचार मात्र से उसके पास पाँच सौ रूपये नहीं आ जाते। तात्विक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पूर्ण ही उसे स्वीकार कर लेती है। हमारे मन में ईश्वर का विचार उत्पन्न होता है और उस विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तात्विक युक्ति ईश्वर की एक ऐसी धारण बनाता हैं जिसमें उसकी सत्ता निहित हैं और तब उस धारण के विश्लेषण के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। अत: संपूर्ण प्रयास आत्माश्रय दोष (Petitio Principii) से ग्रसित हो जाता है क्योंकि हम अपने निष्कर्ष को आधार के रूप में मान लेते है। केवल परिभाषा के द्वारा ज्यामिति में यह सिद्ध नही किया जा सकता कि उसके तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते है। परिभाषायें अपने आप किसी निष्कर्ष को जन्म नहीं दे सकती। गणित केवल प्रतीकों का खेल है, जहाँ हम कुछ मान्यताओं (axioms) और तर्क के नियमों को लेकर खेल खेलते हैं। यहाँ सत्यता का प्रश्न नहीं उठता बल्कि संगति का प्रश्न उठता है। ज्यामिति के आधार पर वास्तविक अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास वस्तुत: दोषपूर्ण ही माना जाएगा।

तात्विक युक्ति की महत्ता

तात्विक युक्ति के द्वारा ईश्वर के विचार से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। विचार से ही किसी वस्तु के अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है। यदि विचार की प्राथमिकता को नहीं माना जाय तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व प्रमाणित करना संभव नहीं है। इस प्रकार तात्विक युक्ति एक बहुत बड़े सत्य को प्रतिष्ठित कर सकी है।

धार्मिक दृष्टिकोण से मानव मन का होना नितांत आवश्यक है। तात्विक युक्ति इस दोष से वंचित है। तात्विक युक्ति इस दोष से वंचित है। ईश्वर का अस्तित्व मानव विचार मात्र से सिद्ध होता है और इस प्रकार सीमीत आत्मायें, जिनका अस्तित्व धर्म के लिए आवश्यक है, सत्ता मानी जाती है।[२]

(ख) विश्व सम्बन्धी युक्ति (Cosmological Argument)

"Ontos" शब्द का अर्थ 'तत्व या सार' होता है वहीं शब्द का अर्थ 'संसार' अथवा 'विश्व' होता है। विश्व सबंधी युक्ति उस युक्ति को कहा जाता है जो विश्व से संबधित हो। इस युक्ति के मुख्यत: दो रूप– (१) विश्व की आकस्मिकता पर आधारित युक्ति। (२) कार्य – कारण युक्ति।

संसार आकस्मिक है। आकस्मिक उसे कहा जाता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो। विश्व श्रणिक है क्योंकि यहाँ की हर चीजें क्षणिक हैं, उनका नारा होता है। इसी प्रकार हम लोगों का जीवन भी क्षणमात्र का है। ऐसे विश्व की व्याख्या जो क्षणभंगुर है, स्वयं नहीं हो सकती है। इसी हेतु मानव ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है जो आवश्यक (necessary), स्वतत्रं (self dependent) तथा वास्तविक (Substantial) है। ईश्वर आकस्मिक तथा क्षणिक विश्व का आधार है; अथवा हमारी तात्कालिक अनुभूति विषयक विश्व आकस्मिक है, इसलिए एक सर्वथा आवश्यक प्राणी की सत्ता है।[३]

(१.) थामस एक्विनास; इन्होंने विश्व की आकस्मिकंता पर आधारित तर्क का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम विश्व की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं तब उन्हें आकस्मिक (contingent) पाते है। आकस्मिक वस्तु उसे कहते हैं जो सर्वदा कायम नहीं रहता हो तथा जिसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रहता हो। आकस्मिक वस्तु का एक समय जन्म होता है तथा दूसरे समय वह विलीन हो जाता है। अब यदि संसार की सभी वस्तु आकस्मिक है तब उन्हें एक–एक कर अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि सभी वस्तुएँ एक–एक कर विलीन हो जाती तब अन्त में शून्य हो जाना चाहिए था। यदि शून्य किसी समय हो जाता तब अब भी शून्य की सत्ता बनी रहती क्योंकि शून्य से शून्य का ही प्रादुर्भाव होता है। परंतु अभी शून्य नही है क्योंकि हम कुछ वस्तुओं का अस्तित्व पाते है। एक्विनास के अनुसार कोई ऐसी सत्ता है जो इन विषयों को धारण करती है तथा इन्हें कायम रखने में सश्रम सिद्ध होती है। इसी अनिवार्य सत्ता को ईश्वर कहा गया है जो आकस्मिक जगत् का आधार है तथा स्वयं पूर्ण स्वतंत्र स्वंयभू एवं आवश्यक है।

(२.) लइबनिज; इन्होंने भी विश्व सबंधी युक्ति का समर्थन किया है। उनके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है क्योंकि हम इसका अनस्तित्व सोच सकते हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का अनस्तित्व सोच सकते है और इसलिए विश्व भी आकस्मिक है। सभी आकस्मिक सत्य का पर्याप्त हेतु रहना चाहिए। समस्त विश्व का पर्याप्त हेतु ईश्वर है।

विश्व सम्बन्धी युक्ति की आलोचना

१. *रसेल;* रसेल का कहना है कि यह युक्ति सिर्फ अनवस्था दोष (Infinite regress) से बचने के लिए ईश्वर को मान लेती है। विश्वरूपी कार्य की व्याख्या ईश्वर को कारण मानकर किया जाता है। रसेल का कहना है कि कार्य – कारण भाव ईश्वर पर आकर रूक क्यों जाता है? आखिर ईश्वर पर कार्य – कारण की श्रृंखला से बचने के लिए ईश्वर की सत्ता को मान लेना असंगत है।

२. *हौस्पर्स;* हौस्पर्स ने भी विश्व सम्बन्धी युक्ति का खण्डन किया है। विश्व संबधी युक्ति में विश्व को कार्य मान कर इसके कारण की खोज में ईश्वर की प्रस्थापना होती है। यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु का कारण ईश्वर है तो प्रश्न उठता

है कि ईश्वर का क्या कारण है। जो प्रश्न विश्व के सम्बध में लागू होते है वे ही प्रश्न ईश्वर के प्रसंग में लागू किये जा सकते हैं।

३. *ह्यूम;* इन्होंने कार्य– कारण युक्ति जो विश्व सबंधी युक्ति का एक प्रकार है, का जोरदार खण्डन किया है। चूँकि ह्यूम अनुभव– वादी दार्शनिक है इसलिए उन्होंने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य माना है। उनके अनुसार कारण और कार्य के बीच आवश्यक सबंध का ज्ञान अनुभव से नहीं होता; इसलिए कार्य –कारण नियम पर आश्रित ईश्वर के अस्तित्व सबंधी प्रमाण अमान्य है। यहाँ अनवस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को माना गया है।

४. *कांट;* कांट ने विश्व सबंधी युक्ति का खण्डन करते हुए कहा है कि यह युक्ति ईश्वर को आवश्यक जीव के रूप में प्रतिष्ठित करने में पूर्णत: असफल है। कांट के मतानुसार आवश्यक जीव वह है जो हैतुक (Conditioned) हो। विश्व सबंधी युक्ति ईश्वर को अहैतुक मानती है। अहैतुक (unconditioned) तथा आश्यक जीव एक–दूसरे के विरोधी है। इस प्रकार विश्व सबंधी युक्ति एक ऐसे ईश्वर की स्थापना करने में असफल है, जिसे आवश्यक जीव कहा जा सके। अत: यह युक्ति असंगत एवं अमान्य है।

विश्व सबंधी युक्ति विश्व को आकस्मिक (Contingent) मानती है और इसके कारण के सिलसिले में ईश्वर की स्थापना करती है। आलोचकों ने इस युक्ति का विरोध करते हुए कहा है कि यह मानना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है, उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ग) प्रयोजनात्मक युक्ति (Teleological Argument)

यह युक्ति अत्यंत ही प्राचीन है। Telelogical शब्द ग्रीक शब्द 'Telos' से निर्मित हुआ है। 'Telos' शब्द का अर्थ 'प्रयोजन' होता है। प्रयोजन पर आधारित तर्क को Teleological Argument कहा जाता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है। प्रयोजन के पीछे किसी की सत्ता माननी पड़ती है।

१. *एक्वीन्स (Aquinas)* – इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए पाँच प्रमाणों का उल्लेख किया है। जिसमें अंतिम प्रमाण प्रयोजनात्मक प्रमाण है। एक्वीन्स ने कहा है कि जब हम विश्व की ओर देखते है तब हम पाते है कि विश्व की अबोध वस्तुऐं किसी न किसी रूप में प्रयोजन की पूर्ति में लगी हुई है। चूँकि प्राकृतिक वस्तुयें अबोध हैं, इसलिए उसका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि संसार की अबोध वस्तुओं का कोई नियामक है, जो अबोध वस्तुओं से लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। वह एक चेतन एवं बुद्धिमान सत्ता है जो अबोध वस्तुओं की दिशा का निर्देशन कर रहा है। उसी सत्ता को ईश्वर की संज्ञा दी गयी है। जिस प्रकार तीर चलाने वाला तीर की दिशा निर्धारण करता है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की अबोध एवं निर्जीव वस्तुओं का दिशा– निर्देशन करता है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व विश्व के नियामक के रूप में स्वीकारा गया है।

२. *विलियम पेली (William Paley)* - इन्होंने घड़ी का उदाहरण देकर प्रयोजनात्मक तर्क को स्पष्ट किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी रेगिस्तान एवं निर्जन प्रदेश में घड़ी पाता है तब वह घड़ी के निर्माता की कल्पना करता है। घड़ी जैसे छोटे यंत्र की व्याख्या के लिए यंत्रकार को मानना पड़ता है। यह विश्व एक विशाल यंत्र है। विश्व की जटिलता, विशालता तथा अभियोजना की व्याख्या के लिए किसी महान बुद्धियुक्त व्यक्ति को मानना आवश्यक है। विलियम पेली ने कहा है कि जिस प्रकार आँख का निर्माण देखने के लिए हुआ है। उसी प्रकार इस विश्व का निर्माण प्रयोजना की पूर्ति के लिए हुआ है। ईश्वर ही वह व्यक्ति है जिनके प्रयोजन की पूर्ति के लिए विश्व की रचना हुई है।

३. *मार्टिनों (Martineau)* - इनका कहना है कि यदि हम जीवों के अंग–प्रत्यगं पर ध्यान देते है तब उनके बीच अभियोजन क्षमता को देखकर आश्चर्य होता है। प्रत्येक जीव के अंगों का चुनाव उनकी परिस्थिति के अनुसार किया गया है। जल, आकाश, और पृथ्वी में रहने के लिए जीवों के साँस के अंगो की रचना उनकी परिस्थिति के अनुकूल हुई है। हिंसक जानवरों के तेज दाँत तथा तेज पंजे का निर्माण शिकार पकड़ने तथा चीर–फाड़ के लिए हुआ है। उनकी अतड़ियाँ माँस

पचाने योग्य है। पक्षियों के डैने होते हैं ताकि वह उड़ सके। जीवों के बीच जो अभियोजनक्षमता है उसका कारण ईश्वर है जिन्होंने इन जीवों की रचना उद्देश्य सिद्धि के लिए की है।

कुछ विद्वानों के अनुसार प्रयोजनात्मक तर्क विश्व सबंधी तर्क (Cosmological argument) का विस्तार (Extension) है। यह युक्ति भी विश्व की प्रकृति को देखकर ईश्वर की स्थापना करती है। विश्वसंबंधी युक्ति में विश्व को एक कार्य माना जाता है और इसके कारण की खोज में ईश्वर की स्थापना होती है।

हिक ने विश्व सबंधी युक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यापक अर्थ में को; भी ईश्वरवादी युक्ति जिसमें विश्व को देखकर ईश्वर की और अनुगमन होता है विश्व सबंधी युक्ति है।[४] इससे प्रमाणित होता है कि विश्व सबंधी युक्ति प्रयोजनात्मक तर्क को भी कहा जा सकता है। दोनो युक्तियों को अनुभव मुलक युक्ति (A pasteriiori arigument) कहा जाता है क्योंकि दोनों का आधार अनुभव है।

प्रयोजनात्मक युक्ति की आलोचना

कांट ने प्रयोजनात्मक तर्क का खण्डन किया है। यह युक्ति ईश्वर को शिल्पकार मानती है। सासांरिक वस्तुओं को देखकर हम प्रयोजनकर्ता का विचार अपनाते हैं, परन्तु हम इस विचार को का विचार अपनाते हैं। परंतु हम इस विचार को ईश्वर पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है। अत: ईश्वर जो पूर्ण, शक्तिशाली और असीम सता है उसे शिल्पकार कहना उसकी असीमता का खण्डन करना है। प्रो० केयर्ड के अनुसार बाह्य शिल्पकार का विचार एक ऐसा विचार है जो असीम एवं पूर्ण सता के विचार को ठेस पहुँचाता है। अगर एक मानव शिल्पकार प्राकृतिक नियमों से ससीम होता है तो ईश्वर को भी एक बाह्य शिल्पकार कह उसे ससीम करना है। अत: यह युक्ति ईश्वर को ससीम बना डालती है।[५]

प्रयोजनात्मक युक्ति का महत्व

त्रुटियों के बावजूद प्रयोजनात्मक तर्क की महत्त है। होस्पर्स ने भी इस युक्ति के सबंध में कहा है, ईश्वर की सदत्ता के पक्ष में लोकप्रिय तर्क प्रयोजनात्मक तर्क है। प्रयोजनात्मक की यह खूबी रही है कि इसके आलोचकों ने भी इसकी महत्त को स्वीकार किया है, क्योकि इसकी पुष्टि हमारे आंतरिक जीवन से होती है। यह अत्यंत ही सरल एंव प्रभावशाली युक्ति है। ज्यों ही मानव विश्व में व्यवस्था को अवलोक करता है, त्योहीं वह इसकी व्यख्या के लिए ईश्वर को व्यवस्थापक के रूप में मानने के लिए बाध्याता महसूस करता है। वही जे०सी० स्मार्ट का कहना है कि प्रयोजनात्मक युक्ति धार्मिक सवेंगों को बल देने में सक्षम सिद्ध होती है।[६]

इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व सबंणी प्रमाण के लिये तीन परपंरागत युक्तियों (तात्विक युक्ति, विश्व सबंधी युक्ति प्रयोजनात्मक युक्ति) का प्रयोग किया गया है। वहीं इसके अतिरिक्त नैतिक युक्ति (Moralpropf for the existence of God) का भी प्रयोग किया जाता है। इस युक्ति के प्रमुख समर्थक कान्ट, न्यूमैन, सोर्ले, मार्टिनों तथा रैशडेल है। ईश्वर के अस्तित्व के अभाव में नैतिकता की रक्षा असंभव है। अत: इस युक्ति में नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को नीतिपूर्ण माना गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[१]धर्म दर्शन की रूपरेखा –डॉ हरेद्र प्रसाद सिन्हा, अध्याय– आठ, पृष्ठ संख्या १४४
[2]*An Introduction To the philosophy of Religion.*; Caird, page 150
[3]CAIRD; *An Introduction to the Philosophy of Religion*, Page 126
[4]HICK; *Argument for existence of God*, P. 37
[5]CAIRD; *An Introduction to the philosophy of Religion*, P. 135
[6]J.J.C SMART; *The existence of God in New essays in philosophical Theology*, P. 45

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,15-19**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 10 अप्रैल 2018

भारत की विकास यात्रा और चीन (एनएसजी से एमटीसीआर तक)

डॉ० गीता यादव*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *भारत की विकास यात्रा और चीन (एनएसजी से एमटीसीआर तक)* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *गीता यादव* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

अमेरिका लम्बे समय से परमाणु आपूर्ति समूह (एन एस जी) में भारत की सदस्यता का समर्थन करता रहा है, खासकर तब से जब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान भारतीय संसद में इसकी घोषणा की थी; और चीन उसी समय से इस पर असहज महसूस कर रहा था। आखिर चीन का ऐसा रवैया क्यों है, वह क्या चाहता है?

वास्तव में चीन परमाणु क्षमता वाला एक मात्र एशियाई देश होने का दावा करता रहा था। जिसे वर्ष १९९८ में उसने तब खो दिया, जब भारत ने सिलसिलेवार तीन दिन में लगातार पांच भूमिगत परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु शक्ति सम्पन्न देश घोषित कर दिया। लगभग तीस वर्षों तक यह रुतबा चीन ने हासिल किया हुआ था। किन्तु पहले भारत बाद में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता हासिल कर एशियाई संगठन की तस्वीर बदल दी।

चीन को उम्मीद थी कि अमेरिका और परमाणु अप्रसार के हिमायती अन्य देश मौजूदा परमाणु अप्रसार व्यवस्था का उल्लंघन करने के आरोप में भारत को अलग–थलग कर देंगें। पर अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भारत अमेरिका व अन्य देशों को यह समझाने में सफल रहा कि पड़ोसी देश से परमाणु खतरे को देखते हुए भारत को अपने राष्ट्रहित के लिए परमाणु परीक्षण करने पड़े। अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत की कूटनीतिक समझ थी। शीघ्र ही भारत के परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम को परोक्ष रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिन्ता दूर करने के लिए वैध कदम के रूप में मान्यता दे दी गई। इसके अतिरिक्त भारत अन्य देशों के साथ परमाणु व्यापार करने में सक्षम हो गया। भारत के परमाणु हथियारों और परमाणु कार्यक्रमों पर मौन स्वीकृति को चीन ने अपने लिए उभरती चुनौती के रूप माना। चीन इस तथ्य को पचा नहीं पा रहा है कि भारत एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आये। उसका सहयोगी रहा पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था खराब है उसकी आन्तरिक सुरक्षा को आतंकी संगठनों से चुनौती मिल

* अध्यक्ष-राजनीतिविज्ञान विभाग, टी0डी0पी0जी0 कॉलेज (सम्बद्ध वीर बहादूर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय) जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

रही है और अपने परमाणु हथियार भंडार को लगातार बढ़ाने की उसकी कोशिश पूरे विश्व में चिन्ता का विषय बनी हुई है। धीर–धीरे ही सही चीन की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रमुख एशियाई शक्ति बनने की बीजिग की महत्वाकांक्षा को आगे झटका लग सकता है पर वैश्विक मंदी ने पहले ही चीन के आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचाया है। चीन में जैसे ही अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निवेष व निर्यात् की रणनीति में संशोधन की शुरूआत की विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जो देश चीन को अपना सामान बेचते थे, उन देशों पर चीन की मांग घटने का प्रभाव पड़ा और यूरोपीय संघ आर्थिक संकट से जूझते अन्य देश चीनी वस्तुएँ खरीदने में विफल रहे।

इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनियाँ का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। विश्व की कई कम्पनियाँ बढ़ते श्रम खर्च के कारण चीन में निवेष करने से कतराने लगी और अगले बेहतर निवेष के लिए भारत की तरफ देखने लगी। स्वाभाविक है कि चीन भारत को वैश्विक मामलो में प्रभुता हासिल न हो यह प्रयास निरन्तर करेगा और भारत की विकास यात्रा को रोकने की कोशिश करेगा। भारत–अमरीका सम्बन्धों से भी चीन की चिन्ता बढ़ी है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिती है, चाहे वह पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के पानी का मसला हो, या चीन की आर्थिक नीति और साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन की बढ़ती चिन्ता हो। चीन ने यह जाहिर कर दिया है कि वह दक्षिण चीन सागर के बारे में संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं मानेगा ट्रिब्यूनल ने घोषणा की है कि १२ जुलाई को वह अपना फैसला सुनायेगा। यह लगभग तय है कि फैसला चीन के पक्ष में नहीं आयेगा। दक्षिण चीन सागर एक छोटा समुद्री क्षेत्र है, जो चीन की दक्षिण पूर्वी सीमा से जुड़ा है यह समुद्र इंडोनेशिया फिलीपींस, कम्बोडिया, सिंगापुर, वियतनाम आदि कई देशों से जुड़ा है। जिनके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है, पिछले दिनो चीन व आसियान देशों के विदेश मन्त्रियों की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। चीन यह भी मानता है कि एशियाई मंच पर उसके प्रभुत्व को चुनौती देने वाला भारत ही है। भारत ने चीन–पाकिस्तान आर्थिक गालियारे के चीनी प्रस्ताव की आलोचना की है। प्रशान्त क्षेत्र में एक नया सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ भारत के गठजोड़ से भी चीन चिन्तित है। भारत को चीन द्वारा २१वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के अह्वान की भी आशंका है। चीन भारत– जापान–अमेरिका के मालाबार श्रृंखला के नौ सैनिक अभ्यास को लेकर भी चिन्तित है, तो अपने चारो तरफ चीन द्वारा बन्दरगाह बनाए जाने से भारत परेशान है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि अमेरिका भारत के विशिष्ट असैन्य परमाणु क्लब में प्रवेश को आगे बढ़कर समर्थन कर रहा है और चीन एनएसजी में भारत की सदस्यता के खिलाफ खलनायक की भूमिका में है।

ऐसे में समाधान क्या है? भारत वास्तव में चीन के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करना चाहता है। भारत न तो चीन को नियंत्रित करना चाहता है, और न ही चीन के प्रतिद्वंदी के रूप में खुद को खड़ा करना चहता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीनी नेतृत्व को समझाने के लिए बीजिंग की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समय–समय पर चीनी राष्ट्रपति से बात करते रहे विदेश सचिव भी चीन के सम्पर्क में रहे। भारत ने बार–बार संकेत दिया है कि नई शक्ति के रूप में उभरने के लिए भारत और चीन दोनो के पास पर्याप्त गुंजाइश है और वे दोनों वैश्विक मामलों में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। हलांकि भारत की इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ फिर भी उम्मीद कायम है।

एनएसजी के बहुत से देश जहाँ भारत की सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बहुत से देश पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध भी करते हैं। जनसंहार हथियारों के प्रसार में पाकिस्तान का रिकार्ड जग जाहिर है और परमाणु अप्रसार में भारत का रिकार्ड सबकों मालूम है यह देखने वाली बात है कि कैसे चीन और पाकिस्तान (संदिग्ध अप्रसार साख वाले देश) भारत को एनएसजी की सदस्यता से रोकते हैं। चीन के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से इस विशिष्ठ समूह में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन करने की ताजा अपील की है। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के सहयोगी देशों से यह अपील की कि जब भी एनएसजी की समग्र चर्चा हो तब इसके सहयोगी देश भारत के आवेदन का समर्थन करे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने ४८ सदस्यीय समूल के लिए भारत के आवेदन का स्वागत किया भारत के दावे को मजबूती से समर्थन किया है। अमेरिका ने तो बाकायदा एनएसजी के सभी सदस्य देशों को पत्र लिखकर सियोल में २४ जून को होने वाले महत्वपूर्ण अधिवेशन

बैठक में भारत को समर्थन देने का अनुरोध किया है। भारत को ब्रिटेन का भी साथ मिल गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यूके की ओर से पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

वैसे तो ज्यादातर देश भारत का समर्थन कर रहे हैं; पर चीन के अलावा न्यूजीलैंड, आयरलैंड, तुर्की, दक्षिण–अफ्रिका ओर आस्ट्रिया अब भी भारत की एंट्री के विरोध में है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २३ जून २०१६ दिन गुरूवार को ताशकंद में चीन के राष्ट्रपति अी जिनपिंग से मुलाकात कर एनएसजी में सदस्यता के लिए चीन का समर्थन मांगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति से अपील की कि चीन भारत की दावेदारी का ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करें।

हलांकि भारत के मसले को जापान और कुछ अन्य देशों ने उठाया। इस पर विशेष बैठक में भी चर्चा हुई। लेकिन भारत की तमाम कोशिशों को तगड़ा झटका लगा। चीन के नेतृत्व में १० देशों के विरोध के कारण २४ जून २०१६ शुक्रवार को सियोल में समाप्त हुई एनएसजी के ४८ सदस्य देशो की दो दिवसीय बैठक में भारत की एंट्री का कड़ा विरोध ा हुआ जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत ज्यादातर देश भारत को इस प्रतिष्ठित समूह में शामिल करने के पक्ष में थे। ४८ देशों में ३८ देशों ने भारत के प्रवेश का समर्थन किया। चीन ने भारत का इस आधार पर विरोध किया कि उसने परमाणु अप्रसार सधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके अलावा ब्राजील, स्वीट्जरलैंड, तुर्की, आस्ट्रिया, आयरलैड, न्यूजीलैंड दक्षिण–अफ्रिका आदि। एनएसजी की बैठक में जिन देशों ने भारत की सदस्या का विरोध किया, उनका बस एक ही तर्क था कि भारत ने परमाणु अप्रसार संन्धि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस सन्धि के तहत् परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र उन्हें ही माना गया है, जिसने एक जवनरी १९६७ से पहले परमाणु हथियार का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। इसके धारा छः में कहा गया है कि सिर्फ पाँच देश– अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ही परमाणु हथियार रख सकते हैं। अब जब तक इस प्रावधान में सुधार नहीं होगा, तब तक भारत इस सन्धि पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? क्योंकि भारत ने तो असैन्य कार्यो के लिए बाद में परमाणु परीक्षण किया है। यह हमारे राजनयिक तंत्र एवं समर्थक देशो की कमी रही कि उसने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि पहले एनपीटी के प्रावधानों में संशोधन हो, फिर भारत इस पर हस्ताक्षर करेगा। कहा गया कि परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था की धुरी है। वह इसके पूर्ण व प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन करता है। चीन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसका रूख ४८ देशो के समूह के नियमों के अनुसार है, जो किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है।

तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत को फिलहाल प्रवेश नहीं मिल सका। कुछ लोगो को उम्मीद थी कि वर्ष २००८ में चीन के सहयोग से भारत को एनएसजी से वेवर (निर्यात के लिए विशेष छूट) मिला था, इसलिए इस बार भी एनएसजी में अन्ततः चीन हमारे पक्ष में सहयोग करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसकी वजह उस समय तक चीन और अमेरिका के बेहतर रिश्ते थे। २००८ में भी चीन पहले भारत का विरोध किया था, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने चीनी नेतृत्व से बातचीत करके भारत को वेवर देने के लिए राजी कर लिया था। मगर अब चीन और अमेरिका के रिश्ते दक्षिण चीन सागर को लेकर खराब है और उस मामले में भी भारत अमेरिका के पक्ष में है इसलिए इस बार चीन लगातार एनएसजी में भारत का विरोध करता रहा। इस समय की अपेक्षा तब चीन तुलनात्मक रूप से कमजोर था। लेकिन आज यह मजबूत स्थिति में है, इसलिए अमेरिकी दबाव में नहीं आया।

चूँकि २००८ मे भारत को वेवर मिल चुका है, इसलिए एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलने से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर एनएसजी में सदस्यता मिल जाती, तो भारत परमाणु टेक्नोलाजी अन्य देशों से खरीद सकता था। इसके अलावा अगर भविष्य में कभी परमाणु निर्यात से सन्बन्धित एनएसजी के प्रावधानों में बदलाव होता है, तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत चाहता था कि एनएसजी की सदस्यता लेकर वह इसके नियमों को निर्धारित करने में भी अपना योगदान करे।

भारत को अगर एनएसजी की सदस्यता मिल जाती तो इस आधार पर भी वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करता। लेकिन चीन नहीं चाहता कि वैश्विक मंचों पर भारत उसकी बराबरी कर सके। इसलिए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भी भारत की सदस्यता का विरोध करता रहा है, और भारत के मुकाबले बार–बार पाकिस्तान

को खड़ा करके क्षेत्रीय ताकत के तौर पर भारत को संतुलित करना चाहता है, और भारत की प्रगति की राह में बाधा उत्पन्न करना चाहता है। एक अंग्रेजी चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि– पाकिस्तान के साथ रिश्तों की लक्ष्मण रेखा वहाँ की हर सरकार के साथ बदलती रहेगी। इसलिए भारत को हरपल सतर्क रहना होगा चीन के साथ कई समस्याएँ है, उन्हें धीरे–धीरे हल करने की कोशिश चल रही है। पीएम ने कहा कि चीन के साथ भारत के कई सैद्धान्तिक मुद्रदे रहे हैं, लेकिन अब हम आँख से आँख मिलाकर भारत के हित की बात करते हैं। चीन का मानना है कि भारत के साथ सीमा विवाद और उभर कर आए कुछ मुद्दों की वजह से द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गई है। भारत–चीन सभी द्विपक्षीय मुद्दों को बैठकर बातचीत के जरिये समाधान निकालने के पक्ष में है, चीन का मानना है कि भारत के साथ कुछ जटिल मुद्दे उभर कर आये हैं, पर स्पष्ट नहीं कि वे मुद्दे क्या है? ऐसे में अब भारत को क्या करना चाहिए? अभी हाल ही में भारत एम टी सी आर (मिसाइल टेक्नालॉजी कंट्रोल रिजीम) में शामिल हुआ है। भारत २७ जून २०१६ को एमटीसीआर का पूर्ण सदस्य बन गया है। यह वैश्विक अप्रसार शर्तों को बढ़ाने के लिए परस्पर फायदेमंद होगा। इस समूह के **३५वें** पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार भारत का प्रवेश अन्तर्राट्रीय अप्रसार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में लाभकारी होगा। चीन इसका सदस्य नहीं है, लेकिन वह भी इसका सदस्य बनना चाहता है। भारत की कोशिश यह रहनी चाहिए कि वह चीन की सदस्यता का विरोध करे, उस पर दबाव बनाये। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्ममोस जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो चीन के विरोधी देश (कोरिया और वियतनाम) हासिल करना चाहते हैं। भारत उन्हें निर्यात करके चीन को परेशान कर सकता है, या भय दिखाकर उससे सौदेबाजी कर सकता है साथ ही चीन की बहुत सी कम्पनियाँ हमारे देश में कारोबार कर रही हैं, जिनके कठोर कानून बनाकर भी हमारी सरकार चीन पर दबाव बना सकती है।

भारत के एमटीसीआर में शामिल होने और एनएसजी की सदस्यता न मिलना दोनों घटनाएँ वैश्विक परमाणु अप्रसार ऐजेंडे से जुड़ी हुई है। परमाणु अप्रसार की उत्पत्ती परमाणु हथियार अप्रसार संधि में निहित है, जिसे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संन्धि (एनपीटी) कहा जाता है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार एवं हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और आगे परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करना है। यह सन्धि १९७० में लागू हुई १९८५ में अनन्तकारन के लिए इसका विस्तार किया गया। कुल १९१ देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये उत्तर कोरिया १९८५ में इसे स्वीकार किया, किन्तु २००३ में फिर अलग हो गया। संयुक्त राष्ट्र के चार संदस्य भारत, ईजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सुडान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए है। एनपीटी का वर्तमान स्वरूप भारत को स्वीकार्य नहीं हैं।

इन प्रयासों के साथ ही परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ समानान्तर गतिविधियाँ लागू की गई, जैसे– १९८७ में जी– ७ के आद्योगिक देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका) द्वारा अनौपचारिक राजानीतिक समझ के तहत एमटीसीआर का गठन किया गया। इसका उद्देश्य मिसाइल और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना है। ताकि ५०० किलोग्राम भार की ३०० किलोमीटर तक ले जाने मे सक्षम प्रणाली पर रोक लगे एक वर्ष १९९२ में एमटीसीआर के दायरे में सभी जनसंहारक हथियारों के लिए मानवरहित विमानी के अप्रसार को भी शामिल किया गया। वर्ष २००२ में एमटीसीआर को वैलेस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता से जोड़ दिया गया, जिसे हेग आचार संहिता भी कहा जाता है। जो सामूहिक विनाश के हथियारों की आपूर्ति में सक्षम वैलेस्टिक मिलाइलों के प्रसार में संयम एवं देखभाल की बात करता है।

चार निर्यात् नियंत्रण निकायों (एमटीसीआर के अलावा एनएसजी, वासेनार एरेंजमेंट और आस्ट्रोलिया ग्रुप भी शामिल है) में से एमटीसीआर में प्रवेश भारत का पहला कदम है। इन चारो समूहों में भारत के प्रवेश से अमेरिका द्वारा दशकों से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को लेकर इन्कार खत्म हो जायेगा और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत उच्च प्रौद्यागिकी का आयात कर सकता है और चीन के मुकावले खड़ा हो सकता है। एनएससी में प्रवेश न मिलने के अगले ही दिन भारत एमटीसीआर का पूर्ण सदस्य बना, जबकि चीन को इसकी सदस्यता नहीं मिली है।

एमटीसीआर की सदस्यता से अमेरिका जैसे देशों का भारत पर मरोसा बढ़ेगा, जो अब प्रौद्योगिकी की साझा करने में तहत् सदस्य देश एवं गैर–सदस्य देश के बीच मतभेद किया जाता था, जबकि कई अन्य देशों में इस बात पर ध्यान दिया

जाता है कि किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और उनका क्या उपयोग होगा भारत ने अपनी ओर से पिछले दस वर्षों में निर्यात् नियंत्रण व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू कानून में काफी बदलाव किये हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अनुसार अपने दायित्वो को पूरा करते हुए जून २००५ में जनसंहारक हथियारों और उनके वितरण प्रणाली (गैर–कानूनी गतिविधि निषेध) से सम्बन्धित अधिनियम लाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को सामूहिक विनाश के हथियार और प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रबंधन के लिएस अपने घरेलू कानून में लागू करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त परमाणु परीक्षण के अठ्ठारह वर्षों बाद भारत परमाणु अप्रसार के शानदार रिकार्ड और बढ़ते सामरिक महत्व के कारण चार महत्वपूर्ण निर्यात् समूहों में से एक का सदस्य बन गया है। अब भारत निगरानी ड्रोन खरीदने की इच्दा भी पूरी कर सकता है। जो भारत के सामरिक जरूरत ओर सुरक्षा, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा। अलग बात है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत को परमाणु आपूर्ति करता समूह की सदस्यता नहीं मिल सकी। किन्तु इसके जरा सा भी निराश होने की जरूरत नहीं है। एमटीसीआर में सदस्यता एक अभूतपूर्व सफलता है और निकट भविष्य में शेष सफलताएँ भी भारत अवश्य प्राप्त कर लेगा।

सन्दर्भ सूची

अमर उजाला, वाराणसी, शनिवार १८ जून २०१६, पृष्ठ संख्या १६
अमर उजाला, वाराणसी, शुक्रवार २४ जून २०१६, पृष्ठ संख्या १०
अमर उजाला, वाराणसी, शनिवार २५ जून २०१६, पृष्ठ संख्या ०१
अमर उजाला, वाराणसी, वृहस्पतिवार ३० जून, पृष्ठ संख्या ०८
हिस्तुस्तान, वाराणसी, शुक्रवार १ जुलाई, पृष्ठ संख्या १२

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,20-23**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 15 अप्रैल 2018

महाकाव्यकालीन सैन्य रणनीतिक संस्कृति

अर्चना सिंह*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *महाकाव्यकालीन सैन्य रणनीतिक संस्कृति* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *अर्चना सिंह* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

सारांश

रणनीतिक संस्कृति एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जो सुरक्षा से सम्बन्धित तत्वों को पूर्व निर्धारित करने की यथार्थ योजना है। सभ्यता के विकास के साथ ही सुरक्षा, रक्षा व प्रतिरक्षा का उदय होता है। भारत के सन्दर्भ में सुरक्षा की व्यवस्था भी इसके सभ्यता के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारम्भ में मनुष्य आदिम समाज में रहता था तथा सुरक्षा के लिए पत्थर, लकड़ी के औजारों का प्रयोग करता था लेकिन जैसे–जैसे आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ रक्षा प्रणाली ने भी आधुनिकता का स्वरूप धारण कर रूपान्तरित होते गया। मेरे शोध पत्र का उद्देश्य है महाकाव्यकालीन सैन्य रणनीतिक संस्कृति का विश्लेषण करना।

Key Words: रणनीति, संस्कृति, सुरक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा।

पृष्ठभूमि या भूमिका

महाकाव्य काल का समय आठ सौ ईसा पूर्व से दो सौ ईसा पूर्व तक माना जाता है लेकिन भारतीय सैन्य इतिहास के सन्दर्भ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में सभ्यता का विकास कब हुआ इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाई है। अगर देखा जाय तो रामायण और महाभारत हमारे जीवन से सम्बन्धित सम्पूर्ण आचार पद्धति का विहंगम स्रोत है। इनमें वर्णित धर्म आचार व्यवहार के नियम संस्थाएं व्यवस्था व प्रथाएं हमारे जीवन जीने की कला के क्षेत्र में हमें प्रेरणा दे रही है। यदि देखा जाय तो महाभारत और रामायण के कालों में बहुत अंतर है पर ये दोनों महाकाव्य उस काल की स्थिति पे प्रकाश डालते हैं जब आर्य लोक भारत में स्थायी रूप से खुद को स्थापित कर चुके थे। ये महाकाव्य जहाँ एक तरफ जीवन जीने की सकारात्मक पहलूओं पे प्रकाश डालते हैं वहीं दूसरी तरफ रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी किस प्रकार

* शोध छात्रा, राजनीतिविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

से सैन्य संस्कृति उस समय की परिस्थिति के अनुसार रही इस क्षेत्र में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। रामायण में श्रीराम और रावण के लम्बे व भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है तो वहीं महाभारत में कौरवों व पाण्डओं के बीच हुए संघर्ष का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। समाज और सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही सुरक्षा और असुरक्षा का उदय होता है। जब हम कभी भी सुरक्षा व असुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है कि असुरक्षित वातावरण में स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाय यही से रणनीति की उत्पत्ति होती है। रणनीति का तात्पर्य होता है सुरक्षा से सम्बन्धित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की पूर्वनियोजित योजना जो कठोर संस्कृति का द्योतक है, जबकि संस्कृति किसी भी समाज में गहराई से व्याप्त सम्पूर्ण जीवन पद्धति का समावेशन है। जिसमें मूल्य मानताएं, रहन–सहन, आचार–विचार, अविष्कार, नवीन अनु–संधान, कला, साहित्य इत्यादि समाहित होती है, जो कि लचीली संस्कृति की ओर झुकी होती है। जहाँ तक रणनीतिक संस्कृति की बात है तो इसके निर्माण का आधार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जिसमें सुरक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण पहलू समाहित होता है। महाकाव्य कालीन सैन्य सामारिक को निम्न रूपों में देख सकते हैं।

रामायण और महाभारत संस्कृति साहित्य के दो अनन्य जाज्वल्यमान रत्न है, जो इस दैवी साहित्य को विश्व साहित्य में प्रतिनिधित्व करने में सर्वाधिक सक्षम है। यदि रामायण भक्ति भावना, मर्यादा, परोपकार, दया, करुणा, पातिव्रत, धर्म आदि का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है तो महाभारत संधिपत्र, वीरोचित कर्म भावना एवं ज्ञान गाम्भीर्य का आदर्श उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। हमारे देश के अमर विश्वासों के संग्रह के रूप में भी इनकी किसी प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती। वैदिक और लौकिक युगों के संघर्षमय काल में 'महाभारत' एक संधिपत्र के समान है जिसमें उभय पक्ष के मनीषियों के हस्ताक्षर है। महाकाव्य कालीन युग में सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पे आधारित हो गयी थी ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग आम जन–मानस से अलग हो गये थे राज्य प्रशासन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्षत्रिय वर्ग पे था लड़ाई लड़ना व बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से जनता की सुरक्षा करना प्रजा को सुखमय जीवन प्रदान करना क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कर्त्तव्य हो गया था देखा जाय तो सम्पूर्ण युद्ध की जिम्मेदारी इसी वर्ग के ऊपर था। महाभारत में क्षत्रिय वर्ग के कर्त्तव्यों का विवरण देते हुए कहा गया है कि यदि किसी क्षत्रिय को युद्ध की चुनौती दी जाय तो उसे स्वीकार कर युद्ध करना चाहिए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करता है युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त करना स्वर्ग में जाने के समान माना गया है। सुरक्षा के क्षेत्र में क्षत्रिय वर्ग के साथ–साथ ब्राह्मण वर्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।[1]

ब्राह्मण वर्ग भी सैनिक कार्यों में दक्ष होता था। महाभारत से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण की तंत्र–मंत्र की शक्ति विजय प्राप्त हेतु उतनी ही अहम थी जितना कि शस्त्रों या हथियारों की शक्ति। महाकाव्य के काल में सुरक्षा के क्षेत्र में युद्ध या रणनीतिक कार्य निम्न कारणों से होते थे जैसे धर्म व नैतिकता की स्थापना के लिए, अपहरण हुए नारी को मुक्त कराने के लिए, मित्रों की सहायता के लिए, प्रतिशोध या बदला लेने के लिए राज्य विस्तार व सर्वाभौम सत्ता स्थापित करने के लिए, कु–शासकों को दण्ड देने के लिए तथा सम्पत्ति अर्जन करने के लिए।[2] इन सभी युद्धों में विजय प्राप्त करने के पश्चात् तथा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था जिसका प्रमाण महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर व रामायण काल में रामचन्द्र जी ने आयोजित किया था महाकाव्य काल में रक्षा से सम्बन्धित समस्त रणनीतिक पद्धति चाहे वो छोटी हो या बड़ी सभी को महत्वपूर्ण माना गया है। सैन्य संगठन के संदर्भ में सेना के चार अंगों जैसे पैदल, रथ, अश्व व गज सेना का वर्णन मिलता है। इन चारो विभागों से निर्मित सेना को चतुरंग बल कहा जाता था इस काल में रथ सेना का अधिक प्रचलन था मनुस्मृति में छः प्रकार की तथा महाभारत में आठ प्रकार की सेना का वर्णन किया गया है।[3]

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायणकालीन चतुरंग बल महाभारत काल में अष्टांग बल का स्वरूप धारण कर लिया था सेना के अंतर्गत सामग्री ढोने वाला वर्ग, चिकित्सक, नौका वर्ग, दूत उपदेशक वर्ग भी सैनिक वर्ग में शामिल किया जाता था युद्ध क्षेत्र में रथ पर दो व्यक्ति सवार होते थे पहला रथ चलाने वाला दूसरा युद्ध करने वाला। श्रीकृष्ण का सारथी के रूप में और अर्जुन का योद्धा के रूप में युद्धक्षेत्र में भाग लेना इसका प्रमुख उदाहरण है।

पैदल सैनिक युद्ध में दो तरह से लड़ाई लड़ते थे तलवार, बरछे व धनुष–बाण। सैनिकों की श्रेणियों को छः भागों में बाँटा गया था, जैसे :

- *मौल बल :* यह सेना स्थायी नियमित वेतन योगी होती थी।
- *भृतक बल :* ये युद्धकाल में भर्ती किये गये सैनिकों से बनती थी।
- *श्रेणी बल :* यह बल व्यापारी या अन्य वर्गों द्वारा रखा गया था।
- *मित्र बल :* मित्र राजा की सेना जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता करती थी।
- *अभित्र बल :* शत्रु राजा की सेना जो अपने अधीन हो जाती थी।
- *अटबी बल :* सीमान्त राज्यों की निर्मित सेना।

इसके अलावा आधुनिक काल में सेना की व्यवस्था जिस प्रकार कम्पनी, प्लाटून, रेजिमेण्ट, बटालियन, डिवीजन आर्मी कोरे आदि में बटी हुई है इसी प्रकार इस काल की सेना भी पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, आत्ना, चमू, अनीकिनी और अक्षौहिणी में विभक्त होती थी। महाभारत के आदिपर्व में कहा गया है कि पत्ति सेना की सबसे छोटी इकाई तथा अक्षौहिणी सेना की सबसे बड़ी इकाई होती थी। चित्रकूट यात्रा के समय भारत की अक्षौहिणी सेना में नौ हजार हाथी, साठ हजार रथ, अनेक प्रकार के शस्त्रधारी धर्नुधर तथा एकलाख घुड़सवार सैनिक का प्रमाण मिलता है। महाभारत के उद्योग पर्व में १८वें अध्याय से ज्ञात होता है कि कुरुक्षेत्र के रण स्थल पर पाण्डवों की सात और कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएं थीं। इसके अलावा सैनिक भर्ती और उनके वेतन भत्तों आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। लंका और किष्किन्धा में सम्पूर्ण वयस्क लोगों को सेना में भर्ती होना पड़ता था मनु के अनुसार सेना में कुरुक्षेत्र, मत्सय, पंचाल और सुरसेन के लोगों की भर्ती की जाती थी स्थायी सेना का प्रचलन था और इनके वेतन भत्ते की उचित व्यवस्था थी ताकि ये सुरक्षा से सम्बन्धित या शांति स्थापना से सम्बन्धित कार्यों को सही प्रकार से कर सके। अस्त्र–शस्त्रों का प्रचलन आज के आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों के समान था क्योंकि तत्कालीन महाकाव्यों में जिस प्रकार के आयुधों का वर्णन मिलता है। वह आज के आधुनिक युग के लिए भी एक चुनौती है।[५]

महाकाव्य के काल में विभिन्न प्रकार के अस्त्र–शस्त्र प्रचलित थे जैसे ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, आसुरास्त्र, वरुणास्त्र, रौद्रास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, वारायणास्त्र, गरुणास्त्र, जलौधास्त्र, आदिव्यास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, सुरदर्शन, प्रस्वाय इत्यादि[६] तथा शस्त्रों में धनुष शतघ्नी, गदा, परशु, तलवार, वज्र, मूसल, तोमर चक्र, हल इत्यादि इसके अलावा सुरक्षा हेतु अंगरक्षक का भी प्रचलन था, क्योंकि प्रतिरक्षात्मक आयुधों का उल्लेख महाभारत व रामायण में किया गया है। जिसमें वर्ग, कवच, अभेद्य कवच, तनुत्राण, मर्मत्राण, अंगुलित्राण, शिरस्त्राण प्रमुख रूप से शामिल था।[७]

इसके अलावा सुरक्षा के लिए दुर्ग–विधान व शिविर रचना भी किया जाता था रामायण में चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है– नादेय, पर्वत, वन्य, कृत्रिम। यहाँ के दुर्ग की दीवारें ऊँची, मजबूत तथा खाइयों से सुरक्षित होती थी। दुर्ग के अन्दर आवेश करने के लिए खाई पर पुल बने होते थे जिनके दोनों किनारों पर विध्वंसक यन्त्र लगाये जाते थे। इसी प्रकार महाभारत में भी छः प्रकार के दुर्गे का उल्लेख मिलता है जिसमें मरु, मही, गिरि, मनुष्य, मृद और वन दुर्ग शामिल था। सैन्य शिविर भी युद्ध के समय स्थापित किये जाते थे। राम ने हिन्द महासागर के तट पर सैन्य शिविर स्थापित किया था।[८]

सैनिकों को रणनीतिक दृष्टिकोण से कुशल व दक्ष बनाने के लिए उनके लिए उचित शिक्षण व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी थी जिसमें आक्रमणात्मक व प्रतिरक्षात्मक आयुधों की शिक्षा दी जाती थी तथा रणनीतिक तैयारियों के अन्तर्गत देव पूजा, मौसम के अनुसार युद्ध प्रस्थान, मुहुर्त, आदि का भी वर्णन मिलता है।[९] युद्ध क्षेत्र में वाय यन्त्रों, ध्वजों व गुप्तचरों का भी रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वाद्य यन्त्रों का प्रयोग शत्रु पक्ष को निरुत्साहित व स्वयं के पक्ष को उत्साहित करने के लिए किया जाता था। झर्झर, भेरी, मृदंग, गोमुख, दुन्दुभि, शंख का प्रमाण मिलता। युद्ध में प्रयोग होने वाले ध्वज विजय के प्रतीक माने जाते थे। उस समय युद्ध रणनीति में तीन प्रकार की रणनीति प्रचलित थी धर्म युद्ध, कूट युद्ध, तृष्णी युद्ध तथा रणनीतिक सफलता हेतु विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना भी होती थी जैसे– दण्ड व्यूह, शकट व्यूह, वराह व्यूह, मकर व्यूह, सूची व्यूह, गरुड़ व्यूह, वज्र व्यूह, कमल व्यूह आदि युद्ध में नियम व अनुशासन का भी ध्यान रखा जाता था तथा जलयान व वायुयान का भी प्रचलन था महाभारत के शान्ति पर्व में नौसेना को सेना के आठ अंगों में से एक माना गया है। इसी प्रकार रामायण के युद्ध काण्ड में द्रोणमुख नामक राक्षस द्वारा रावण की समुद्रतट पर भी सहायता का प्रमाण मिलता है।[१०]

अत: निष्कर्ष: कह सकते हैं कि भारत के परम्परा में प्रारम्भ से ही सैन्य रक्षा की परम्परा विद्यमान रही, क्योंकि यहाँ शान्ति के साथ शक्ति की अवधारणा भी मौजूद थी महाकाव्यों के सैन्य संस्कृति भी उस काल परिस्थिति के अनुसार समृद्ध अवस्था में थी सैन्य पक्ष का कोई भी पहलू अछूता नहीं था जो सुरक्षा के सन्दर्भ में अपनाया न गया हो दोनों महाकाव्य जहाँ एक ओर नैतिकता, आदर्श की शिक्षा देती है तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीति व रणनीति की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालती है। यही कारण है कि महाकाव्यों की रणनीतिक संस्कृति आज के सैन्य रक्षा के क्षेत्र में भी प्रासंगिक बनी हुई है।

नोट्स (NOTES)

[१]सिंह, लल्लन जी –*भारतीय सैन्य इतिहास और युद्ध के सिद्धान्त,* प्रकाश बुक डिपो, २०१५, पृष्ठ संख्या ३४–३५
[२]सिंह, अशोक et. al. –*भारतीय युद्धकला : वैदिक काल से १९४७ तक,* प्रकाश बुक डिपो, २०१६, पृष्ठ संख्या ६
[३]पटवारी, डॉ० अरुण –*भारतीय प्रतिरक्षा का विकास,* प्रकाश बुक डिपो, २००३, पृष्ठ संख्या ९–१२
[४]पटवारी, डॉ० अरुण –*भारतीय प्रतिरक्षा का विकास,* प्रकाश बुक डिपो, २००३, पृष्ठ संख्या ३–४
[५]सिंह, लल्लन जी –*भारतीय सैन्य इतिहास और युद्ध के सिद्धान्त,* प्रकाश बुक डिपो, २०१५, पृष्ठ संख्या ३५–३७
[६]सिंह, अशोक et. al. –*भारतीय युद्धकला : वैदिक काल से १९४७ तक,* प्रकाश बुक डिपो, २०१६, पृष्ठ संख्या ८–९
[७]सिंह, अशोक et. al. –*भारतीय युद्धकला : वैदिक काल से १९४७ तक,* प्रकाश बुक डिपो, २०१६, पृष्ठ संख्या ६–१०
[८]सिंह, लल्लन जी –*भारतीय सैन्य इतिहास और युद्ध के सिद्धान्त,* प्रकाश बुक डिपो, २०१५, पृष्ठ संख्या ४४–४५
[९]पटवारी, डॉ० अरुण –*भारतीय प्रतिरक्षा का विकास,* प्रकाश बुक डिपो, २००३, पृष्ठ संख्या २९–३१
[१०]सिंह, लल्लन जी –*भारतीय सैन्य इतिहास और युद्ध के सिद्धान्त,* प्रकाश बुक डिपो, २०१५, पृष्ठ संख्या ४१–४४

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,24-31**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 20 अप्रैल 2018

घाघरा-गंडक दोआब में लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद

डॉ0 उषा सिंह*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *घाघरा-गंडक दोआब में लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *उषा सिंह* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

सारांश

प्रस्तुत निबन्ध घाघरा–गंडक दोआब में लिंग–आधारित साक्षरता के स्थानिक कालिक प्रभेद पर केन्द्रित है। ये प्रभेद सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के परिवेष प्रतिफल है। लिंग आधारित साक्षरता के स्थानिक प्रभेद के निर्धारण के लिए यहाँ समानता गुणांक (Cofficient of Equlity) सांख्यिकीय विधि अपनाई गई है। यह क्षेत्र राज्य के समग्र साक्षरता दर की तुलना में उच्चतर साक्षरता दर के साथ–साथ स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तरीय में भी उच्चतर है। जो स्थानिक स्तर पर स्त्रियों के निम्न जीवन स्तर को परिलक्षित करता है।

संकेत शब्द; प्रभेद, साक्षरता, समग्र साक्षरता, स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तरीय सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, समानता गुणांक।

अवस्थिति एवं विस्तार

पश्चिमोत्तर बिहार के सिवान एवं गोपालगंज जिलों से सह–सीमांकित घाघरा–गंडक दोआब २५°५३' उ० अक्षांश से २६°४४' उ० अक्षांश एवं ८३°५३' पू० से ८४°४५' पू० देशान्तर (चित्र–१) के मध्य ४२५२ वर्ग कि०मी० के क्षेत्र में विस्तारित है। जिसके अन्तर्गत अंचल स्तर के ३३ संघटक है। यहाँ ५८९२४७४ (२०११) मानव आत्माओं का वास है। क्षेत्र की समग्र साक्षरता दर ६७.७ प्रतिशत है।

* एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, वाई०एन०कॉलेज (जे०पी०यू० छपरा से सम्बद्ध) दिघवारा (बिहार) भारत। E-mail : u.singh2000@gmail.com

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

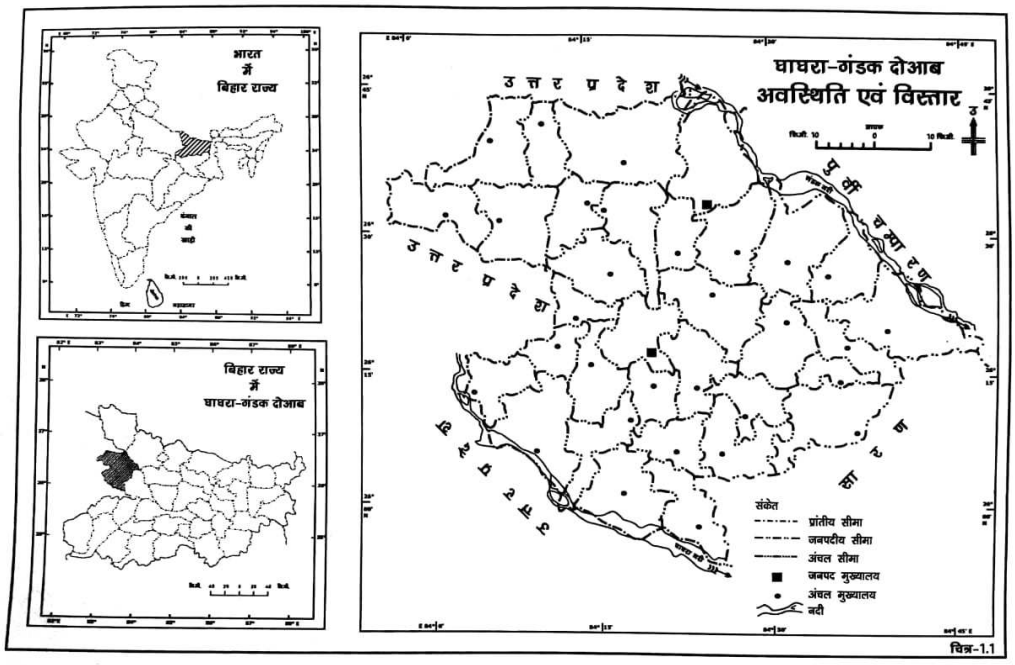

चित्र-1.1

संकल्पना

साक्षरता व्यक्ति समाज या राष्ट्र की सांस्कृतिक प्रगति की कसौटी है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए न्यूनतम स्तर की साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आर०सी० चान्दना (१९८६) के अनुसार राष्ट्रीय हित में सुधारात्मक उपायों की स्वीकार्यता भी व्यक्ति में साक्षरता द्वारा ही आती है। राष्ट्रीय साक्षरता योजना (नेशलन लिटरेसी मिशन १९८८) ने साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने तथा अंक गणना की क्षमता का दैनिक जीवन में व्यवहृत किए जाने तक सीमित रखा गया, लेकिन उसका आयाम विस्तृत है। कियात्मक रूप में सम्मिलित उसके संकेतक–(१) थ्री० आर० एस० में आत्म–निर्भरता (२) वंचित होने के कारणों के प्रति जागरूकता तथा विकास कार्यों का सहभागी बन दशाओं का उन्नयन (३) अर्थ एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि हेतु कार्य कौशल की उपलब्धि तथा (४) राष्ट्रीय समाकलन पर्यावरण संरक्षण महिलाओं के प्रति समानता भाव एवं लघु परिवार की स्वीकारोक्ति है। साक्षरता का दर और स्तर अर्थतन्त्र, नगरीकरण, रहन–सहन के स्तर, स्त्रियों की हैसियत एवं धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित जीवन मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है।

घाघरा–गंडक दोआब शहरी एवं औद्योगिक की तुलना में ग्रामीण तथा कृषीय अधिक है। जहाँ साक्षरता संक्रमण प्रारम्भिक अवस्था या अभी–अभी समाप्त हुआ है, अथवा वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ स्त्री पुरूष के साक्षरता दर में बहुत अन्तर है। स्त्रियों की साक्षरता दर इतनी न्यून है कि वहाँ की पुरूष साक्षरता दर तथा समग्र साक्षरता दर में अन्तर नगण्य है। स्त्रियों की निम्न साक्षरता दर के मुख्य कारक आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक है। आर्थिक दृष्टि से गरीबी और स्त्रियों की निम्न व्यवसायिक संलग्नता के कारण स्त्री और पुरूष की साक्षरता दर में अन्तराल अधिक है। राज्य में व्यापक गरीबी, स्त्रियों की साक्षरता प्रसार एवं विकास में महानतम अवरोध है। ऐसी गरीबी में स्त्रियों की शिक्षा की अपेक्षा पुरूषों की शिक्षा को प्रधानता प्रदान की जाती है, उसी भाँति आर्थिक लाभ परक कार्यों में स्त्रियों का योगदान भी कम है, स्त्रियाँ घरेलू छोटे–मोटे कार्यों में संलग्न होती है (कृष्ण और श्याम, १९७३) चूँकि स्त्रियों के शिक्षा की कोई कार्यकारी उपदेयता नहीं के बराबर है, फलत: उनकी साक्षरता पर कम ध्यान दिया जाता है। सामाजिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा के विरूद्ध भाव, स्त्रियों के परि–संचरण पर अवरोध, उनका समाज में निम्न स्तर, बाल विवाह, विवाह के बाद पिता के घर से पति के घर गमन आदि कारणें से शिक्षा दर निम्न है। इन कारणों के अलावा ग्राम्य अंचलों में बालिका–विद्यालयों की कमी के साथ शिक्षिकाओं की कमी होना है। पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों के शारीरिक दुर्व्यवहार की सभावना अधिक होने के कारण बहुत से अभिभावक बालिकाओं को घर से बाहर आने जाने पर रोक लगाए रहते हैं इस प्रकार पुरूष वर्ग समाज में अपना उच्च स्थान बनाए रखते हैं। अत: शिक्षा के प्रति अरूचि रखते हैं और घर से बाहर किसी प्रकार सेवाकार्य करने के विरूद्ध रहते हैं (डेविड किंग्सले,

१९५१)। इस्लाम धर्म बहुल अंचल में स्त्रियों की शिक्षा के प्रतिलोगों का भाव ठीक नहीं है, वहाँ समग्र साक्षरता दर उच्च है लेकिन स्त्री शिक्षा निम्नतर है। स्त्रियों की साक्षरता दर और उनके सामाजिक स्तर में उच्च धनात्मक सह–सम्बन्ध है। स्त्रियों को पुरूषों से निम्न स्तर प्रदान किया जाता है (चान्दना, आर० सी०, १९९७)।

उद्देश्य

वर्तमान शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य निम्न है :

१. लिंग आधारित साक्षरता का स्थानिक–कालिक विश्लेषण।
२. लिंग आधारित साक्षरता–अन्तरीय का स्थानिक विश्लेषण।
३. लिंग आधारित साक्षरता में समानता गुणांक प्रवृति की विवेचना।

विधितन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन में अंचल स्तर पर साक्षरता विश्लेषण हेतु जनगणना निदेशालय से प्राप्त पी०सी०ए० (२००१, २०११) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सामान्य सांख्यिकीय विधि अपनाई गयी है। अंचल स्तर पर स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तरीय की गणना हेतु पुरूष साक्षरता दर तथा स्त्री साक्षरता दर के अन्तर को ज्ञात किया गयाा है। द्वितीय चरण में साक्षरता में पुरूष–स्त्री प्रभेद के क्षेत्रीय विषमताओं के विश्लेषण के लिए यहाँ समानता का गुणांक (Coefficient of Equality) विधि* अपनाई गयी है।

विवेचना

घाघरा–गंडक दोआब, राज्य स्तरीय साक्षरता दर (६३.८२ प्रतिशत) की तुलना में (तालिका) उच्चतर आलेखित है। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति स्व० डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की जन्म स्थली जीरादेई (सिवान) द्वारा दोआब पहले ही महिमा मंडित हो चुका है। तालिका–१ द्वारा स्वतंत्रोतर अवधि में दोआब में हुई साक्षरता दर की वृद्धि की प्रवृति का प्रस्फुटन हुआ है। समग्र जनसंख्या का १९५१ की जनगणनानुसार ८.५१ प्रतिशत जनसंख्या दोआब में साक्षर थी। एक दशक बाद १९६१ में स्वतन्त्रता के बाद आए सांस्कृतिक नवोन्मेश के कारण साक्षरता दर में वृद्धि दोगुनी (१६.५६ प्रतिशत) प्रतिवेदित हुई, लेकिन १९६१ से १९७१ का दशक बाढ़, सूखा और भारत–पाकिस्तान तथा भारत–चीन युद्धों के कारण शिक्षा के लिए एक सुस्त दशक प्रभावित हुआ। इस अवधि में साक्षरता दर (१७.३६ प्रतिशत) की वृद्धि नाम मात्र की थी। तदुपरान्त उस क्षेत्र में दूसरा नवोन्मेश १९७१–८१ दशक से प्रारम्भ हुआ, जो २०११ की जनगणना तक उत्तरोत्तर रूप में तीव्रतर होता गया है। सर्वाधिक वृद्धि का कीर्तिमान २००१ एवं २०११ के मध्य स्थापित हुआ जिसमें साक्षर हाने वाली जनसंख्या मुख्यत: महिलाओं की रही। घाघरा–गंडक दोआब में साक्षरता की लैंगिक खाई अब तक के व्याप्त इतिहास के अनुसार प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है, हालांकि पुरूष–स्त्री साक्षरता का अन्तरीय सदा एक सा नहीं रहा है। यहाँ विदेशियों के सत्तासीन होने के पूर्व पर्दा प्रथा के बावजूद शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में स्त्रियों की भागीदारी हुआ करती थी, कालांतर में जब उनकी अस्मिता पर खतरा बढ़ा तो रक्षात्मक दृष्टि से घर की चहारदिवारी से बाहर आना सामाजिक रूप में प्रतिबाधित किया गया है। अंग्रेजों का शासन काल इतना दमनकारी तो था, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा पर उनका भी ध्यान सीमित रहा, क्योंकि उन्हें तो यहाँ शिक्षा उतनी ही देनी थी, जिससे की उनका शासन तंत्र सुचारू रूप से चल सके।

---

* 1

C.E. = X_2 / X_1

Where C.E. = Coefficient of Equality

= X_1 > or = X_2, X_1 and X_2 are the literacy rate of alphas and non alphas respectively.

तालिका–१ घाघरा–गंडक दोआब: लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद

वर्ष	साक्षरता %				
	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	अन्तरीय	स्मानता गुणांक (CE)
१	२	३	४	५	६
१९५१	८.५७	१४.१४	२.०३	१२.११	०.१४
१९६१	१६.५६	२८.४८	४.६३	२३.९१	०.१६
१९७१	१७.३६	२९.४६	५.८४	२३.६२	०.२०
१९८१	२२.६९	३६.१९	९.७४	२६.४५	०.२७
१९९१	३७.२९	५४.८६	१९.७८	३५.०८	०.३६
२००१	४९.८०	६५.३३	३४.८२	३०.५१	०.५३
२०११	६७.७३	७८.६३	५६.९८	२१.६५	०.७२

स्रोत : डी० सी० एच०, सारण (१९५१–१९७१) सिवान एवम् गोपालगंज (१९८१) पी० सी० ए० थ्रू० सी० डी० (१९९१–२०११), सिवान एवम् गोपालगंज।

तलिका ०१ के ५वें ६वें खण्ड के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रोतर अवधि में दोआब में स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तराल (१२.११) आलेखित है। एक दशक बाद १९६१ में यह दो गुणी (२४.३३) प्रतिवेदित हुयी, जो समाज में स्त्री की स्थिति को कालान्तर निम्नतर दर्शाती है। इसके बाद के दशकों में भी यह अन्तराल मध्यम गति से बढ़ता गया, लेकिन १९९१ एवं २००१ की जनगणना में साक्षरता में स्त्री–पुरूष अन्तराल की खाई और गहरी हो गयी। इस तरह बाद के दशकों में राज्य स्तरीय अन्तराल से दोआब में स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तरीय उच्चतर आलेखित है। अर्थात राज्य में स्त्रियों के साक्षरता दर के वृद्धि एवं शिक्षा में आयी क्रान्ति का प्रभाव यहाँ न्यून रहा। वर्तमान में दोआब की महिलाओं की आधी आबादी निरक्षर है। पिछले दशकों में उत्तरोत्तर वृद्धि के पश्चात् स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तराल में गत दशक (२०११) में न्यूनीकरण आलेखित है, जो बिहार में स्त्रियों के साक्षरता दर में वृद्धि एवं शिक्षा में आयी क्रान्ति के परिणामस्वरूप हुआ है।

तलिका–१ के ६वें खण्ड के अवलोकन मात्र से स्वतंत्रोत्तर काल में साक्षरता समानता गुणांक ०.१४ द्रष्टव्य है। इसके पश्चात् के जनगणना वर्ष १९६१, १९७१ एवम् १९८१ में क्रमश: ०.१६, ०.२० एवम् ०.२७ आलेखित की गई। कालान्तर में भी सामान्य वृद्धि द्रष्टव्य हुई, १९९१ की जनगणना में समानता गुणांक ०.३६ आंकलित की गयी, जो बीसवीं सदी के अंतिम दशक तक क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इक्कीसवीं सदी के प्रथम जनगणना में समानता गुणांक (०.५३) में वृद्धि द्रष्टव्य है, जो स्त्रियों की शिक्षा में प्रसार एवम् जागरूकता के कारण हुआ। २०११ की जनगणना में समानता गुणांक ०.७२ द्रष्टव्य है जो महिला साक्षरता में २२.२० प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ, इस प्रकार का आँकड़ा दर्शाता है कि क्षेत्र में बेटियाँ निरक्षरता के अंधकार से आजादी की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

स्थानिक भिन्नताएँ

२००१ जनगणनानुसार दोआब की औसत साक्षरता ४९.८० प्रतिशत आलेखित की गयी। यद्यपि अधिकतम साक्षरता का प्रतिशत सिवान (५९.९५ प्रतिशत) अंचल में निम्नतम साक्षरता बैकुण्ठपुर (४०.८० प्रतिशत) आलेखित की गई। जनगणना वर्ष २०११ में भी सिवान (७४.७८ प्रतिशत) साक्षरता दर उच्चतर वृद्धि के साथ क्षेत्र में प्रथम स्थान पर पदस्थापित रहा। जबकि दोआब में साक्षरता के अन्तिम पायदान पर सिधवलिया (५९.७३ प्रतिशत) को आलेखित किया गया। क्षेत्रीय औसत साक्षरता ६७.७३ प्रतिशत से उच्चतर साक्षरता वाले अंचल सिवान, भगवानपुर हाट, गोपालगंज, जीरादेई, गुठनी, मैरवा, आन्दर, हसनपुरा, हथुवा, उचकागाँव, महाराजगंज, बसंतपुर, हुसैनगंज, रघुनाथपुर, गोरियाकोठी, दरौली, दरौन्धा चिन्हित है। जबकि सिंधवलिया, बैकुण्ठपुर, पंचदिउरी, भोरे, बरौली विजयपुर, लकड़ीनवीगंज, माझा, बरौली, कुचायकोट, फुलवरिया, नौतन, बड़हरिया, सिसवन और पंचरूखी अंचल क्षेत्रीय औसत से निम्नतर आलेखित है।

बीसवीं सदी के प्रथम जनगणनानुसार दोआब में औसत स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तराल ३०.५१ प्रतिशत आलेखित है। औसत से उच्चतर अन्तराल फुलवरिया (३३.२ प्रतिशत), हसनपुरा (३३.०५ प्रतिशत), दरौन्धा (३२.९२ प्रतिशत), नौतन (३२.७८ प्रतिशत), हथुवा (३२.५३ प्रतिशत), सिधवलिया (३२.०८ प्रतिशत) भोरे (३२.६१ प्रतिशत), विजयपुर (३२.५६ प्रतिशत), पंचरूखी (३१.९९ प्रतिशत), महाराजगंज (३१.७८ प्रतिशत), मैरवा (३१.३६ प्रतिशत), बसन्तपुर (३१.६२ प्रतिशत), लकड़ीनवीगंज (३१.५३ प्रतिशत), भगवानपुर हाट (३१.५ प्रतिशत), एवं कटैया (३१.१५) अंचल चिन्हित है। ये वे अंचल हैं, जो अनुमण्डल मुख्यालय, जिला मुख्यालय से निकट स्थित है। उस समय इन अंचलों में शिक्षा का अलख जग चुकी थी लेकिन स्त्रियों में शिक्षा की जागरूकता में अरूचि एवं आधारभूत संरचना की कमी विद्यमान थी। औसत साक्षरता अन्तराल से निम्नतर संघटक, गोपालगंज (२५.७३) एवं सिवान (२६.६८) चिन्हित है, जो शहरी अपेक्षाकृत विकसित अंचल है। जहाँ महिला महाविद्यालय गर्ल्स स्कूल जैसी आधारभूत संरचना के साथ–साथ महिला शिक्षकों का यागदान भी स्त्री साक्षरता वृद्धि में सहायक है। जबकि बैकुण्ठपुर (२६.२९ प्रतिशत), माझी (२८.७३) प्रतिशत रघुनाथपुर (२८.३७) प्रतिशत, हुसैनगंज (२८.४३ प्रतिशत), जीरादेई (२९.३७ प्रतिशत), थावे (२८.६९ प्रतिशत) है। इन संघटकों में साक्षरता संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था है। जहाँ समग्र साक्षरता दर भी न्यून है।

एक दशक पश्चात् २०११ की जनगणना में स्त्री साक्षरता में सुधार एवम् औसत अन्तराल में संकुचन (२१.६५ प्रतिशत) दृष्टव्य है। औसत से उच्चतर साक्षरता अन्तराल बसतपुर (२७.६१ प्रतिशत) चिन्हित है। इसके पश्चात् भगवानपुर हाट (२४.१५ प्रतिशत), भोरे (२४.२३ प्रतिशत), गुठनी (२४.०२ प्रतिशत), बैकुण्ठपुर (२३.४१ प्रतिशत), विजयपुर (२३.५९ प्रतिशत) प्रमुख है। बसतपुर, भगवानपुर हाट में स्त्री साक्षरता के साथ–साथ पुरूष साक्षरता में भारी वृद्धि हुयी है। अन्य संघटकों में समग्र साक्षरता में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है ये संघटक पिछड़े एवम् शहरी क्षेत्रों से दूरस्थ तथा बाढ़ आपदा से ग्रसित क्षेत्र है, औसत साक्षरता अन्तराल से न्यूनतर साक्षरता अन्तराल गोपालगंज (१८.२८ प्रतिशत) आकलित है। इसके पश्चात् सिवान (१८.४६ प्रतिशत), मैरवा (२०.०१ प्रतिशत), माझा (२०.०२ प्रतिशत), रघुनाथपुर (२०.०७ प्रतिशत) प्रमुख है। इन सभी संघटकों में साक्षरता संक्रमण प्रारम्भ हो गयी है। ये संघटक शहरी या यातायात परिवहन तन्त्र एवम् संचार के माध्यम से जुड़े है। इन संघटकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

साक्षरता समानता गुणांक की प्रवृत्ति (२००१–२०११)

अध्ययन क्षेत्र में लिंग आधारित साक्षरता समानता गुणांक में विभिन्नता साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर दशकीय प्रवृति में भी विभिन्नता परिलक्षित है। क्षेत्रीय औसत समानता गुणांक की प्रवृति ०.१८ अंकित की गयी है, जबकि निम्नतम बसतपुर (०.११) एवं उच्चतम क्रमशः बैकुण्ठपुर और हथुआ (०.२३) अंकित है। उपरोक्त प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र को साक्षरता समानता गुणांक की प्रवृति को तीन स्तर में विभक्त किया गया है।

I. उच्च समानता गुणांक की प्रवृति <०.२०
II. मध्य समानता गुणांक की प्रवृति ०.१६–०.१९
III. निम्न समानता गुणांक की प्रवृति >०.१६

I- उच्च समानता गुणांक की प्रवृति; तालिका २, खण्ड १३, एवम् चित्र २ के सिंहावलोकन से स्पष्ट है कि उच्च समानता गुणांक प्रवृति के मुख्य संघटक फुलवरिया (०.२३), सिधवलिया (०.२३), लकड़ी नवीगंज (०.२२), विजयपुर (०.२२), भोरे (०.२२), पंचदिउरी (०.२२), नौतन (०.२१), मैरवा (०.२१), कटैया (०.२१), बड़हरिया (०.२१) एवम् महारागंज (०.२२) चिन्हित है। इनमें फुलवरिया एवम् सिघवलिया उच्चतम समानता गुणांक प्रवृति के साथ स्त्री शिक्षा में सबसे अधिक जागरूक संघटकों के रूप में स्थापित हैं। उपरोक्त संघटकों में २००१ की जनगणना अनुसार स्त्री साक्षरता क्रमशः ३२.५३ प्रतिशत, २७.०१ प्रतिशत एवम् साक्षरता समानता सूचकांक क्रमशः ०.४९, ०.४६ आकलित की गई एक दशक पश्चात् २०११ की जनगणना में स्त्री साक्षरता क्रमशः ५८.६३ प्रतिशत ४९.०२ प्रतिशत एवम् साक्षरता समानता सूचकांक ०.७२ एवम् ०.६९ आकलित किया गया। स्थानिक स्तर पर विगत दशक में सरकार की विभिन्न योजनाओं साइकिल

योजना, पोषाक योजना, महिला शिक्षकों की नियुक्ति एवम् जन–जागरूकता के स्त्री शिक्षा में प्रसार हुआ, जिसके कारण समानता सूचकांक प्रवृति में भारी वृद्धि हुई।

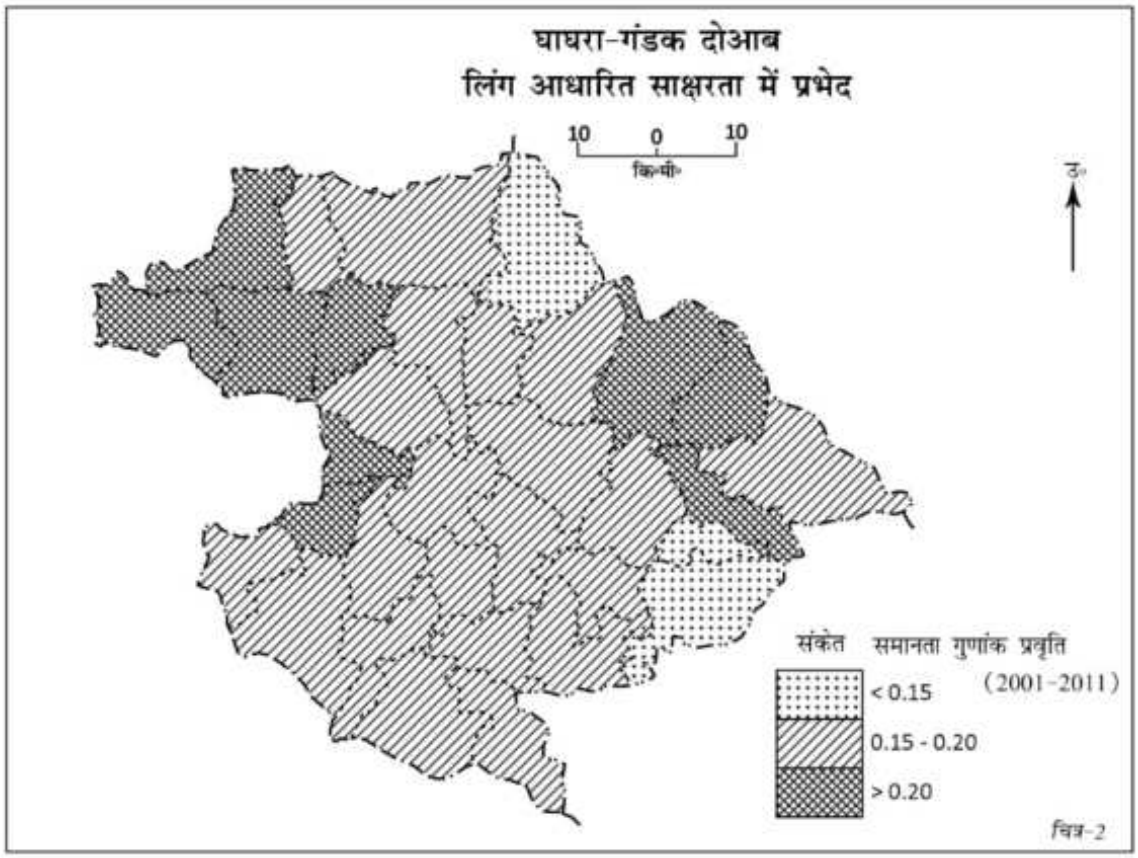

चित्र-2

II. मध्य समानता गुणांक प्रवृत्ति; इस संभाग का विस्तार ०.१६–०.१९ के अन्तर्गत शहर के निकटस्थ विकसित एवम् ग्रामीण पिछड़े दो विपरीत प्रकृति वाले संघटक सम्मिलित है। शहरी जनसंख्यायुक्त अंचल सिवान (०.१९), उचकागाँव (०.१९), जिरादेई (०.१९), रघुनाथपुर (०.१९), में मध्यसमानता गुणांक प्रवृति आकलित है, जहाँ विगत जनगणाना २००१ में साक्षरता समानाता गुणांक क्रमशः ०.५९, ०.५४, ०.५७ एवम् ०.५७ औसत क्षेत्रीय समानता गुणांक से उच्चतर रहा, तथा अगले दशक तक में उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टव्य है। २०११ की जनगणना में मुख्यालय सिवान उच्चतम समानता गुणांक ०.७८ इसके पश्चात् उचकागाँव ०.७३, जिरादेई ०.७३, रघुनाथपुर ०.७४ आकलित है, क्योंकि साक्षरता दर में लिंगभेद की प्रवृति नगरीकरण के स्तर के साथ–साथ घटती रहती है (तिवारी, १९९७)।

इसके विपरीत ग्रामीण जनसंख्या युक्त अंचल बैकुण्ठपुर ०.१९, माझा ०.१८, दरौली ०.१८, हुसैनगंज ०.१८, सिसवन ०.१८, गुठनी ०.१७, आन्दर ०.१७ एवम् गोरियाकोठी ०.१६ में भी मध्य समानता गुणांक प्रवृति आकलित है। ये अंचल दोआब के मध्यवर्ती पेटी से दूरस्थ घाघरा एवम् गंडक नदियों के सहारे फैले हुए है, इन संघटकों में सुरहन की संभावनाएँ, अनुपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति कारक है जो स्त्री शिक्षा के लिए कारक निरूत्साहक है। २००१ एवम् ११ जनगणनानुसार बैकुण्ठपुर के अतिरिक्त शेष सभी ग्रामीण संघटकों का समानता गुणांक क्षेत्र औसत लगभग बराबर रहा। बैकुण्ठपुर में २००१ में समानता गुणांक ०.४९ आकलित किया गया लेकिन एक दशक में २४.१७ प्रतिशत की वृद्धि के कारण समानता गुणांक ०.६८ आकलित की गयी। इस प्रकार बाढ़ ग्रस्त, दूरस्थ अंचलों में भी साक्षरता समानाता की शुभ संकेत मिलता है।

III. निम्न समानता गुणांक प्रवृत्ति; निम्न प्रवृत्ति स्तर के संघटकों में भगवानपुर हाट (०.१५), गोपालगंज (०.१५), एवम् बसंतपुर है, जहाँ २००१ की जनगणना में ही स्त्री साक्षरता क्रमशः ३८.८७ प्रतिशत, ३९.३९ प्रतिशत एवम् ३६.१० प्रतिशत क्षेत्रीय औसत साक्षरता ३०.५१ प्रतिशत से उच्चतर आकलित किया गया, अर्थात् ये संघटक इक्कीसवीं सदी के प्रथम

जनगणना में ही स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक थे। इस सदी में साक्षरता समानता गुणांक गोपालगंज (०.६१), भगवानपुर (०.५३), बसंतपुर (०.५१) भी क्षेत्रीय औसत से उच्चतर आकलित किया गया। एक दशक पश्चात् (२०११) में समानता गुणांक में साधारण वृद्धि क्रमशः ०.७६, ०.७०, एवम् ०.६४ आकलित की गयी। गोपालगंज के अतिरिक्त दोनों संघटक क्षेत्रीय औसत समानता गुणांक ७२ से कम आकलित किया गया अर्थात् इन दोनों संघटकों में क्षेत्रीय स्तर की तुलना में स्त्री सक्षरता में वृद्धि प्रसार कम हुआ है।

तालिका—०२

घाघरा–गंडक दोआबः लिंग आधारित साक्षरता में प्रभेद

क्र0 सं0	अंचल	साक्षरता – 2001				साक्षरता – 2011						समानता गुणांक प्रवृति (2001–2011)
		व्यक्ति	पुरूष	स्त्री0	अन्तरीय	समानता गुणांक CE(X2/X1)	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	अन्तरीय	समानता गुणांक CE= X2/X1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नौतन	49.19	65.78	33.00	32.78	0.50	68.72	80.11	57.23	22.88	0.71	0.21
2	सिवान	59.95	71.93	42.25	26.68	0.59	74.78	83.43	64.97	18.46	0.78	0.19
3	बड़हरिया	49.26	64.50	34.81	26.69	0.53	68.93	79.28	58.11	21.17	0.73	0.20
4	गोरिया कोठी	50.29	65.79	35.98	29.81	0.55	67.17	78.70	55.94	22.76	0.71	0.16
5	लकड़ी नवीगंज	45.45	61.71	30.18	31.53	0.49	64.46	75.55	53.78	21.77	0.71	0.22
6	बसंतपुर	51.22	67.72	36.10	31.62	0.53	67.70	77.81	50.20	27.61	0.64	0.11
7	भगवानपुर हाँट	53.78	70.41	38.87	31.54	0.55	70.35	81.26	57.11	24.15	0.70	01.15
8	महाराजगंज	51.37	68.28	36.5	31.78	0.53	68.49	79.47	57.88	21.59	0.73	0.20
9	पंचरूखी	49.77	66.12	34.13	31.99	0.52	69.07	80.59	58.30	22.29	0.72	0.20
10	हुसैनगज	50.93	65.16	36.73	28.43	0.56	69.04	79.18	58.57	20.61	0. 74	0.18
11	जिरादेई	53.31	68.17	38.80	29.37	0.57	70.55	81.59	59.74	21.85	0.73	0.16
12	मैरवा	53.25	69.05	37.29	31.76	0.54	71.46	81.30	61.29	20.01	0.75	0.21
13	गुठनी	52.44	68.51	37.10	31.41	0.54	70.96	82.49	58.48	24.01	0.71	0.17
14	दरौली	50.13	65.14	36.08	29.06	0.54	69.08	80.12	58.04	22.08	0.72	0.18
15	आन्दर	52.38	68.14	37.68	30.46	0.55	69.15	80.53	58.22	22.31	0.72	0.17
16	रघुनाथपुर	50.90	65.89	37.52	28.37	0.57	68.16	78.11	58.01	20.7	0.74	0.17
17	हसनपुरा	51.72	68.90	35.85	33.05	0.52	68.35	80.11	57.45	22.61	0.72	0.20
18	दरौन्धा	50.18	67.27	34.35	32.92	0.51	68.82	80.93	57.17	23 76	0.71	0.20
19	सिसवन	49.47	65.13	35.24	29.89	0.54	68.47	79.52	57.37	22.18	0.72	0.18
20	कटैया	47.90	63.94	32.79	31.15	0.51	66.73	78.21	56.45	21.76	0.72	0.21
21	विजयपुर	44.67	61.48	28.92	32.56	0.47	64.03	76.44	52.85	23.59	0.69	0.22
22	भोरे	44.14	60.86	28.25	32.61	0.46	63.54	76.05	52.03	24.02	0.68	0.22
23	पंचदिउरी	42.10	59.21	28.28	30.93	0.48	61.82	73.11	51.15	21.96	0.70	0.22
24	कुचायकोट	48.98	65.46	33.34	31.22	0.52	66.86	77.91	55.99	21.92	0.72	0.20
25	फुलवरिया	49.10	65.73	32.53	33.2	0.49	69.91	8.19	58.63	22.56	0.72	0.23
26	हथुआ	51.55	67.81	35.26	32.55	0.52	69.76	80.69	57.70	22.99	0.72	0.20

27	उचकागांव	51.36	66.32	36.11	30.21	0.54	68.80	79.93	58.43	21.5	0.73	0.19
28	थावे	54.54	68.61	39.92	28.69	0.58	69.44	79.78	58.76	21.02	0.74	0.16
29	गोपालगंज	53.31	65.66	39.93	25.73	0.61	68.09	77.09	58.84	18.25	0.76	0.15
30	माझा	46.55	60.84	32.14	28.73	0.54	64.00	74.35	54.33	20.02	0.73	0.18
31	बरौली	44.30	59.72	29.96	29.76	0.52	62.88	73.68	52.43	21.27	0.71	0.21
32	सिधवलिया	42.89	59.09	27.01	32.08	0.46	59.73	70.67	49.02	21.65	0.69	0.23
33	बैकुण्ठपुर	40.80	51.37	25.08	26.29	0.49	61.02	72.39	49.25	23.41	0.68	0.19
घाघरा–गंडक दोआब		49.80	65.33	34.82	30.51	0.53	67.73	78.63	56.98	21.65	0.72	0.18

स्त्रोत :– शोधार्थी द्वारा परिकलित

निष्कर्ष

घाघरा–गंडक दोआब में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पुरूष स्त्री साक्षरता क्रमशः वृद्धि दृष्टव्य है, यद्यपि प्रभेद में न्यूनीकरण हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता के प्रसार के कारण हुआ है। यह प्रसार सभी क्षेत्रों में समान नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय सिवान एवं गोपालगंज में स्त्री–पुरूष साक्षरता अन्तरीय न्यूनतम है, जबकि बसंतपुर, गठनी, महाराजगंज, भोरे गुठनी संघटकों में साक्षरता अन्तरीय उच्चतर से स्पष्ट है कि क्षेत्र में स्त्री साक्षरता का प्रश्न अभी भी विद्यमान है।

यद्यपि २००१ की जनगणना में समानता गुणांक ०.५३ की तुलना में २०११ समानता गुणांक ०.७२ एवम् दशकीय (२००१–११) समानता गुणांक प्रवृत्ति ०.१८ परिगणित किया गया है, निम्नतम समानता गुणांक प्रवत्ति बसंतपुर (०.११), इसके पश्चात् गोपालगंज (०.१५), भगवानपुर (०.१५), थावे (०.१६), जिरादेई (०.१६), गोरियाकोठी (०.१६), रघुनाथपुर (०.१७) प्रमुख संघटक चिन्हित है। इन क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता में वृद्धि एवम् गत दशक की अपेक्षा कम हुआ है। औसत से उच्चतर समानता गुणांक प्रवृत्ति सिधवलिया (०.२३), फुलवरिया (०.२२), लकड़ी नवीगंज (०.२२), विजयपुर, भोरे (०.२२), पंचदिउरी (०.२२), बरौली (०.२१), एवम् नौतन प्रमुख है, जहाँ स्त्री साक्षरता का विकासोन्मुख परिदृश्य परिलक्षित है, जो केन्द्र एवम् राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क शिक्षा इत्यादि के क्रियान्वयन एवम् शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि, शिक्षक–छात्र अनुपात में सुधार, महिला शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में शौचालय का निर्माण, साथ ही यातायात परिवहन, संचार के साधनों में प्रसार इत्यादि के कारण हुआ है।

संदर्भ सूची

चान्दना, आर० सी० (१९८६) –*ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन कान्सेप्ट डिटर्मेन्टस एण्ड पैटर्नस,* कल्याणी पब्लिशर्स न्यू देलही, पृष्ठ संख्या १

कृष्ण, जी० एण्ड श्याम, एम० (१९७३) –*''स्पेशियल परस्पेक्टिव आन प्रोग्रेस ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इण्डिया, १९०७–७१''*, पेसेफिक न्यू प्वाइंट, वॉल्यूम –१४

किंग्सले, डेविड (१९५१) –*द पॉपुलेशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान,* द प्रिन्सिपल यूनिवर्सिटी प्रिन्सक्टकन

चान्दना, आर० सी० (१९९७) –*जनसंख्या भूगोल,* कल्याणी पब्लिशर्स, न्यू देलही, पृ० २३६

सेन्सस ऑफ इण्डिया (२००१) –पी० सी० ए० थ्रू० सी० डी० डिस्ट्रिक्ट सिवान

सेन्सस ऑफ इण्डिया (२००१) –पी० सी० ए० थ्रू० सी० डी० डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज

सेन्सस ऑफ इण्डिया (२०११) –पी० सी० ए० थ्रू० सी० डी० डिस्ट्रिक्ट सिवाान

सेन्सस ऑफ इण्डया (२०११) –पी० सी० ए० थ्रू० सी० डी० डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज

तिवारी, वि०कु० (१९९७) –*भारत का जनसंख्या भूगोल,* भाग–२, हिमालय पब्लिसिंग हाउस, मुम्बई, पृष्ठ संख्या ७८

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008 भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,32-34**
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777 प्रकाशनार्थ स्वीकृत 15 अप्रैल 2018

डॉ० एनी बेसेन्ट का भारत को सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान : एक समीक्षा

डॉ० स्मृति भटनागर*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *डॉ० एनी बेसेन्ट का भारत को सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान : एक समीक्षा* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *स्मृति भटनागर* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

डॉ० एनी बेसेन्ट का भारतीय रेनेसां के समाज सुधारक नेताओं में एक विशिष्ट स्थान है आइरिश मूल की इस महिला का संबंध ा एक रूढ़िवादी कैथलिक परिवार से था किन्तु उनका मन सदैव बेचैन रहता था आरंभ से ही वे चर्च की बातों पर संदेह करने लगी थीं उनका विवाह भी एक Catholic Clergyman फ्रेंक बेसेण्ट से हुआ था विवाह के पश्चात प्रश्न–तर्क बढ़ते गए और द्वन्द भी बढ़ते गए आखिरकार इसकी परिणति दोनों के संबंध विच्छेद में हुई डॉ० एनी बेसेन्ट गीता, उपनिषद् तथा अन्य हिन्दू धर्म–ग्रन्थों का अध्ययन करती रहीं हिन्दू, धर्म की ओर झुकाव बढ़ता चला गया इसी बीच वे थियोसौफीकल सोसायटी की संस्थापक मैडम ब्लावात्सकी तथा कर्नल ऑलकॉट के संपर्क में आयी। मैडम ब्लावात्सकी की प्रसिद्व पुस्तक Secret of Doctrine की समीक्षा लिखी १८९२ में ब्लावात्सकी के न्यौते पर वे थियोसौफीकल सोसायटी की सक्रिय सदस्य बन गयीं। इसी वर्ष सोसायटी के हैड क्वार्टर मद्रास में एडियार आ गयीं तथा भारत में बस गयीं इस प्रकार भारत आने के पूर्व ही वे भारतीय बन चुकी थी।

सोसायटी की एक सक्रिय सदस्य के रूप में समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाज सुधारक के रूप में कार्य करती रहीं वस्तुत: उन्हें औपनिवेशिक भारत के लिए काम करना था समाज के सभी धर्मों और वर्गों के प्रति उनका एक समान दृष्टिकोण था डॉ० एनी बेसेन्ट यूनीवर्सल ब्रदर हुड (Universal Brotherhood) की स्थापना करना विशेष रूप से इंग्लैण्ड और भारत के यूनीवर्सल ब्रदर हुड की स्थापना करना चाहती थी जिसका आधार वो प्राचीन हिन्दू विचार था कि सभी धर्मों का आर्विभाव ईश्वर से होता है और सभी धर्मों का विलय ईश्वर में ही होता है गीता में भगवान के अवतार भी समय–समय पर त्राणकर्ता के रूप में पाये जाते हैं अत: इस सत्य के आधार पर समाज में सभी धर्मावलम्बियों को समान भाव से भाई

* एसोसिएट प्रोफेसर, वसन्त कन्या महाविद्यालय (सम्बद्ध काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) भारत। (पुनः प्रकाशित)

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

के रूप में रहना चाहिए साहिष्णुता, उदारता तथा जियो और जीने दो की भावना से रहना चाहिए तभी एक अखिल एकीकृत भारत का निर्माण हो सकेगा।

डॉ० एनी बेसेन्ट भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की स्थापना की पक्षधर थीं, वो भारत को आध्यात्मिक रूप से एक शक्तिशाली देश के रूप में देखना चाहती थीं जिसकी आध्यात्मिक ज्योति निरंतर जलती रहेगी।

डॉ० एनी बेसेन्ट ने हिन्दू धर्म को समग्ररूप में अर्थात् एकेश्वरवाद और बहुदेववाद Monothism and Polithism स्वीकार कर लिया था उनके विचार से हिन्दू धर्म पूर्ण दार्शनिक आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक धर्म है उन्होंने कर्मवाद, पुनर्जन्म और मुक्तिमार्ग की आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में व्याख्या की।

डॉ० एनी बेसेन्ट ने एक राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक रूप से एकीकृत भारत के निर्माण के लिए वृहत् शिक्षा प्रणाली की योजना तैयार की थी उनकी दृष्टि में भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है अत: आवश्यक है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए ऐसी शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति हो जो भारतीय युवा को उसके धर्म संस्कृति से संबद्ध करे तथा निरंतर प्रगतिशील आधुनिक विश्व की मांगों को पूर्ण करने में सक्षम हो अर्थात् आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा भी सम्मिलित की जाय। डॉ० एनी बेसेन्ट की हिन्दू धर्म तथा संस्कृति में इतनी गहरी पैठ थी कि वो छात्रों के पाठ्यक्रम में धर्म व संस्कृति से सम्बन्धित पुस्तकों को सम्मिलित करना आवश्यक समझती थी, ऐसी पुस्तकें जो हिन्दू धर्म तथा देवी–देवताओं के प्रति अज्ञानता जनित घृणा भाव से न लिखी गई हो[१] बल्कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें विदेशी इतिहास तथा भूगोल के स्थान पर भारतीय इतिहास तथा भूगोल का ज्ञान हो। यह किसी भी देश की अस्मिता के लिए आवश्यक है। उसकी अस्मिता अब तक परीक्षा उत्तीर्ण उद्देश्यवाली शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। परन्तु अब इसके साथ छात्रों को शारीरिक, नैतिक, बौद्रिक तथा आध्यात्मिक पक्ष की समृद्ध शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए।[२] विज्ञान और टैक्नोलॉजी की शिक्षा भारतीयों को कृषि उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में सक्षम करने के लिए आवश्यक है। डॉ० एनी बेसेन्ट के अनुसार आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा में भारतीयता, देश–भक्ति, राष्ट्रीय एकता सबल चरित्र व अनुशासन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

डॉ० एनी बेसेन्ट की दृष्टि से नारी शिक्षा की आवश्यकता छुपी नहीं थी। आदर्श उन्नत आध्यात्मिक भारत के निर्माण में नारी शिक्षा की महत्ता को वे भलीभाँति समझती थीं। योग्य चरित्रवान नागरिकों के निर्माण उच्च चरित्र, नैतिक स्तर की माताओं का निर्माण इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। १९०४ में उन्होंने सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, १९१४ में उन्होंने मालवीय जी को ये विद्यालय सौंप दिया जो बी०एच०यू० का एक अंग बन गया। थियोसौफिकल सोसायटी ने डॉ० एनी बेसेन्ट की राष्ट्रीय शिक्षा योजना के आधार पर उनकी स्मृति में जिन वाराणसी में जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई वो इस प्रकार है १९३९ में शिशु विहार तथा बेसेन्ट थियोसौफीकल स्कूल तथा वसन्त कन्या महाविद्यालय कमच्छा। उन्होंने माना कि एक संवेदनशील राष्ट्रनिर्माण के लिए महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना आवश्यक था। अत: उन्होंने माना कि महिलाओं के परदे में रहने की परंपरा को समाप्त करने से उनका अलगाव भी समाप्त होगा। हिन्दू समाज की दूसरी विसंगति बाल विवाह इत्यादि के विरूद्ध आवाज उठाई। १९१३ में Brothers of Service की स्थापना की।

परिवार एक उन्नत समाज की सबसे छोटी पर अहम इकाई है। एक स्त्री के लिए अच्छी पत्नी होना अति आवश्यक है। अत: गृह विज्ञान नारी शिक्षा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बना। उन्हें पश्चिमी महिलाओं के आक्रामक स्वरूप के स्थान पर भारतीय महिलाओं का कोमल मर्यादित मृदु स्वरूप बहुत पसंद था। उनके विचार से ऐसी महिलाएँ ही एक आदर्श परिवार की स्थापना कर सकती हैं।[३]

अपने भारत प्रवास के आरंभिक वर्षों में डॉ० एनी बेसेन्ट भारत की जाति व्यवस्था की प्रशंसक थीं। उनके मत में जाति व्यवस्था ने भारत के सामाजिक ढाँचे को मजबूती प्रदान की। भारतीय संस्कृति तथा धर्म को अनेक झंझावातों के पश्चात् भी सुरक्षित रखा, जबकि यही वर्ग पश्चिम में भी मौजूद है जो शोषण तथा अन्याय में वृद्धि करते हैं। उन्होंने हिन्दू विश्वास को तर्क पूर्ण स्वीकार किया कि पुनर्जन्म कर्म आधारित है किन्तु धीरे–धीरे उन्होंने ये पाया कि लोग जाति के विपरीत व्यवसाय करते हैं जो आधुनिक प्रगतिशील विश्व की मांग भी है तथा लोग भी अपनी जाति अनुसार उस

प्रकार का व्यवहार नहीं करते। वास्तव में एनी बेसेन्ट जाति–व्यवस्था के उस मूल तथा शुद्ध स्वरूप की प्रशंसक थीं जिसके फलस्वरूप गुप्तकाल के स्वर्ण–युग का उदय हुआ। परंतु उन्होंने आधुनिक भारतीय समाज की विसंगतियों का विरोध भी श्रीमद्भगवद्गीता तथा वेदों के आधार पर ही किया।

डॉ० एनी बेसेन्ट ने थियोसौफिकल सोसायटी के माध्यम से दलितों तथा किसानों के लिए १९१३ में Wake up India नामक व्याख्यान माला की शुरूआत की जिसका भारतीय समाज पर क्रान्तिकारी तथा गुणात्मक प्रभाव पड़ा।

भारत के राजनीतिक नव–निर्माण के लिए १९१६ में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के साथ मिलकर होमरूल आन्दोलन चलाया जो सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा भारत के राजनीतिक नव–निर्माण के लिए उन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों से हाथ मिलाने का आग्रह किया। ये डॉ० एनी बेसेन्ट के प्रयासों के फल थे कि कांग्रेस में १९१६ में एकता की स्थापना हुई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन पुनः सक्रिय हो उठा। १९१७ में वे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनायी गयी, उन्होंने घर–घर स्वराज का प्रचार किया New India तथा Common Wheel जैसे समाचार पत्रों का सम्पादन किया जिनके माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता का बिगुल बज उठा। १९१७ में जब सरकार के आदेश पर उन्हें नज़रबंद किया गया तो इतना जनदबाव पड़ा कि तीन ही महीने में सरकार को उन्हें मुक्त करना पड़ा।

डॉ० एनी बेसेण्ट एक ऐसी विदेशी महिला थीं जिनकी रग–रग में भारत तथा भारतीय संस्कृति रची बसी हुई थी उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि मान लिया था। वे भारत के हर पक्ष का भारतीयकरण चाहती थी। पूरब के जीवन पर पश्चिम का सम्मिश्रण तो चाहती थी। परन्तु पाश्चात्य भौतिकवाद को भारतीय आध्यात्मिकता पर अभिशाप मानती थी। भारत के प्रति उनका समर्पण, त्याग तथा सेवा अनुकरणीय थी। वास्तव में उनका समूचा जीवन दर्शन, व्यक्तित्व और आत्मा सभी कुछ भारतीय था।

संदर्भ ग्रन्थ

The Birth of New India- Annie Basant, Adiyar 1917
Religious Problem in – Annie Basant, India
Idealist Thought of India – Rajei P.T
Modern Indian Thought – Narvane V. S
The meeting of East and west in sri Aurobindo's Philorophy –Maitra S.K

HINTS

[1]*Education as a National Duty.*
[2]*Hindu Ideals.*
[3]*Hindu Ideals,* P.101

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,35-39**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 19 अप्रैल 2018

अग्निपुराण में नृत्य-तत्त्व

श्रीमती यास्मीन सिंह*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *अग्निपुराण में नृत्य-तत्त्व* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *यास्मीन सिंह* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

सारांश

धर्म के साथ–साथ नृत्य एवं नाट्य की दृष्टि से अग्निपुराण का विशेष स्थान है। इस पुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि इसमें नृत्य व नाट्य विषयक तत्वों को वर्णन किया गया है। शास्त्रीय नृत्यों में इन सभी तत्वों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये नृत्य– नाट्य तत्व वहीं है, जिनका विषद् वर्णन भरत ने नाट्यशास्त्र एवं अन्य परवर्ती आचार्यों ने अपने–अपने ग्रंथों में सविस्तार किया है। अग्निपुराण में न केवल नृत्य का उल्लेख प्राप्त होता है, अपितु संयुक्त एवं असंयुक्त हस्त मुद्राओं सहित विभिन्न नृत्यात्मक तथ्यों का वर्णन भी किया गया है। अग्निपुराण में नृत्य–तत्वों का प्राप्त होना, इस बात का प्रमाण है, कि नृत्य प्रारंभ से ही देवताओं का प्रिय रहा है। इसके लोक–मनोरंजन के साथ–साथ ईश्वरीय भक्ति और परम आनन्द की प्राप्ति का सशक्त माध्यम भी माना जाता रहा है।

संकेत शब्द (Key Word) : १. प्राचीन भारत (*Ancient India*), २. सनातन सभ्यता और संस्कृति (*Ancient Civilization and Culture*), ३. धर्म (*Religion*), ४. कला (*Art*), ५. संस्कृत साहित्य एवं पुराण (*Sanskrit Literature and Puranas*), ६. अग्निपुराण में नृत्य–तत्व (*Dance Principle in Agnipapuran*), ७. नृत्यकला (*Art of Dancing*), ८. अंगाभिनय (*Body Movements*), ९. नाट्यशास्त्रीय अवधारणा (*Concept of Natyasastra*), १०. तुलनात्मक अध्ययन (*Comparative Study*)

भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति के समानान्तर विभिन्न धर्म, और सम्प्रदायों की स्थापना हुई। इतिहास इस बात का साक्षी है, कि प्राचीन भारत सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अपेक्षाकृत सम्पन्न रहा है। संस्कृति और सभ्यता के ही समानान्तर प्राचीन भारतीय समाज में 'कला' नामक एक ऐसा पक्ष भी रहा है, जिसने सदैव मनुष्य को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया। एक जन–प्रचलित उक्ति है, कि 'आवश्यकता ही अविष्कार की जननि है।' कहीं–न–कहीं मनुष्य ने प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही मानसिक एवं हृदयगत संवेदनाओं की जिस प्रक्रिया को माध्यम

* (पीएच०डी०-स्कॉलर) कथक नृत्यांगना-रायगढ़ घराना, भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

के रूप में चुना, उसे 'कला' कहा गया। कला का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, किन्तु कला मानव सभ्यता के समानान्तर चलती रही। एक ओर कला ने जहाँ धर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्ति का साधन बनी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक रूप से पल्लवित होती कला ने लोक को रंजित भी किया। आवश्यकता, अनुकूलता और अभिव्यक्ति के बीच कला के नित नये रूप–स्वरूप ने आकार लिया और मनुष्य की संवेदनाओं को आत्मसात् कर उन्हें उद्घाटित किया।

सर्वप्रथम कला को 'लोक' में आश्रय प्राप्त हुआ और धीरे–धीरे यह पल्लवित होती गई। 'लोक' में संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से कला परिष्कृत होती गयी और सनातन धर्म ने इसे आधार प्रदान किया। इतिहास के अध्ययन से यह बात पुष्ट होती है, कि प्रत्येक काल में कला ने स्वयं को नये–नये कलेवर में प्रस्तुत किया है और आज भी कर रही है।

कला का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण वेदों को माना गया है और इसके बाद पुराणों का स्थान आता है। विभिन्न पुराणों में जिन विषयों का भी उल्लेख किया गया है, वह वेदों का ही सार–तत्व है तथा अपेक्षाकृत अधिक विस्तारित है। पौराणिक काल या पुराणों का काल से तात्पर्य वेदों या वैदिक काल के बाद का वह समयान्तराल जिसमें पुराणों की रचना की गयी। पुराण अर्थात् जो 'पुराना' होकर भी नया हो, उसे पुराण कहा गया है। पुराण अठ्ठारह माने गये हैं और अठ्ठारह उप–पुराण माने गये हैं। इन पुराणों को दो भागों में विभक्त किया गया है– वैष्णव एवं शैव। जिन पुराणों में विष्णु की महिमा बताई गई है, उन्हें 'वैष्णव पुराण' और जिन पुराणों में शिव की महिमा बताई गयी है, उन्हें 'शैव पुराण' कहा जाता है। 'लौकिक भाषा में पुराना वस्त्र, पुरानी पुस्तक कहकर पुराण की प्राचीनता को सिद्ध करता रहा है, जो प्राचीनकाल से चला आता हो, उसी को 'पुराण' कहा गया है। प्रारम्भिक अवस्था में यह शब्द 'पुराने आख्यान' के रूप में प्रचलित था। इतिहास के साथ ही यह शब्द ब्राह्मण, उपनिषद् और प्राचीन बौद्ध साहित्य में आया है। ये भी वेद के व्याख्या ग्रंथ हैं। इन पुराणों में महाभूतों की सृष्टि, समस्त चराचर की सृष्टि, वंशावली मन्वनतर वर्णन और प्रधान वंशों के व्यक्तियों का क्रमशः वर्णन है।'[१]

अब प्रश्न यह है, जब वैदिक काल में जब वेदों की रचना हो चुकी थी, तो पुराणों की रचना क्यों की गयी? क्योंकि विद्वानों के अनुसार वेदों में मानव के सम्पूर्ण जीवन एवं इससे जुड़े सभी तथ्य उपस्थित हैं। इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए डॉ० पूर्णिमा केलकर का मत है, कि– 'वेदों के पश्चात् पुराणों की रचना के मूलतः दो कारण उल्लेखनीय जान पड़ते हैं– प्रथम तो सामाजिक वर्ण व्यवस्था तथा दूसरा कारण वेदों को वैदिक भाषा में लिखा जाना। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में वेदों का पाठ मात्र एक वर्ग विशेष ही कर सकता था। इसे पढ़ना या सुनना आम जन के लिए निषिद्ध माना जाता था। इसी प्रकार वेदों की रचना मूलतः 'वैदिक' संस्कृत भाषा में की गयी, जो 'लोक' में प्रयुक्त भाषा की अपेक्षा अधिक कठिन थी। अतः पुराणों की रचना हेतु आचार्यों ने लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, जिससे वेदों में वर्णित विषय जन–सामान्य के लिए सुलभ हो सकें।[२] माना जाता है, कि पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई। 'वेदों को पृथक् रूप से संकलित करने के कारण कृष्ण– द्वैपायन को 'व्यास' नाम से अभिहित किया गया– 'वेदान् विव्यास यस्मात्स वेदव्यास इति स्मृतः।''[३]

पुराण काल में शिवपुराण, विष्णु पुराणादि अठ्ठारह पुराणों की रचना की गयी, जिनमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि विषयों के साथ–साथ लोकजीवन एवं ललित कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर आध्यात्म की दृष्टि से भी पुराणों का सनातन धर्म में विशेष महत्त्व व स्थान रहा है। जहाँ तक पुराणों के रचना–काल का प्रश्न है, तो इसमें विद्वानों के अपने–अपने मत रहे हैं। डॉ० हरिनारायण दुबे का मत है, कि– 'तिथि की सामान्य सीमा रेखा ग्यारहवीं–बारहवीं अती स्वीकार करना यथोचित प्रतीत होता है, क्योंकि अल्बरूनी से लेकर परवर्ती अनेक निबन्धकारों ने इन पुराणों से अपना घनिष्ट परिचय प्रस्तुत किया है। निबन्ध ग्रन्थों में अनेक पुराणांश तथा श्लोक सुरक्षित मिलते हैं। तिथि पर अपने विद्वतापूर्ण एवं गवेषणात्मक दो लेखों में शिवदत्त ज्ञानी ने पुराणों के वर्ण्य–विषयों को इस संदर्भ में विशेष उपयोगी माना है। इनके अनुसार प्रत्येक पुराण की रचना–तिथि पर वर्ण्य–विषयों के विश्लेषण के आधार पर अलग–अलग तिथियाँ सुनिश्चित की जा सकती हैं।'[४] अर्थात् ऐसे पुराण (यथा– वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य, भागवत आदि) जिनमें ऐतिहासिक राजवंशावलियाँ उल्लिखित हैं, का प्राथमिक संकलन काल आन्ध्र नृपति यज्ञश्री के शासन–काल (द्वितीय शताब्दी का अन्त) में प्रतिपादित किया जा सकता है। इसके विपरीत जिन पुराणों में प्रारम्भिक गुप्तवंशीय नृपतियों का वर्णन मिलता है, उनकी रचना ५वीं शताब्दी के लगभग मानने में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता। पुराणों के कलेवर–विकास में जो विभिन्न अवस्थाएँ उपलब्ध हैं। डॉ०

दुबे ने पुराणों के सम्पूर्ण रचना–काल को चार भागों में विभक्त कर स्पष्ट करने का प्रयास किया है– 'आख्यान अवस्था वैदिक काल से लेकर महाभारत–युद्ध तक, अर्थात् लगभग १२०० ई०पू० से ९५० ई०पू० तक की समयावधि। 'विलगाव की अवस्था' ९५० ई०पू० से ५०० ई०पू० तक निश्चित की जा सकती है। इसी प्रकार 'पंचलक्षण अवस्था' के आधार पर ५०० ई०पू० से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक एवं 'साम्प्रदायिक अवस्था' के आधार पर ईसा की प्रथम शती से लेकर ७०० ई० तक। उक्त समयावधि के अतिरिक्त ज्योतिष के आधार पर भी ग्रंथों के काल निर्धारण का विशेष महत्त्व है। ज्योतिष के आधार पर निकाला गया समय सही माना जाता है। पुराणों की काल गणना में भी ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग किया गया है।'[५]

'वराह मिहिर के अनुसार– पुराणों के रचना समय में अश्विनी नक्षत्र के आरम्भ में ही सम्पात बिन्दु जहाँ हो उससे एक चतुर्थांश खगोल के पूर्व भाग में अर्थात् पौने सात नक्षत्र पूर्ण उत्तरायण होता है। वराहमिहिराचार्य ने यह भी लिखा है, कि वराह– मिहिर के समय में उत्तरायण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में होता था। वर्तमान में सम्पात– बिन्दु उत्तराभाद् पद के प्रथम चरण के चतुर्थ अंश पर है। इस प्रकार गणना करने पर आज पूरा एक नक्षत्र और प्राय: १० अंश वराहमिहिर के बाद सम्पात बिन्दु हटा, मानने पर। सम्पात बिन्दु के एक अंश हटने में ७२ वर्ष का समय लगता है। एक नक्षत्र का अतिक्रमण करने में ९६० वर्ष लगते है। इस गणना से आज वराहमिहिर का काल ९६०+७२० = १६८० वर्ष पूर्व सिद्ध होता है, यह निश्चित प्रमाण माना जा सकता है।'[६]

पुराणों की संख्या १८ मानी गयी है। प्राय: सभी पुराणों में इन १८ पुराणों का नाम प्राप्त होता है। देवीभागवत आद्य अक्षर के निर्देश से अष्टादश पुराणों का नाम इस लघुकाल अनुष्टुप् में निबद्ध कर दिया है– ''मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्। अनापद् लिंग–कू–स्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्।।'' (१.३.२१) देवी भागवत। अर्थात् 'मकारादि' से मत्स्य तथा मार्कण्डेय पुराण; 'भकारादि' से भागवत तथा भविष्य पुराण; 'ब्रत्रयम् से ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त तथा ब्रह्माण्ड पुराण; 'वकारादि' से वरुण, वामन, विष्णु, वराह पुराण; 'अकार' से अग्नि पुराण, 'नकार' से नारद पुराण; 'पकार' से पह्म पुराण; 'लिंग' से लिङ्ग पुराण; 'कू' से कूर्म पुराण एवं 'स्का' से स्कन्ध पुराण निदर्शित किया गया है। इस प्रकार अतिसंक्षेप में आदि के वर्णों को लेकर पुराणों के अठ्ठारह नाम गिना दिये गये हैं। कई पुराणों में किसी भी क्रम से नाम निर्देश मात्र कर दिया गया है, क्रम की विवक्षा नहीं की गई। किन्तु कई पुराणों में क्रम निर्देश भी है। वहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कहकर पुराणों के नाम कहे गये हैं।

नृत्य एवं नाट्य की दृष्टि से अग्निपुराण का विशेष स्थान है। इस पुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि इसमें क्रमश: ३३८वें अध्याय में 'नाटक–निरूपण'; ३३९वें अध्याय में रस, भाव तथा नायकादि का वर्णन; ३४०वें अध्याय में 'रीति–निरूपण'; ३४१वें अध्याय में 'नृत्यादि आदि में उपयोगी आंगिक कर्म'; ३४२वें अध्याय में 'अभिनय एवं अलंकारों का निरूपण' प्राप्त होता है। शास्त्रीय नृत्यों उपर्युक्त वर्णित सभी तत्व महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनका विषद् वर्णन भरत ने नाट्यशास्त्र एवं अन्य परवर्ती आचार्यों ने अपने–अपने ग्रंथों में सविस्तार किया है।[७]

अग्निपुराण में नृत्यकला के अंतर्गत आंगिक चेष्टायें अर्थात् अंग–प्रत्यंग कर्म, आभूषण, वस्त्रालंकार एवं वेषभूषा का वर्णन प्राप्त होता है–

चेष्टाविशेषमप्यङ्गप्रत्यङ्गे कर्म चानयो:। शरीरारम्भमिच्छनित प्राय: पूर्वोऽवलाश्रय:।।१।। लीला विलासो विच्छित्तिर्विभ्रम: किलकिंचितम्। मोट्टापितं कुट्टमितं विव्वोको ललितन्तथा।।२।। विकृतं क्रीड़ित के लिरिति द्वादशधैव स:। लीलेष्टजन चेष्टानुकरणं संवृतक्षये।।३।। विशेषान् दर्शयन् किंचिद् विलास: सद्भिरिष्यते। हसितक्रन्दितादीनां सश्चर: किलकिंचितम्।।४।। विकार: कोऽपि विव्वाको ललितं सौकुमार्य्यत:। शिर: पाणिरूर: पार्श्वं कटिरंघ्रिरिति क्रमात्।।५।। अङ्गानि भ्रूलतादीनि प्रत्यङ्गान्यभिजानते। अङ्ग–प्रत्यङ्गयो: कर्म प्रयत्नजनितं विना।।६।। न प्रयोग: क्वचिन्मुख्यन्तिरश्चीनंच तत् क्वचित्। आकम्पितं कम्पितंच धूतं विधूतमेव च।।७।। परिवाहितमाधूतमवधूतमथांचितम्। निकुंचितं परावृत्तमुच्क्षिप्तंचापय धोगतम्।।८।। ललितंचेति विज्ञेयं त्रयोदशविधं शिर:। भ्रू कर्म सप्तधाज्ञेयं पातनं भ्रूकुटीमुखम्।।९।। दृष्टिस्त्रिधा रसस्थयिसंचारिप्रतिबन्धना। अट्त्रिंशद्भेदविधुरा रसजा तत्र चाष्टधा।।१०।। नवधा तारकाकर्म भ्रमणंचलनादिकम्। शोढ़ो च नासिका ज्ञेया निश्वासो नवधा मत:।।११।। शोढ़ोष्ठकर्मकं पाद्यं सप्तधा चिबुक–क्रिया। कलुषादिमुखं शोढा ग्रीवा नवविधा स्मृता।।१२।। असंयुत: संयुतश्च भूम्ना हसत: प्रयुज्यते। पताकास्त्रिपताकश्च तथा वै कर्त्तरीमुख:।।१३।। अर्द्धचन्द्रोत्कशलश्च शुकतुण्डस्तथैव च। मुष्टिश्च शिखरश्चैव कपित्थ: केटकामुख:।।१४।। सूच्यास्य: पद्माकोषोहि

शिरा: समृगशीर्षका:। कामूलकालपद्मौ च चतुरभ्रमरौ तथा।१५।। हंसास्यहंसपक्षा च सन्दंशमुकुलौ तथा/ उर्णनीस्ताम्रचूड़श्चतुर्विंश–तित्यिमी।१६।। असंयुतकरा: प्रोक्ता: संयुतास्तु त्रयोदश। अंजलिश्च कपोतश्च कर्कट: स्वस्तिकस्तथा।१७।। कटको वर्धमानश्चप्य–सङ्गो निषधस्तथा। दोल: पुष्पपुअश्चैव तथा मकर एव च।१८।। गजदन्तो बहिस्तम्भो वर्धमानोऽपरे करा:। उर: पंचविधं स्यात् तु आभुग्ननर्त्तनादिकम्।१९।। उदरं दुरतिक्षामंखण्डं पूर्णमिति त्रिधा। पार्श्वयो: पंचकर्माणि जंघाकर्म च पंचधा। अनेकधा पादकर्म नृत्यादौ नाटके समृतम्।।२०।।''[८]

इसके अर्न्तगत लीला, विलास, विभ्रम, विच्छित्ति, इत्यादि बारह नायिकाओं के अलंकार बताये गये हैं। नृत्य में शरीर के विभिन्न अंगों के कर्मों का नामोल्लेख करते हुए उनके भेद–प्रभेदों को उपस्थापित किया गया है। व्यास ने नायिकाओं के यौवनकाल में सहजभाव से उद्भुत होने वाले लीला, विलास, विभ्रमादि १२ अलंकार बताये हैं। तत्पश्चात् सिर, हाथ, वक्ष:स्थल, कमर के पार्श्व तथा पैर को 'अंग' कहा है। इसी प्रकार भौंह आदि को 'उपांग' कहा गया है। मुनि के मतानुसार अंग–प्रत्यंगों से प्रयत्न– जनित कार्य (चेष्टा विशेष) के बिना नृत्यादि का प्रयोग सफल नहीं होता है। वह कहीं मुख्य रूप में तो कहीं वक्र रूप में अर्थात् प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से साधित होता है। इसके पश्चात् आचार्य ने आकम्पित, प्राकम्पित सहित १३ प्रकार के शिर:कर्म; ७ प्रकार के भ्रू–कर्म; ३ प्रकार के दृष्टि अभिनय; आँख की पुतली के ९ कर्म; नासिका या नाक के ६ कर्म; नि:श्वास के ९ कर्म; ओष्ठ के ६ कर्म; पैरों के ६ कर्म; चिबुक के ७ कर्म; ग्रीवा के ९ कर्म बताये हैं। आचार्य ने हस्त मुद्राओं के भेद– संयुक्त एवं असंयुक्त बताये हैं, जिसके अंतर्गत १३ प्रकार के संयुत एवं २४ प्रकार के असंयुत हस्तों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वक्ष:स्थल के ५ अभिनय भेद; उदर के ३; पार्श्वभाग एवं जंघा के ५–५ भेद बताते हुए नाट्य–नृत्यादि में पादकर्म के अनेकों प्रकारों के होने की बात कही है।

अग्निपुराण के ३४२वें अध्याय में आचार्य द्वारा अभिनय एवं इसके चार भेद– सात्विक, वाचिक, आंगिक तथा आहार्य बताते हुए परिभाषित किया है। तत्पश्चात् रसों की चर्चा करते हुए प्रत्येक रस के प्रकारों एवं लक्षणों का बताया गया है।[९] विशेष उल्लेखनीय है, कि आचार्य द्वारा सात रसों के विषय में ही चर्चा की गई है तथा 'अद्भुत रस' का नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता। जबकि भरत ने नाट्यशास्त्र में ८ रसों की चर्चा की है एवं परवर्ती आचार्यों द्वारा भरतानुसार बताये गये ८ रसों के के साथ– साथ 'शांत' को रस निरूपित करते हुए ९वाँ रस स्वीकार किया है एवं लक्षण भी बताये हैं।

शास्त्रीय नृत्य में हस्ताभिनयों का विशेष योग होता है। किसी भी शास्त्रीय नृत्य में हस्ताभिनय अर्थात् हाथों से किये जाने वाले अभिनय को महत्त्व दिया जाता रहा है। अग्निपुराण में भी हस्त मुद्राओं के प्रकार और उनके लक्षणों का निर्वचन किया है। पताक, त्रिपताक, कर्तरी मुख सहित चौबीस भेद किये हैं तथा इन्हें संयुक्त और असंयुक्त हस्तमुद्राओं में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। हस्त मुद्राओं के साथ–साथ वक्ष:स्थल, उदर और पार्श्व भाग के अभिनय प्रकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन इस पुराण की अद्भुत विशेषता कही जा सकती है। भरत के नाट्यशास्त्र में भी समान रूप से उक्त वर्णित अंगाभिनयों का वर्णन प्राप्त होता है।

विशेष उल्लेखनीय है, कि अग्निपुराण में न केवल नृत्य का उल्लेख प्राप्त होता है, अपितु संयुक्त एवं असंयुक्त हस्त मुद्राओं सहित विभिन्न नृत्यात्मक तथ्यों का वर्णन भी किया गया है। हस्तमुद्राओं को उल्लेख प्राय: नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में प्राप्त होता है, किन्तु अग्निपुराण में इनका प्राप्त होना निश्चित रूप से इस पुराण की विशेषता कही जा सकती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, कि पुराणों का रचनाकाल विद्वानों द्वारा १२००ई०पू० से ७००ई० के मध्य होना स्वीकार किया गया है।[१०] इसके अतिरिक्त विद्वानों ने पुराणों को वर्तमान से लगभग ४००० वर्ष प्राचीन होना स्वीकार किया है। इस संबंध में पं० गिरीधर शर्मा का मत है, कि– 'वैदिक वाङ्मय में जो पुराणों के नाम का प्रसंग आता है वह तो भगवान व्यास से प्राचीन होने के कारण अनादि पुराण वेद को ही कहा जा सकता है; किन्तु भगवान वेदव्यास के अनन्तर के लौकिक वाङ्मय में जो पुराणों का प्रसंग है वह उनके या उनके शिष्यों के रचित पुराणों का ही का जा सकता है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है, कि जो पुराण आजकल उपलब्ध हैं वे भी चार हजार वर्षों से अर्वाचीन नहीं कहे जा सकते। समय–समय पर साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण या अपना हठ सिद्ध करने को कई विद्वानों ने उनमें प्रक्षेप किये हैं। मूलभूत पुराण तो अतिप्राचीन ही सिद्ध होते हैं।'[११] अत: पुराणों का प्राचीन होना तो पूर्णत: सिद्ध है, किन्तु समयानुसार इसमें संशोधन भी होते रहे है, ऐसा स्वीकार करना संदेहास्पद नहीं होगा। साथ ही, उक्त पुराणों की एवं संशोधन के आधार पर यह कहा

जा सकता है, कि– १. अग्निपुराण में लक्षित नृत्य विषयक तत्वों से नाट्यशास्त्र प्रभावित रहा हो। २. नाट्यशास्त्र में लक्षित नृत्य विषयक तत्वों से अग्निपुराण प्रभावित रहा हो। ३. उक्त दोनों ही ग्रंथ उक्त विषय में किसी तीसरे ग्रंथ पर आश्रित रहे हों।

इसके अतिरिक्त एक बात स्पष्टत: कहीं जा सकती है, कि सभी पुराण निश्चित रूप से वेदों से प्रभावित रहे हैं। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र की रचना भी ब्रह्मा द्वारा चारों वेदों के आह्वान करने के फलस्वरूप की गई, जिसके कारण नाट्यशास्त्र को नाट्यवेद अथवा पंचम वेद भी कहा गया।

इस प्रकार अग्निपुराण में नृत्य–तत्वों का प्राप्त होना, इस बात का प्रमाण है, कि नृत्य प्रारंभ से ही देवताओं का प्रिय रहा है। इसके लोक–मनोरंजन के साथ–साथ ईश्वरीय भक्ति और परमआनन्द की प्राप्ति का सशक्त माध्यम भी माना जाता रहा है। अत: निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, कि भारतीय संस्कृत प्राचीन समय से समृद्ध रही है और भले ये पुराण बीता हुआ 'कल' है, किन्तु इतना विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि पुराणों के सतत् अध्ययन, अन्वेषण से कला का आने वाला कल और भी अधिक समृद्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[१]शर्मा, डॉ० मनमोहन – *''भारतीय संस्कृति और साहित्य''*, चित्रगुप्त प्रकाशन, अजमेर, प्र.सं. १९६७, पृष्ठ संख्या १४४

[२]*केलकर, डॉ० पूर्णिमा, सहायक प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय,* खैरागढ़ से प्राप्त साक्षात्कार से उद्धृत

[३]परांजपे, डॉ० शरच्चन्द्र श्रीधर – *''भारतीय संगीत का इतिहास''*, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, तृतीय संस्करण १९९४, पृष्ठ संख्या १७

[४]दुबे, डॉ० हरिनारायण – *''पुराण समीक्षा''*, इन्टरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डेव्लेपमेंट रिसर्च, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९८४, पृष्ठ संख्या ४६

[५]वही, पृष्ठ संख्या ४६–४७

[६]चतुर्वेदी, पं० गिरिधर शर्मा – *''पुराण परिशीलन''*, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, प्रथम संस्करण २०००, पृष्ठ संख्या ३९

[७]द्विवेदी, आचार्य शिवप्रसाद – *''अग्निपुराणम् हिन्दीव्याख्योपेतम्''*, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, प्रथम संस्करण २००४, पृष्ठ संख्या ७३३–७४२

[८]वही, अध्याय ३४१, श्लोक सं. १–२०, पृष्ठ संख्या ७३९–७४१

[९]वही, अध्याय ३४२, श्लोक सं. १–१६, पृष्ठ संख्या ७४१–७४२

[१०]दुबे, डॉ० हरिनारायण – *''पुराण समीक्षा''*, इन्टरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डेव्लेपमेंट रिसर्च, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९८४, पृष्ठ संख्या ४६–४७

[११]चतुर्वेदी, पं० गिरिधर शर्मा –पुराण परिशीलन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९९८, पृष्ठ संख्या ३७

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,40-44**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 10 अप्रैल 2018

कैसे बचेंगी बेटियाँ?

डॉ० गीता यादव*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *कैसे बचेंगी बेटियाँ?* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *गीता यादव* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

वर्तमान समय में लड़कियों की दिन प्रति दिन घटती संख्या एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है। एक ओर तो हम तार्किकता आधुनिकता और शिक्षा बढ़ोत्तरी की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर बेटियों के पैदा होने का गम भी मनाते हैं। सही मायनों में देखा जाये तो नर–नारी की समानता के दावे, समाजसेवी संगठन के प्रयास, सरकारी कदम, जागरूकता रैली आदि सभी खोखले प्रतीत होते दिखायी पड़ रहे हैं। विश्व के अन्य देशों की ही तरह भारत के लिए भी विकसित देश बनने के रास्ते में यह बहुत बड़ा अवरोध साबित हो रहा है। आज भी आधुनिकता व लिंगानुपात एक दूसरे के विरोधी है क्यों है? क्यों यह संकट बढ़ता ही जा रहा है? यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है।

भारत में १९०१ में १००० पुरुषों पर ९७२ महिलाएँ थी, जो १९९१ में घटकर ९२७ हो गयी। यद्यपि २००१ तक बढ़कर यह संख्या प्रति हजार ९३३ महिलाएँ हो गयी। परन्तु यदि ६ वर्ष तक की उम्र तक की लड़कियों का अनुपात देखा जायें तो १९९१ में ९४५ प्रति हजार से घटकर यह संख्या २००१ में ९२७ हो गयी। भारत के अपेक्षाकृत सम्पन्न और अहरीकृत राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात में यह अनुपात और कम है। यहाँ हजार लड़कों पर ९०० से भी कम लड़कियाँ है। महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट के रूप में पहचाने जाने वाले अपेक्षाकृत सम्पन्न जिलों कोल्हापुर, सांगली, सतारा, अहमदनगर और सोलापुर जिलों में भी यह अनुपात ९०० प्रति हजार से कम है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ६ वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का अनुपात ८६५ प्रति हजार है। राजधानी के ही सम्पन्न तथा उच्चवर्गीय दक्षिणी–पश्चिमी दिल्ली में तो यह अनुपात और भी कम ८४५ प्रति हजार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सुनियोजित तरीके से लैगिंक भेदभाव के कारण भारत में ५ करोड़ लड़कियाँ और महिलाएँ लुप्त हो रही हैं। इस प्रकार भारत में १९०१ में जहाँ पुरुषों से केवल ३० लाख महिलाएँ कम थी वहीं २००१ में यह कमी बढ़कर ३.५ करोड़ हो गयी। इसका मूल कारण सोनोग्राफी मशीनें तथा अन्य तकनीकों के दुरुपयोग के कारण है। साथ ही देश का आर्थिक विकास तो हुआ है किन्तु पुरातन पंथी विचारों यथा पितृ–सत्तात्मकता, बेटे की चाह, बेटी को पराया धन समझना आदि सोचों में कोई बदलाव नहीं होने से लिंग

* अध्यक्ष-राजनीतिविज्ञान विभाग, टी०डी०पी०जी० कॉलेज (सम्बद्ध वीर बहादूर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय) जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

चयन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। देश के सभी राज्यों में एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट आयी है। देश के ५० प्रतिशत जिलों में तो शिशु लिंग अनुपात में राष्ट्रीय औसत की तुलना में और अधिक गिरावट दर्ज की गयी है। उत्तर भारत के राज्यों, हरियाणा, पजांब और जम्मू एवं कश्मीर में शिशु लिंग अनुपात क्रमश: ८३०, ८४६ और ८५९ दर्ज किया गया है। २०११ के जनगणना में कुछ चौकाने वाले खुलासे भी हुये है जिनमें मुख्य है सिक्किम व अरुणांचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट होना। मध्य प्रदेश में भी २००१ की तुलना में २०११ में बालिकाओं की संख्या ९३३ से घटकर ९१२ ही रह गयी है जो अब तक का सबसे निचला स्तर हैं।

एक अनुमान के अनुसार भारत में पिछले दस वर्षों में करीब डेढ करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार डाला गया था फिर पैदाइश के बाद ६ वर्षों के अन्दर ही उनको मौत के मुँह में धकेल दिया गया। सन् १९६१ में भारत में शिशु लिंग अनुपात ९४१ बालिकाएँ प्रति एक हजार बालकों पर था जो लगातार गिरते हुयें सन् २०११ के जनगणना के अनुसार ९४० बालिकाएँ प्रति एक हजार बालकों पर रह गया है। देश में शिशु लिंगानुपात में हो रही गिरावट में सबसे अधिक तेजी पिछले तीन दशकों में आयी है।

भारत में प्राचीनकाल से ही नारी को धार्मिक रूप से बहुत ही उँचा स्थान दिया गया है। उसे देवी, माँ, महाशक्ति आदि का दर्जा प्रदान किया गया है। उसे पूज्यनीय माना गया है। परन्तु यह भी एक कड़वा सच है कि प्राचीनकाल से ही नारी पर विभिन्न प्रकार के विभेद जन्म से मृत्यु तक थोपें गये है। नारी को धार्मिक आर्थिक रूप से दोयम दर्जे का माना गया है। विद्वानों ने पुत्र जन्म की कामना के सामान्यत: तीन कारण निर्धारित किए हैं– आर्थिक उपयोगिता सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका और धार्मिक कर्मकाण्ड। पुत्र कृषि और व्यापार द्वारा परिवार के लिए धनार्जन कर बुढ़ापे में सहारा माने गये। पितृवादी समाज व्यवस्था में पुत्र सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता रहा है। भारतीय समाज के कर्मकाड के अनुसार मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया अतिंम संस्कार मुक्ति (मोक्ष) के लिए आवश्यक माना गया है।

भारत में लिंगानुपात में कमी का कोई एक कारण नहीं है। इसके बहुत से कारण है जो आपस में अनसुलझे सवालों की तरह गुथें हुए हैं। उन्हें अलग कर सुलझाना असम्भव–सा प्रतीत होता है। क्षेत्र, जाति, धर्म और भौगोलिक रूप से इनमें इतनी विभिन्नता हैं कि कही कोई कारण महत्वपूर्ण हो जाता है तो दूसरी जगह वहीं नगण्य। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने महात्मा गांधी की १३८ वीं जयंती के मौके पर केंन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रांलय की बालिका बचाओं योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लड़कियों को लड़कों के समान महत्व नहीं मिल रहा बालक–बालिका में भेदभाव हमारे जीवन मूल्यों में आई कमियों को दर्शाता है उन्नत कहलाने वाले राज्यों के साथ प्रगतिशील समाजों में भी इसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

वर्तमान समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ने, विज्ञान–तकनीक के विकास और तेजी से सामाजिक आर्थिक संबन्धों में परिवर्तन के बावजूद भी लिंगानुपात में कमी विद्यमान है। साथ ही इस संकट को बढ़ाने वाले नये आयाम भी जुड़ गये हैं। बढ़ती दहेज प्रथा के कारण जहाँ तमाम बहुएँ मार दी जाती हैं वहीं इसी विकरालता के चलते लड़कियों को गर्भ में ही मारने की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। जन्म–पूर्व लिंग निर्धारण की तकनीकी सुविधा ने इस समस्या को बद से बदतर बनाने में भूमिका निभाई है। आंकड़ों से पता चलता है कि अहरी सम्पन्न और पढ़े–लिखे क्षेत्रों में लिगानुपात में तेजी से कमी आ रही हैं। भारत में विज्ञान तकनीकी के बढ़ते प्रयोग, शिक्षा, वैश्वीकरण, आधुनिकता आदि के बावजूद भी लोगों के भीतर पारम्परिक सोच बहुत ही गहरी पैठ बनाये हुए हैं। पढ़े–लिखे क्षेत्रों में लिंगानुपात में तेजी से कमी आ रही हैं यही कारण है कि सम्पन्न क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती हैं। छोटा परिवार और सुखी परिवार के नारे ने लिंगानुपात के मामले में विपरीत भूमिका निभाई है। सुशिक्षित सम्पन्न जागरूक वर्ग, परिवार तो छोटा रखना चाहता है परन्तु लड़कों का मोह नहीं छोड़ पाता जिसके कारण विभिन्न साधनों का प्रयोग कर लड़की को दुनिया में आने से पहले ही समाप्त कर देता है।

वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जॉच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य ने सेक्स रेसियों में सुधार

ने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने की सरकार ने एक नयी और अनूठी स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जॉच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने वाले को १० हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गयी है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने या की जरूरत है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व उनके आकड़ों में आयी गिरावट को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना चलाई गयी है जिसके तहत् पहली कन्या के जन्म के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को २५ हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को २० हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय महिला आयोग पीसीपीएनडीटी ऐक्ट को ठीक से अमल में लाए जाने के लिए सघन अभियान चला रहा है। सरकार ने सन् १९९४ में एक और पहल करते हुए लिंग परीक्षण हेतु अल्ट्रासाउंड के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जनवरी १९९६ से लागू 'द प्रिनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीएनडीटी) ऐक्ट एण्ड रूल्स १९९४ द्वक्षरा कन्या भ्रूण हत्या को परिभाषित करने की पहल की गयी है। नयी–नयी टेक्नोलॉजी के विकास से इसे २००३ में संशोधित और इसके क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को देखते और प्रभावी बनाया गया है। इसे कानून के तहत लिंग जाँच कराना कानून अपराध है इस कानून का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले डाक्टर अथवा व्यक्ति को ५० हजार रुपये तक के आर्थिक दण्ड के साथ–साथ तीन वर्ष कारावास की सजा दी जा सकती है इस तरह दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का दंड और साथ ही पांच वर्ष तक कठोर कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इस प्रकार के परीक्षण अल्ट्रा– साउण्ड के जरिए भी किए जा सकते हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में फीटल मेडिसिन यानी गर्भ में बच्चों की बीमारियों के विशेषज्ञ डॉ० पुनीत बेदी खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत में लगभग ३०,००० डॉक्टर दौलत के लालच में तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो ऐसे विज्ञापन भी लगवाये जिन पर लिखा था आज ५०० खर्च कीजिए कल दहेज के ५ लाख रुपये बचाइए।

''ऐसे लोग कन्या भ्रूण हत्या के अपराध में न सिर्फ भागीदार बनते हैं बल्कि बेटे की इच्छा रखने वाली माताओं को इसके लिए उकसाते भी हैं बेटे की ख्वाहिश तो हमेशा से थी लेकिन इन डॉक्टरों ने महिलाओं से कहा कि जब भी आपको लड़की नहीं चाहिए हमारे पास आ जाओं, हम गिरा देगे।'' आज इस गम्भीर समस्या से उबरने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। कन्याओं पर हो रहे अत्याचार के विरूद्ध देश के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। उनके सशक्तिकरण के लिए उनके अस्तित्व को बचाने के लिए हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है और इस काम की शुरूआत घर से ही होनी चाहिए।

वास्तव में हमारे देश में यह कैसी परिस्थिति आ गयी है कि हमारे देश के सबसे समृद्ध राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति सबसे अधिक अमानवीय और घृणित कार्य है। पितृ– सत्तात्मक मानसिकता और बालकों को वरीयता दिया जाना ऐसी मूल्यहीनता है, जिसे कुछ चिकित्सक परीक्षण आदि सेवा देकर शर्मसार कर रहे हैं। यह अत्यंत चिंतनीय प्रश्न है कि देश के कुछ समृद्ध राज्य में अभी भी इतनी जागरूकता के बावजूद भी भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अधिक पायी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में एक सी स्थितियाँ है कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो इस गंभीर समस्या के समाधान में जुटे हैं तथा कुछ प्रभावकारी कदम भी आगे बढ़ाये है जैसे– गुजरात में डीकरी बचाओं अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य राज्यों में भी इस ज्वलंत मुद्दे पर कठोर कदम उठाये जा रहे है। यह कार्य केवल कोई निश्चित सरकार या संस्था आदि नहीं कर सकती है। बालिका बचाओं अभियान को सफलता की उचाइयों तक पहुँचाने के लिए अगर कोई सही मायनों में सहायक है तो वह है आम जन–मानस। बिना इनकी सक्रिय भागीदारी के समाज व देश नहीं बदल सकता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि एक ओर हम बेटियों को बचाने के लिए तरह–तरह के कायदों तो करते है पर उसपें अमल करने से पीछे भी छट जाते हैं। देश में पिछले चार दशकों से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृद्धि और शिक्षा के बढ़ते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार में स्वास्थ और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव कॉग इस तथ्य से सहमत है। उनका कहना है, देश में २२,००० ऐसे क्लीनिक हैं जहाँ इस प्रकार के परीक्षण कराए जा सकते हैं। अत: इन पर निगरानी की आवश्यकता

है। लड़कियों को जन्म से पहले मारने की प्रथा धीरे–धीरे उन जगहों पर भी प्रचलित हो रही है जो अब तक इससे बचे हुए थे। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पंजाब के साथ लगने वाले जिले पहले से ही पंजाब की राह पर निकल पड़े थे लेकिन अब तो श्रीनगर जैसे शहर में भी स्थिति चिन्ताजनक हो गयी है। गर्भपात का प्रतिकूल असर महिला के स्वास्थ पर भी पड़ता है। एक गैर–सरकारी संगठन ने महिला उत्थान अध्ययन केन्द्र और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने एक संयुक्त प्रकाशन में चेतावनी दी है कि यदि महिलाओं की संख्या यूँ ही घटती रही तो 'महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनायें बढ़ जायेंगी। विवाह के लिए अपहरण किया जायेगा। उसे जबरदस्ती अनेक पुरुषों की पत्नी बनने पर मजबूर किया जायेगा, आदि।'

अरब जातियों में लड़कियों को जिंदा दफनाने की प्रथा प्राचीन असभ्य काल में प्रचलित थी। लेकिन भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा उन क्षेत्रों में उभरी है जहाँ शिक्षा खासकर महिलाओं की शिक्षा काफी उच्च दर पर है और लोगों को आर्थिक स्तर भी अच्छा है। महिला उत्थान के लिए काम करने वाली गैर–सरकारी संगठन 'जागू री' की अध्यक्षा कल्याणी मेनन सेन का कहना है, ''स्त्री जिस शिक्षा के लिए महिला आन्दोलन चलाए गये, वही शिक्षा जहाँ पहुँची है वहाँ महिलाओं की संख्या घट रही है।'' ''महिला शिक्षा अपने आप में महिला उत्थान का कारण नहीं बन सकती बल्कि यह शिक्षा के उच्चतम स्तर पर निर्भर करता है।''

भारत में लिंगानुपात में कमी बहु–आयामी समस्या का परिणाम है। इसलिए इसके लिए कई दिशाओं में प्रयास करना होगा, जिनके कारण लोग कन्या जन्म से डरते हैं। उड़ीसा राज्य में महिला तथा बाल कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सतीश अग्निहोत्री का कहना है, ''जहाँ–जहाँ पर महिलाओं की श्रम में भागीदारी अधिक है वहाँ यह समस्या कम है। लड़की को अवांछित बनाने वाले सामाजिक परिवेश को ही हमें बदलना होगा।''

इसके साथ–साथ वे इस बात पर भी जोर देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को श्रम भागीदारी ही काफी नहीं बल्कि उनके कार्य करने के स्थान पर उनकी भौतिक सुरक्षा का इंतजाम करना भी जरूरी है। महिला एवं बाल विकास मत्रांलय राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधियों से निर्मित इंस्पेक्शन एंड मानिटरिंग कमेटी कम शिशु लिंगानुपात (०.६) वाले जिलों का दौरां कर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देती है।

इसके लिए उन कारणों को भी दूर करने का प्रयास करना होगा जिसके कारण लोग कन्या जन्म से डरते हैं। आज प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भी बेटी बचाओं, बेटी–पढ़ाओं का नारा दे रहे हैं। स्वाभाविक है सरकार इस दिशा में गम्भीर है। परन्तु सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही इस भयावह समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। एक समय अंग्रेजी की यह कहावत बहुत मशहूर हुई थी, अर्थात् 'कानून अपना काम करेगा। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक, दहेज निवारक जैसे दण्डकारी कानून, अपनी जगह सख्ती से लागू किये जा सकते हैं इस बात से पूरी तरह इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि वे एक हद तक सही रूप से अपना काम कर भी रहे हैं; किन्तु इस जघन्य अपराध से मुक्ति तभी मिलेगी, जब हमारी सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। अपना मूल्य खो चुकी रूढ़ियों को तिलांजली देनी होगी। कोई भी शासकीय योजनाएँ एवं प्रोत्साहन तभी सफल होंगे जब समाज के बहुसंख्यक लोगों के विचारों में आमूल–चूल परिवर्तन होगें। अपार खुशी की अनुभूति तब होती है जब हाशियें पर खड़ी ऐसी भी सामाजिक व्यवस्थाएँ है जो मातृशक्ति से संचालित व संवर्द्धित होती है। जनगणना २०११ के आंकड़े (पुरूष १००० महिला ९४०) इस बात के ज्वलन्त प्रमाण है कि यहाँ लिंगानुपता अभी भी स्त्रियों के पक्ष में नहीं दिखाई देता है। क्या वर्तमान, आधुनिक भारतीय सभ्य समाज इस भयावह आंकड़ों से भी नसीहत नहीं ले सकेगा? इन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए बनें कानूनों को एक ओर तो सख्ती से लागू कराना होगा तो वही दूसरी ओर सामाजिक आन्दोलन भी चलाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात को समझना, समझाना और महसूस कराना होगा कि यह एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह भी हम खुद है और इसका निदान भी हमसे ही संभव है। बस जरूरत है तो आगें बढ़कर एक कदम बढ़ाने की।

''यह प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल दूर नहीं है,/ थककर बैठ गए क्या भाई! मंजिल दूर नहीं है।''

सन्दर्भ सूची

कन्या भ्रूण हत्या, अमर उजाला, पृष्ठ संख्या १७
कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप– योगेश चन्द्र जैन, पृष्ठ संख्या ८६–८८
कन्या भ्रूण हत्या, अध्याय–२ पृष्ठ संख्या १०–१२
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पृष्ठ संख्या ९६–९७, गिरिश चन्द्र पाण्डेय, प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दुस्तान समाचार पत्र –२ अप्रैल २००७
डॉ० मंजू मिश्रा –वैश्वीकरण एवं नारी मुक्ति, सन् २०१० पृष्ठ संख्या ३१५
योजना, अप्रैल २०११, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, पृष्ठ संख्या ३५–३६
दैनिक जागरण, वाराणसी, ८ मार्च २०११

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,45-49**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 10 अप्रैल 2018

बच्चों के मानसिक विकास पर टेलीविज़न का प्रभाव

कुमारी स्वर्णरेखा*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *बच्चों के मानसिक विकास पर टेलीविज़न का प्रभाव* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *कुमारी स्वर्णरेखा* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

बच्चों की शुरुआती तालीम

अगर बच्चे विद्यालय जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा किताबों के संपर्क में आते हैं तो वह अपने प्रायमरी विद्यालय की परीक्षाओं में ज्यादा अच्छे परिणाम लाते हैं। यह उन माता पिता के लिए एक संकेत है जो की अपने बच्चों में पढ़ने की इच्छा जगाते हैं और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी वो लोग उन बच्चों में विद्यालय के लिए एक अच्छा आध ाार बना रहे हैं। इस शोध में बच्चों के अन्य कार्यों पर भी धनात्मक प्रभाव डाला है। वो अभिभावक जिन्होंने की अपने बच्चों को तरह तरह के कार्य सिखाये हैं या जिन्होंने प्री स्कूल भेजा है उनमे परिणाम काफी अच्छे आये हैं उन बच्चों की अपेक्षा जो की टी वी (टेलीविज़न) से लम्बे समय के लिए संपर्क में रहे हैं और ऐसे बच्चों के उन बच्चों की अपेक्षा कम अंक भी आये हैं। बच्चों की शुरुआती तालीम के परिणामों पर भाषा का किरदार एक अध्ययन के द्वारा पता चला है जो की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लेंड में की गयी थी।

यह शोध में बच्चों के सामाजिक और पारिवारिक वातावरण को ध्यान में रखा गया है और इनका प्रभाव बच्चों के विद्यालय जाने की इच्छा को भी देखा गया है लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है की यह बात ज्यादा ज़रूरी है की अभि– भावक अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इससे पहले कि उनके बच्चे उनसे बात करना शुरू करें। प्रोफेसर जेम्स लौ के अनुसार, जो की न्यू कासल यूनिवर्सिटी के हैं और इस अध्ययन के एक शोधकर्ता हैं वे कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छा सन्देश है कि बच्चे की शिक्षा पारंपरिक सूचक जो की सामाजिक कारक हैं उन पर निर्भर नहीं करती है जैसे कि धनी अभिभावक होना, माता की शिक्षा या घर की स्थिति पर। यह सामाजिक कारक बाद की जिन्दगी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं।

* (दूरस्थ शिक्षा) शोध छात्रा, एल0एन0एम0यू0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in

टेलीविज़न विज्ञान की एक शानदार सृजनात्मक उपलब्धि है

इसमें समाचारों, रेडियो और सिनेमा तीनों की उपयोगिताओं का समाहार है। आज के युग में टेलीविज़न की उपयोगिता और उसकी प्रभावोत्पादकता सर्वविदित है। टेलीविज़न मनोरंजन का उत्तम साधन है। ज्ञान–विज्ञान के प्रचार–प्रसार में इसकी भूमिका सराहनीय है। आज के समय में बचपन हजार खतरों से घिरा है। उनमें से एक टीवी विज्ञापनों की भ्रामक दुनिया भी है जो बिन बुलाये मेहमान की तरह बच्चे के जीवन के हर हिस्से पर अधिकार जमाये बैठी है। आजकल टीवी पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को देखकर बच्चे बिगड रहे हैं। खासतौर पर टीवी पर दिखाये जाने वाले ललचाऊ और भड़काऊ विज्ञापनों ने बच्चों के विकास की रुपरेखा ही बदल दी है। एक नए शोध से पता चला है कि टीवी पर प्रसारित होने वाले शराब के विज्ञापन बच्चों को इसे पीने के लिए ललचाते हैं।[१]

शराब पीने में जिज्ञासा बढ़ी है

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वैस्टर्न के शोधकर्ताओं ने शोध के दौरान दो माह तक अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि टीवी पर दिखाए जाने वाले शराब के विज्ञापन बच्चों को इसे पीने के लिए ललचाते हैं। बच्चों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है वह जो कुछ देखते हैं वह उनमें बहुत जल्द समा जाता है। नए अध्ययन के नतीजों पर यकीन करें, तो बच्चों को टीवी से दूर रखना ही बेहतर है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पांच राजधानियों में दिखाए गए २,८१० शराब के विज्ञापनों में से आधे ऐसे समय में दिखाए गए थे जब ऐसी संभावना थी कि २५ फीसदी बच्चे टीवी देख रहे होंगे। इन लुभावने विज्ञापनों को देखकर बच्चों को इसे पीने की जिज्ञासा पैदा होती है।

अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि टीवी विज्ञापनों से बच्चे शराब को मौज–मस्ती, दोस्ती और फिजीकल एक्टिविटी से सम्बन्धित सस्ती चीज मानने को प्रेरित होते हैं और थोक में खरीदने पर यह और भी बेहतर होता है। शोध के लीडर प्रोफेसर सिमोन पेट्टीग्रयु के अनुसार, इस अध्ययन से उन डॉक्टरों के लिए गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं जो शराब के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की चाह रखते हैं।

एक ओर इसके माध्यम से देश–विदेश के समाचार व सम–सामयिक क्रिया–कलापों पर परिचर्चा का लाभ मिलता है, तो दूसरी ओर इसकी सहायता से शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो रहा है और अनेक शिल्पों और प्रौद्योगिकीय विषयों के प्रशिक्षण में भी इसका योगदान कम नहीं है। इस प्रकार टेलीविज़न दर्शकों के ज्ञान क्षितिज को व्यापक करके उन्हें अधिका–धिक प्रबुद्ध बनाने का सराहनीय कार्य कर रहा है।

टेलीविज़न विज्ञापन का सबसे सशक्त साधन है

विज्ञान की यह अनूठी देन दूरस्थ, दुर्गम स्थानों के और समाज की मुख्यधारा से पृथक पड़े लोगों के प्रबोधन एवं उन्नयन का शक्तिशाली साधन है। टेलीविज़न विज्ञापन का सबसे सशक्त साधन है। इसकी वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। टेलीविज़न से प्रसारित आकर्षक एवं मनोरम विज्ञापन दर्शकों को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। विज्ञान के इस आविष्कार ने संसार को हमारे निकट ला दिया है।

संसार के किसी भी कोने में घटित महत्वपूर्ण घटना में ससार के सभी प्रबुद्ध नागरिक अधिकाधिक रूचि लेने लगे हैं। इस प्रकार टेलीविज़न ने संसार को एकता के सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व कार्य किया है।

एक ओर जहाँ टेलीविज़न की सर्वक्षेत्रीय उपयोगिता के बारे में दो राय नहीं हो सकती, वहीं दूसरी ओर हमारे बच्चों, किशोरों और नव–युवकों पर पड़ रहे इसके दुष्परिणामों के बारे से भी आम सहमति है। टेलीविज़न ने हमारे घरों में प्रवेश करके नयी पीढ़ी को अपने मोह जाल में फंसा लिया है। नव–युवकों के मन पर इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसके प्रभाव से बच्चों में एक नई संस्कृति विकसित हुई है और हो रही है, जो अनेक दृष्टियों से भारतीय परिवेश के साथ मेल नहीं खाती।

इन्द्रियाँ अवसादपूर्ण

बच्चों में टेलीविज़न चलाकर इसके सामने बैठे रहने की लत पैदा हो गई। 'लत' इसलिए कहना ठीक है कि टेलीविज़न देखे बिना उसका मन अतृप्त रहता है और उनकी इन्द्रियाँ अवसादपूर्ण रहती हैं। जो व्यक्ति उन्हें टेलीविज़न के सामने बैठने से रोकता है, वह उन्हें सबसे बड़ा शत्रु लगता है। 'लत' इसलिए भी है कि टेलीविज़न के पर्दे से चिपके रहने पर उन्हें भूख–प्यास भी नहीं सताती। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि पर्दे पर आ रहा कार्यक्रम उनकी समझ में आ रहा है या नहीं, उन्हें बस देखते रहने से मतलब है।

किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इससे उनको कोई हानि नहीं होती, केवल उनका बहुमूल्य समय बरबाद होता है। बच्चे टेलीविज़न के पर्दे पर जो कुछ भी देखते हैं, उसका प्रभाव, अच्छा या बुरा, पडता अवश्य है। बच्चों में इतना विवेक नहीं होता कि वे सद् और असद् में भेद कर सकें; उनमें इतना संयम भी नहीं होता कि वे मात्र सद् को अपनायें और असद् का त्याग कर दें।[२] अत: टेलीविजन के पर्दे पर जो कुछ भी आता रहता है, वह सब बच्चों पर अपनी छाप–सकारात्मक और नकारात्मक डालता रहता है। इस छाप की बच्चों के चरित्र–निर्माण में बड़ी नाजुक भूमिका, तात्कालिक ही नहीं, दूरगामी भी होती है। इसी प्रक्रिया से बच्चों में विविध संस्कार विकसित और दृढ़ होते हैं।

नव–युवक और स्कूली बच्चे टेलीविज़न देखने में जितना समय लगाते है। यह बहुत अधिक है। अमरीका में किये गये एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बच्चे जितना समय स्कूल में पढ़ाई में लगाते हैं, लगभग उतना ही समय घर पर टेलीविज़न देखने में लगाते हैं। सर्वे में बताया गया है कि यह समय बहुत ज्यादा है। भारत में अभी हालत इतनी खराब नहीं है। भारत में किए गए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ स्कूली बच्चे सप्ताह में औसतन १०–१२ घंटे टेलीविज़न देखते हैं। समृद्ध अमरीका में तो घर पर हर बच्चे के कमरे में टेलीविज़न लगे होते हैं, पर भारत में इतनी समृद्धि अभी नहीं है। कुछ प्रबुद्ध लोगों का ख्याल है कि यदि भारत में स्कूली बच्चों के लिए घर में अलग–अलग कमरे हों, और उनमें उनके लिए अलग टेलीविजन की सुविधा हो, तो भारत के बच्चे अमरीकी बच्चों से पीछे रहने वाले नहीं हैं।

एक विचित्र बात यह है कि टेलिविज़न देखने के सम्बन्ध में बच्चों का रवैया कतई समझौता वाला नहीं है। खान–पान, वस्त्र, खेल–कूद आदि तमाम बातों के सम्बन्ध में वे समझौता कर लेते हैं, किन्तु टेलीविज़न देखना इनका अपवाद है। टेलीविज़न के पर्दे ने बच्चों पर न जाने कैसा जादू कर दिया है? यहाँ यह बताना अति प्रासंगिक होगा अनेक परिवारों में टेलीविज़न देखने की इसी लत के कारण अनेक बच्चे अपने माता–पिता (जो टेलीविज़न के साथ चिपके रहने की आदत के विरोधी हैं) को निहायत नापसन्दगी की नजर से देखते हैं। बच्चों और उनके माँ–बाप के बीच ऐसा टकरावपूर्ण रवैया पारिवारिक सौहार्द के लिए अनिष्टकर है। अनियन्त्रित ढंग से टेलीविज़न देखते रहने से अनेक हानियों का पता लगा है।

समाजशास्त्रियों द्वारा किये गये सर्वे और प्राप्त आकड़ों के आधार पर किये गये अध्ययन से कुछ निष्कर्ष निकले हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है:

- अधिक समय तक टेलीविज़न देखने वाले बच्चों में घोर भौतिकवादी दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। इससे बच्चों के चरित्र का एकांगी विकास होगा। अति भौतिकवादी दृष्टिकोण बच्चों के नैसर्गिक विकास में बाधक होता है।
- अधिक समय तक टेलीविज़न से चिपके रहने के आदी बच्चे प्राय: दुराग्रही और जिद्दी बन जाते हैं। टेलीविज़न पर प्रसारित विज्ञापनों के सम्बन्ध में उनका मताग्रह प्राय: सनक का रूप धारण कर लेता है।
- यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो बच्चे टेलीविज़न के अधिक शौकीन हो जाते हैं, उनकी कल्पना शक्ति क्षीण होने लगती है।
- टेलीविज़न व्यसनी बच्चों में पढ़ने का शौक मन्द या समाप्त होने लगता है।
- लगातार लम्बे समय तक टेलीविज़न देखते रहने से बच्चों में बड़ी थकान आ जाती है। यह तथ्य प्रयोग सिद्ध है कि पढ़ाई और टेलीविज़न देखना इन दोनों में टेलीविज़न देखना अधिक थकावट पैदा करता है। अत: अधिक टेलीविज़न देखने वाले बच्चे प्राय: इसी काम में इतना थक जाते हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती।
- देर तक टेलीविज़न देखने वाले बच्चों की एकाग्रताशक्ति (सब इन्द्रियों को केन्द्रित करके एक काम में लगाने की क्षमता) क्षीण हो जाती है। वे अधिक समय तक किसी विषय या समस्या पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं रख पाते।

- पाया गया है कि समान प्रतिभा वाले बच्चों में से उन बच्चों को परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त होते हैं, जो टेलीविज़न देखने में बहुत समय लगाते हैं।
- प्राय: देखा गया है कि जो बच्चे टेलीविज़न देखने में अधिक रूचि रखते हैं, उनका खेल–कूद के प्रति अनुराग कम हो जाता है। ऐसे बच्चे खेल–कूद से अर्जित होने वाले कौशल और श्रेष्ठ नैतिक व चारित्रिक सदगुणों से वंचित रह जाते हैं।

लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं

जो बच्चे अधिक समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं उनमें ख्याली पुलाव पकाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और वे प्राय: अन्तर्मुखी हो जाते हैं। कहने का आशय यह नहीं है कि टेलीविज़न बहुत बुरी चीज या बुरी बला हैं। बुरी तो इसके साथ चिपक कर बैठने की लत है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि टेलीविज़न विज्ञान की अनूठी देन है और इसके विवेक सम्मत प्रयोग से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हो सकते हैं। अत: बच्चों को लम्बे समय तक टेलीविज़न के सामने बैठने से रोका जाना चाहिए। नि:सन्देह उन्हें ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो प्रेरणादायक हों। बच्चों को नई खोजों, नए प्रयोगों और आधुनिकतम उपलब्धियों से सम्बन्धित कार्यक्रम अवश्य दिखाये जाने चाहिए।

ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, जो उनमें कल्पना–शक्ति को जागृत करें। समाचार और घटना– चक्र सम्बन्धी कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायक है। कुल मिलाकर सही सलाह दी जा सकती है कि बच्चों के लिए उपयोगी और सृजनात्मक क्रिया–कलापों से सम्बन्धित कार्यक्रम अवश्य दिखाए जायें। शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण द्वारा भी बच्चों का मार्गदर्शन करना उचित होगा तभी वे टेलीविज़न के कु–प्रभाव से बच सकते हैं।

बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है

टीवी और कंप्यूटर आज की जरूरत बन गई हैं। लेकिन क्या आपको पता हैं कि इनका ज्यादा प्रयोग बच्चों के लिए नुकसान– देह भी हो सकता है। टीवी और कंप्यूटर के सामने ज्यादा समय बिताने से बच्चों में बेचैनी का स्तर बढ़ रहा है और वे चिड़चिड़े हो रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के शोध के मुताबिक निष्क्रिय जीवनशैली भी बच्चों पर नकारात्मक असर डाल रही है। अधिक समय तक टीवी देखने या कंप्यूटर पर गेम खेलने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। साथ ही बच्चों में आत्म– सम्मान और खुशी की भावना भी कमी हो रही है। ऐसे बच्चों को भावनात्मक समस्या, चिड़चिड़ापन और अवसाद से भी गुजरना पड़ रहा है। अध्ययन से पता चला है कि एक दिन में दो घंटे या इससे अधिक टीवी या कंप्यूटर पर बैठने से बच्चों में चिड़– चिड़ापन बढ़ रहा है। अध्ययन में शामिल किए गए बच्चों से उनके स्वभाव के बारे में जानकारी करने के साथ ही यह पूछा गया कि वे कितनी देर कंप्यूटर और टीवी पर बैठते हैं।

दिनभर में दो घंटे से ज्यादा समय टीवी या कंप्यूटर पर व्यतीत करने वाले बच्चों में से ६० फीसदी में स्वभाव से जुड़ी समस्यायें पायी गई। यह भी पाया गया कि सात वर्ष तक की उम्र के आधे बच्चे पर्याप्त रूप से व्यायाम नहीं करते हैं। शोध के आंकड़ों के मुताबिक ५१ फीसदी बच्चे ही प्रतिदिन व्यायाम करते हैं।[३] अगर आपके बच्चे का वजन अधिक है या फिर वह मोटा है, तो आपको चाहिए कि आप उसे टीवी कम देखने के लिए प्रोत्साहित करें। माता–पिता को ऐसे विकल्पों की तलाश करनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों के जीवन को शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे का वजन अधिक है, तो इस बात का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि उसने दिन में कितना समय टीवी अथवा कंप्यूटर के आगे बैठकर बिताया और कितना समय उसने शारीरिक गतिविधियाँ कीं। इसमें यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों को माता–पिता से यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या बच्चा स्कूल तक पैदल जा सकता है। और अगर ऐसा है, तो क्या वह वास्तव में अपने स्कूल पैदल जाता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस के निदेशक प्रोफेसर माइक कैली का कहना है कि हम परिवार पर आधारित जीवनशैली के कार्यक्रम अपनाने की कड़ी सलाह दे रहे हैं।[५] कैली का कहना है कि इन सुझावों से माता–पिता को भी यह जानने में मदद मिलेगी कि आखिर किन उपायों को अपनाकर वे मोटापे जैसी बीमारी को कम कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इन दिशा–निर्देशों में कई ऐसे सुझाव हैं, जो हम सबको वैसे भी करने चाहिए। इनमें स्वस्थ खानपान अपनाना, पूरे परिवार का एक साथ अधिक समय बिताना और टीवी और कंप्यूटर गेम्स को कम वक्त देना आदि शामिल है। कैली ने आगे कहा कि मोटापा अथवा अधिक वजन होना, बच्चे के जीवन स्तर पर काफी गहरा असर डालता है। यह उनके आत्म–सम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। ऐसे बच्चों को अधिक तंग किया जाता है अथवा उपहास बनाया जाता है। ऐसे में हमें बच्चों की इस समस्या के प्रति अधिक संवेदनशील और गंभीर होने की जरूरत है। कैली ने कहा कि बच्चों अथवा युवाओं में वजन की समस्या को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसके पीछे बड़ी वजह लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लक्ष्यों को सही प्रकार से समझ नहीं पाना है। वर्ष २०११ में इंग्लैंड में दो से १५ वर्ष तक के करीब तीस फीसदी बच्चे, जिनमें लड़के व लड़कियाँ दोनों शामिल थे, मोटापे अथवा अधिक वजन से परेशान थे।

टेलीविज़न के अतिरिक्त बच्चों के व्यक्तित्व का विकास

आसपास का माहौल करता है बच्चों को प्रभावित। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने की करें कोशिश। बच्चों के साथ शालीनता और सभ्यता से करें बात। बच्चों की समस्याओं को शांति से सुनकर सुलझायें। बढ़ते हुए बच्चों के आसपास का माहौल उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए इश समय अपने बच्चें पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है स्कूल और आस पास के बच्चों के साथ उनका आत्मविश्वास डगमगाता है तथा वह पढ़ाई तथा जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ जाता है। बच्चों का आत्म– विश्वास कैसे बढ़ाया जाए तथा उसका व्यक्तित्व कैसे निखारा जाए, आइए हम देखते हैं।[४]

बच्चों से हम हमेशा शालीन भाषा का प्रयोग करते हुए ही वार्तालाप करें। इससे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमको हमेशा बच्चों से मित्रवत् व्यवहार ही करना चाहिए, न कि शत्रुवत्। जैसा हम आचरण करते हैं, बच्चे भी वैसा ही सीखकर अपने व्यवहार में ढालते हैं अत: शालीनता सर्वोपरि है। यह तयप्राय: है कि जैसी भाषा का हम बार–बार प्रयोग करते हैं, वैसी की वैसी ही भाषा एक विज्ञापन (मनोविज्ञान) के प्रचार अभियान की तरह बच्चों के मन–मस्तिष्क में घर करती जाती है तथा बच्चा धीरे–धीरे उसे ही सच मानने लग जाता है एवं उसकी वास्तविक प्रतिभा कहीं खो–सी जाती है अत: उसे कुंठित न करें। ज्यादा डांटने–फटकारने, मारने–पीटने से बच्चा ढीठ बन जाता है फिर उस पर किसी बात का असर नहीं होता है, क्योंकि उसे पता रहता है मैं अच्छा या बुरा जो भी करूँ, बदले में मुझे डाँट–फटकार ही मिलेगी, प्यार–दुलार नहीं। ऐसी स्थिति में बाद में आगे चलकर बच्चा विद्रोही बन जाता है, जो कि समाज के लिए काफी घातक सिद्ध होता है। बच्चे और बड़ों का मनोविज्ञान अलग–अलग होता है। मनोविज्ञान यानी सोचने–समझने–विचारने का तरीका।

अगर बड़े यह सोचें कि बच्चे भी मेरा ही अनुसरण करें व मेरी ही दिखाई राह पर चलें, व मेरे जैसा ही बने तो यह बड़ों का हठाग्रह व दुराग्रह ही कहा जाएगा। चूंकि बड़े समयानुसार अनुभव व परिपक्वता से लबरेज होते हैं अत: बच्चों से भी वही अपेक्षायें करना नितांत ही गलत कहा जाएगा। स्वयं 'अपने जैसा' बच्चों को बनाने का हठीला प्रयास ना करें। यह एक प्रकार से बच्चों पर अन्याय ही कहा जाएगा। बच्चे की भावनाओं को समझे और समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। इससे आप तो जीवन में खुश रहेंगे ही आपके बच्चें की परवरिश भी सामान्य बच्चों की तरह ही होगी।

Footnotes

[1]*https://www.onlymyhealth.com*/tv-commerical
[2]*http://www.essaysinhindi.com*
[3]*https://www.onlymyhealth.com*
[4]*https://www.onlymyhealth.com*
[५]इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड एक्सीलेंस

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,50-54**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 26 अप्रैल 2018

विभिन्न पर्यावरण प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

बृजेन्द्र कुमार शुक्ला*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *विभिन्न पर्यावरण प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र का लेखक मैं *बृजेन्द्र कुमार शुक्ला* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। मैंने शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

पर्यावरण को साफ सुथरा और उपयोगी बनाये रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम पर्यावरण प्रबन्ध की बात करते हैं, तो निश्चय ही हमारी एक विशुद्ध कल्पना पर्यावरण की गुणवत्ता से है जिसका अन्तिम परिणाम 'जीवन की गुणवत्ता' सुनिश्चित है, लेकिन उपर्युक्त वर्णित अनुसार यदि हम गुण–अवगुण के बाधार पर वर्तमान को स्थिति का सूक्ष्मान्वेषण करें तो हम जानेंगे कि हमारी स्वयं की गलतियों ने ही हमें इस युग के ऐसे भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसे बहुत आसानी से सुधारा नहीं जा सकता। विकास और प्रगति के नाम पर हमनें प्रकृति और उसके निरन्तर चलते रहने वाले चक्र को गड़बड़ा दिया है और मानवीकृत सुविधाओं के अहं के आधार पर हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। सत्य यह है कि बिना अच्छे प्राकृतिक पर्यावरण के हम न तो सुखमय वर्तमान में जी सकते हैं और न ही भविष्य की शांतिप्रद आश्वस्तता सोच सकते हैं। यह ठीक है कि आज की वैज्ञानिक प्रगति और विकसित तथा विकासशील देशों की परस्पर आगे बढ़ने की होड़ में हर देश को विकास के पथ पर बढ़ना है, पर विकास को पर्यावरण के विनाश के नाम पर तोलना भी उचित नहीं है, विनाशरहित विकास हमारा ध्येय और नारा होना चाहिए।

पर्यावरण प्रदूषण का पृथ्वी और मनुष्य दोनों पर बहुत ही बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने और लाभ के लिए मनुष्य विज्ञानं की मदद ले रहा है; परन्तु इस चक्कर में कई प्रकार के हानिकारक रसायन उत्पादों को हम हर दिन अपने भोजन के माध्यम से खा रहे हैं और हर दिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में प्रदूषण का यही हाल है। सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? इसका सीधा उत्तर है– बिलकुल नहीं, क्योंकि कोई भी विनाश का रास्ता सही नहीं होता है।[१]

प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियों से पूरे विश्व भर के लोगों को सहना पड़ रहा है। इनमें से कुछ मुख्य बीमारियाँ और स्वास्थ से जुड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं... टाइफाइड, डायरिया, उलटी आना, लीवर में इन्फेक्शन होना, साँस से जुडी दिक्कतें आना, यौन शक्ति में कमी आना, थाइरोइड की समस्या, आँखों में जलन, कैंसर, ब्लड प्रेशर, और ध्वनि प्रदूषण

* प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, जनता इण्टर कॉलेज (बेलहारी) सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in

के कारण गर्भपात। जो भी सामान आज के दिन में हम खाते हैं, पीते हैं सब कुछ प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। हर चीज दूषित हो चुका है जिसके कारण कई लाइलाज बीमारियाँ फ़ैल चुकी हैं।

इसी कारण से, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम १९७२ में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सभी देशों को अपने–अपने स्तर पर 'राष्ट्रीय पर्यावरण नीति' बनानी थी। इसी से भारत में कान्फ्रेंस के तत्काल बाद 'नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड कोर्डीनेशनल' का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया। इसकी अभिशंसा पर ही केन्द्र और राज्यों में 'प्रदूषण निवारण और नियंत्रण मण्डल' बने।

जल को प्रदूषित करने के कारण अब पीने का पानी भी पृथ्वी पर बहुत कम बच गया है। आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर ७१ प्रतिशत जल है परन्तु उसमें से मात्र १ प्रतिशत पानी ही पीने लायक है। लोगों को कपड़े धोने, खाना पकाने और खेती किसानी के लिए भी पानी का देखकर उपयोग करना चाहिए। ज्यादातर कारखाने ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में निर्माण किये गए हैं जिसके कारण टी०बी०, अस्थमा, और हृदय से जुड़ी बीमारियों से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भूमि या मिट्टी प्रदूषण के कारण अब भू–जल भी भारी मात्रा में दूषित हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है हम मनुष्य स्वयं के बनाये हुए सामूहिक विनाश के वातावरण में जी रहे हैं।

पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में आज वस्तु स्थिति यह है कि पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदूषण के रोकने हेतु निम्नलिखित कानूनों का सहारा लिया जा रहा है; १. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम –१९७४ तथा उसका संशोधन अधिनियम –१९७८, २. वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम –१९८१ तथा उसका संसोधन अधिनियम –१९८७, ३. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम –१९८०, ४. वन (संरक्षण) अधिनियम –१९८२, ५. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम –१९८६ आदि।

विद्वान न्यायाधीश भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद –(२), ४८ तथा ५१(ह) आदि का सहारा लेकर पर्यावरण की विकृति तथा प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

मानव अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रकृति के उपहारों को ग्रहण करता था। प्रकृति के किसी भी अवयव को क्षति पहुँचाना पाप समझा जाता था। बढ़ती जनसंख्या एवं भौतिक विकास के फलस्वरूप प्रकृति का असीमित दोहन प्रारम्भ हुआ। भूमि से हमने अपार खनिज सम्पदा, डीजल, पेट्रोल आदि निकाल कर धरती की कोख को उजाड़ दिया। वृक्षों को काट–काट कर मानव समाज ने धरती को नग्न कर दिया। वन्य जीवों के प्राकृतवास वनों के कटने के कारण वन्य–जीव बेघर होते गए। असीमित औद्योगीकरण के कारण लगातार जहर उगलती चिमनियों ने वायुमण्डल को विषाक्त एवं निष्प्राण बना दिया। निरंतर यह स्थिति भयावह होती जा रही है।

पर्यावरण विभाग भारत सरकार पर्यावरण क्षेत्र के लिए देश की शीर्षस्थ संस्था है, लेकिन विडम्बना यह है कि यह एक ऐसी प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करती है जिसका कार्यपरामर्शदात्री संस्था के रूप में ही है। न तो यह सीधे किसी दोषी व्यक्ति को दण्डित कर सकती है और न ही अपनी नीति को रूप से लागू करा सकती है इस संस्था की सफलता केवल 'प्रदूषण नियंत्रण मण्डल' के उपर अवलम्बित है जो भी दोषी को दोषी ठहराते हुए सजा मिल जाये।

हमारी पावन नदियाँ अब गंदे नाले का रूप ले चुकी हैं। नदियों का जल विषाक्त होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियाँ एवं अन्य जलीय जीव तड़प–तड़प कर मर रहे हैं। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से कानों के परदों पर लगातार घातक प्रभाव पड़ रहा है। लगातार घातक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भूमि को उसरीला बनाता जा रहा है। पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा का प्रकोप धीरे –धीरे बढ़ता जा रहा है तथा लगातार तापक्रम बढ़ने से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है जिससे पृथ्वी का अस्तित्व संकटग्रस्त होता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आज विभिन्न घातक स्वरूपों में विद्यमान है जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सृष्टि का भविष्य संकटग्रस्त है। पिछले कई वर्षों में मानव को भूकम्प का सामना करना पड़ा।

मानव को प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार मिला है और वह है– वायु। यह उपहार सभी जीवों का आधार है। मानव बिना भोजन एवं बिना जल के कुछ समय भले ही व्यतीत कर ले, बिना वायु के वह दस मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। यह अत्यंत चिन्ता का विषय है कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी वायु लगातार जहरीली होती जा रही है। शहरों का

असीमित विस्तार, बढ़ता औद्योगीकरण, परिवहन के साधनों में लगातार वृद्धि तथा विलासिता की वस्तुएं (जैसे– एयरकन्डीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि) वायु प्रदूषण को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। मानव २४ घण्टे में लगभग २२,००० बार साँस लेता है तथा इसमें प्रयुक्त वायु की मात्रा लगभग ३५ गैलन या १६ किग्रा है। ऐसी वायु जो हानिकारक अवयवों से मुक्त हो, उसे शुद्ध वायु कहते हैं। वायु के मुख्य संघटकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइ ऑक्साइड हैं। उक्त के अतिरिक्त वायुमण्डल में थोड़ी मात्रा में आर्गन या नियॉन जैसी विरल गैसें भी पाई जाती हैं। आज हर शहर के वायु का शुद्धिकरण स्तर खतरे के माप से उपर जा चुका है।

आधुनिक युग में उद्योगों की चिमनियों, बढ़ते वाहनों एवं अन्य कारणों से वायुमण्डल में अनेक हानिकारक गैसें मिश्रित हो रही हैं जिनमें सल्फर डाइ ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन एवं फार्मेलि– डहाइड मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त सड़कों पर चल रहे वाहनों से निकला सीसा (लेड), अधजले हाइड्रोकार्बन और विषैला धुआँ भी वायुमण्डल को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। वायुमण्डलीय वातावरण के इस असंतुलन को 'वायु प्रदूषण' कहते हैं। अत्या– धुनिक वायु प्रदूषण के कारण आसमान अब भूरा दिखाई देता है। विषाक्त वायु को अवशोषित करने वाले वृक्षों के कटान से वायुमण्डल में प्राणवायु ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है तथा दूषित गैसों का दबाव बढ़ रहा है। परिणामत: लोग हृदय एवं फेफड़ों की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

देश में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए कानून बनाने की यद्यपि कोई खास कोशिश नहीं हुई थी, लेकिन ८१ वर्षों से इस मसले पर एक कानून लागू है। ''बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट'' १९०५ में ही बन गया था। इसके बाद १९१२ में मुम्बई और १९५८ में कानपुर में भी इस तरह के कानून बनें। फिर कई अन्य राज्यों में बंगाल कानून को अपने यहाँ लागू किया। ये कानून मुख्यत: कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धूएँ से सम्बन्धित थे लेकिन कई नये कारखाने लगते गए और उन पर इन कानूनों का जैसे कोई असर नहीं पड़ा।

मोटरगाड़ियों से निकलने वाले धूएँ से सम्बन्धित कानून का भी यही हाल है। मोटर व्हीकल्स एक्ट –१९३९ में राज्य सरकारों को मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धूएँ, वाष्प, चिंगारियों, राख आदि के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। पर मोटर गाड़ियों से निकलने वाले नुकसानदेह धूएँ के बारे में पर्याप्त निर्देशों, निगरानियों और कार्यवाहियों के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी।

विभिन्न वायु प्रदूषक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं। वायुमण्डल में इन विषाक्त गैसों की उपस्थिति के कारण स्मॉग (स्मोक + फॉग) का निर्माण होता है। लंदन एवं लॉस एंजेल्स में स्मॉग निर्माण से अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसो सायनाइड गैस से वायु इतनी प्रदूषित हुई जिससे हजारों लोग मौत एवं विकलांगता का शिकार हो गए। प्रदूषित वायु मानव के श्वसन–तंत्र को कु–प्रभावित करती है। प्रदूषित वायुमण्डल के कारण धातु की बनी वस्तुओं में अनेक बार रंगाई करनी पड़ती है। वायु प्रदूषण से ऐतिहासिक धरोहरों को भी क्षति पहुँचती है। धुआँ तथा धूल के सूक्ष्म कणों के कारण सूर्य का प्रकाश भूमि तक ठीक से नहीं पहुँच पाता जिससे आकाश की निर्मलता घटती है। इससे वायुयानों के चालन में कठिनाई होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस तरह की परिस्थितियाँ निरन्तर बढ़ती ही जा रही है।

वायु प्रदूषण से होने वाले असंतुलन का परिणाम हमें चतुर्दिक दिखाई दे रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये भारत सरकार ने इस दिशा में वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम– १९८१ पारित कर रखा है। केंद्र में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की गई है। जिन उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही नहीं की जाती उनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधे वायुमण्डलीय कार्बन डाइ ऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राण– वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अत: सड़कों, नहर पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भू–भाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाए जाने चाहिए ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ वायुमण्डल भी शुद्ध हो

सके। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हरि पट्टियाँ विकसित की जानी चाहिए जिसमें ऐसे वृक्ष लगाए जायें जो चिमनियों के धूएँ से आसानी से नष्ट न हों तथा घातक गैसों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हों। पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है।

औद्योगिक इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि वायुमण्डल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखें जिसके लिये प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जायें। उद्योगों में चिमनियों की ऊँचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आस–पास कम से कम प्रदूषण हो। पेट्रोल कारों में कैटेलिटिक कनवर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार की कारों में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिये। घरों में धुआँ रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिये। जीवाष्म ईंधनों (पेट्रोलियम, कोयला), जो वायुमण्डल को प्रदूषित करते हैं, का प्रयोग कुछ कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

हमारा वायुमण्डल हमारे स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है, इस तथ्य के विपरीत हमने विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों को इस सीमा तक परिवर्तित कर दिया है जिसका परोक्ष दुष्परिणाम हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्थिति पर ध्यान न देना आत्महत्या सिद्ध होगा। अत: हम सबको मिलकर इस धरती पर प्रलयकारी परिस्थिति पैदा होने की आशंका को टालने के लिये निरंतर संघर्ष करना होगा। वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं को हम भले ही रोक तो नहीं सकते, परंतु कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपायों से कुछ हद तक पर्यावरण संरक्षण, संतुलन व विकास में योगदान कर सकते हैं।

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि जल और वायु प्रदूषण से सम्बन्धित इन कानूनों को अन्तिम रूप लेने में १० से ज्यादा साल लगे, यह तो अपने आप में नुकसानदेह रहा ही, लेकिन अब इन कानूनों के लागू करने में देरी और भी ज्यादा निराशाजनक है। वायु सम्बन्धी कानून किन राज्यों नियमों के अनुसार लागू किया जाये यही तय करने में १८ महीने बीत चुके हैं।

प्रदूषण की रोकथाम के मामले में असमान कानून, उन्हें लागू करने वाले अपंग विभाग, कुल मिलाकर उस संकल्प की कमी की ओर ही संकेत करते हैं, जिसके बिना न देश की नदियाँ साफ हो पायेंगी और न आकाश, न पीने के योग्य पानी ही मिल पायेगा और न ही सांस के लिए शुद्ध वायु।

हमारे वायुमण्डल के भीतर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर स्तर में ११ से ३५ किलोमीटर ऊँचाई तक घने आवरण के रूप में (प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर हवा में ३,००० बिलियन अणु) पाई जाती है। कम सान्द्रण में यह गैस १० से १५ किलोमीटर एवं ३० से ५० किलोमीटर ऊँचाई तक पाई जाती है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनती है एवं इसका अणुसूत्र O_3 है। ओजोन की यह परत सूर्य से आने वाली घातक पराबैगनी किरणों को अवशोषित एवं परावर्तित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। इसी आवरण को ओजोन सुरक्षा कवच कहते हैं। यहाँ पर ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैगनी किरणों के प्रभाव से होता है। ओजोन परत के बावजूद लगभग एक प्रतिशत पराबैगनी किरणें धरती पर आती हैं। यदि ओजोन परत न होती तो धरती पर जीवन न होता। वायुमण्डल में बढ़ते प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन एवं ओजोन का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका दुष्परिणाम अनेक त्वचा रोगों के रूप में मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है।

प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित है कि C-F-C- का एक अणु स्ट्रेटोस्फेयर में एक लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। ओजोन की सबसे कमी वाला क्षेत्र अण्टार्कटिका है। अण्टार्कटिका एवं दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाने वाला ओजोन छिद्र किसी क्षेत्र विशेष को नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ओजोन परत की क्षति के भयंकर कु–परिणाम हैं। अनुमान है कि ओजोन परत में एक प्रतिशत की क्षति से हुए पराबैगनी विकिरण की वृद्धि से एक वर्ष में स्किन कैंसर के मरीजों में ६ प्रतिशत की वृद्धि होती है। ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले पदार्थों का प्रयोग मुख्यत: रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक फोम, स्प्रे के द्रवों, अग्निशमन एवं इलेक्ट्रॉनिक के साल्वेंट क्लीनर के रूप में हो रहा है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन निम्न सतह पर बहुत स्थिर होते हैं। जैसे– ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत तक पहुँचते हैं, पराबैगनी किरणों से क्रिया करके हैलोजन बनाते हैं। ये मुक्त मूलक ओजोन का तीव्र क्षरण करते हैं। अत: हमें इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कम उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पौधे लगाना चाहिए।

लुप्त हो रही ओजोन परत की रक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये २ मई १९८९ में विश्व के ८० राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी थी। १९९० में एक अन्तरराष्ट्रीय बैठक में तय हुआ कि विकसित देश २००० तक 'क्लारो फ्लोरो कार्बन' का उत्पादन पूर्णत: बंद कर देंगे। विकासशील देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु १० वर्ष की छूट दी गई। ओजोन परत में छिद्र के व्यास की बढ़त को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र संपूर्ण विश्व में सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है। माण्ट्रियल प्रोटोकॉल दिनांक १६ सितम्बर १९८७ को लागू हुआ ओजोन परत में बढ़ते छिद्र की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रतिवर्ष १६ सितम्बर को 'अन्तरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस' मनाया जाता है। इन प्रयासों से अब ओजोन छिद्र के आकार में निरंतर कमी देखी जा रही है; किन्तु यह स्थिति उत्तरोत्तर सुधारात्मक होनी चाहिए।

सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी का ताप इससे टकराने वाले सूर्य विकिरणों तथा अंतरिक्ष में वापस लौट जाने वाली किरणों द्वारा नियंत्रित होता है। जब वायुमण्डल में कार्बन डाइ–ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो इस गैस की मोटी परत किरणों को परावर्तित होने से रोकती है। यह मोटी ग्रीन हाउस की काँच की दीवार तथा कार की खिड़की के काँच की भाँति होती है। यह दोनों ही गर्मी को बाहर विकिरित होने से रोकती है। इसे 'ग्रीन हाउस प्रभाव' कहते हैं। यही क्रिया प्रकृति में भी होती है। यहाँ कार्बन डाइ–ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें एक मोटी परत पृथ्वी के वातावरण में बना लेती हैं जो गलास हाउस के काँच की भाँति ही कार्य करती है अर्थात् सूर्य उष्मा जो भीतर आती है पूरी की पूरी वापस नहीं जाने पाती जिससे विश्व स्तर पर वातावरण की निचली परत में वायु का ताप बढ़ जाता है। बढ़ी हुई कार्बन डाइ–ऑक्साइड की मात्रा को समुद्रों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है परंतु औद्योगीकरण तथा ऊर्जा के अत्या– धुनिक उपयोग से समुद्री अवशोषण क्षमता की तुलना में वायु मण्डल में अधिक कार्बन डाइ–ऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। इस प्रकार वायुमण्डल में कार्बन डाइ ऑक्साइड की सांद्रता निरंतर बढ़ रही है। कार्बन डाइ ऑक्साइड पृथ्वी के ताप में ५० प्रतिशत एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में २० प्रतिशत तक की वृद्धि करती है।

कुछ अन्य गैसें जैसे सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार २०५० में पृथ्वी का ताप १ से ५ डिग्री तक बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से ध्रुवों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, साइबेरिया एवं अलास्का इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। ध्रुवीय बर्फ पिघल जायेगी। ५ डिग्री ताप वृद्धि से समुद्र स्तर में ५ मीटर की वृद्धि होगी जो सेनफ्रांसिस्को एवं शंघाई जैसे उच्च जनसंख्या वाले तटीय शहरों पर प्रभाव डालेगा।

संदर्भ

सिंह, केदार नाथ (२००२) –२१वीं सदी की वानिकी, वितरक–नटराज पब्लिशर्स।

श्रीवास्तव, मनोज (२०१०) –पर्यावरण प्रदूषण के खतरे, ग्लोबल ग्रीन्स, इलाहाबाद।

चौधरी, बी०एल० एवं प्रसाद, जीतेन्द्र (२०१३) –पर्यावरण अध्ययन, एस०एफ० पब्लिकेशन्स हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली।

जोसेफ, बेनी (२००५) –इनवायरनमेंटल स्टडीज़, टाटा मैक्ग्रॉ हिल।

पाण्डेय, तेजस्कर एवं पाण्डेय, संगीता (२००९) –भारत में सामाजिक समस्यायें, टाटा मैक्ग्रॉ हिल।

Footnotes

[1] *https://www.1hindi.com*

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,55-60**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 26 अप्रैल 2018

आजादी के ६८ साल बाद भारतीय राजनीति और लोकतंत्र

कपिलकान्त श्रीवास्तव*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *आजादी के ६८ साल बाद भारतीय राजनीति और लोकतंत्र* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र का लेखक मैं *कपिलकान्त श्रीवास्तव* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। मैंने शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

भारतीय राजनीति एवं लोकतंत्र का मुद्दा वर्षों से विचारणीय रहा है। देश में तमाम समस्यायें हैं जिनपर विचार किया जाना आवश्यक है।

आज के समय में जब देश की लगभग २० करोड़ जनसंख्या भुखमरी और देश के लगभग सोलह फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उस समय संविधान का उपयोग केवल राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए करते रहेंगे, और देश में व्याप्त असमानता और समस्याओं से इसी तरह देश की राजनीति भटकती रहेगी। किसानों की आत्महत्या, गरीबी, पर्यावरण और लोगों को अच्छे रोजगार के लिए भी देश की राजनीति कभी विचार करेगी, इन सब बातों के साथ आम जनता को भी संविधान से मिले अपने दायित्वों और अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा।[१]

यदि भारत की जनता जागरूक नहीं होगी तो अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सकेगी। आज हर तरफ सिर्फ राजनीति को लेकर टांग–खिचाई ही चल रही है। लोग राजनीति को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं।

राजनीति से घृणा करने वाले कारणों में एक कारण यह है कि सत्यता शायद ही कभी एक राजनीतिज्ञ का उद्देश्य रही हो। अधिकतर राजनीतिज्ञों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर शक्ति प्राप्त करना होता है।''[२] यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में केवल ज्ञान की बातें करके छोड़ने की बजाय इसके दायरे में इसे आजमाने तथा समझने की कोशिश करनी चाहिए।

स्पष्ट है कि शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की वह योग्यता या क्षमता है जिसके आधार पर वह अन्यों से उनकी इच्छा के न होते हुए भी अपनी इच्छाओं का पालन करवाने में सक्षम होता है। किसी भी समाज में शक्ति के विविध रूप देखे जा सकते हैं।

शक्ति का वैध रूप ही सत्ता कहलाता है अर्थात् जब शक्ति को सामाजिक मान्यता या वैधता प्राप्त हो जाती है तो वैध शक्ति या शक्ति का संस्थागत रूप सत्ता में परिवर्तित हो जाता है और इसे शक्ति की जगह 'सत्ता' कहा जाता है।

* प्रवक्ता, नागरिकशास्त्र विभाग, राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज (मॉयग) सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in

भारतीय राजनीति जब तक प्रबुद्ध लोगों के बीच एक गम्भीर चिंतन का विषय नहीं बनेगी तब तक यह सामान्य जन को भी समझ नहीं आ सकेगी।

भारतीय राजनीति को अक्सर चिंतित, व्यवसायिक, रंगीन, विवादग्रस्त, विवादास्पद, उत्तेजक आदि विभिन्न रूपों में वर्णित किया जाता है। यह सब हमेशा उस क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है जहाँ से आप चुनाव में खड़े होते हैं। जब आप किसी से भी पता करेंगे कि भारतीय राजनीति में क्या गलत है तो आपको लगभग एक अरब लोगों का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, जो अपने आप में एक कहानी बन जाता है। सही या गलत की पहचान के प्रति लोगों की जागरुकता, चिंतन शक्ति और उपस्थित, भारत में राजनीति की जीवंतता को दर्शाता है। लोग शासन के साथ राजनीति को भी भ्रमित करते हैं परन्तु यह सच्चाई नहीं है क्योंकि राजनीति का मतलब ही प्रभावी परिवर्तन है। सभी देशों और समाजों में हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और राजनीति उस बदलाव को लाने वाला एक साधन है। सामान्यता, लोगों द्वारा अभ्यास की जाने वाली राजनीति भिन्न हो सकती है और वाद–विवाद का विषय भी बन सकती है। हालांकि, यह निर्णय हमें स्वयं करना होता है कि हमें कौन और कैसे नियंत्रित कर सकता है?[३]

देखा जाय तो चुनाव पूर्व राजनीति के मुद्दों पर चर्चा हर घर में होती है किंतु मतदान में जनता की भागीदारी उतनी संतोषजनक नहीं होती है। लोगों का मानना है कि, प्रशासन, प्रशासक और अधिकारी–वर्ग के लिए है और राजनीति जनता के प्रतिनिधियों के लिए होती है। वैसे भी 'अधिकारीतंत्र' (व्यूरोक्रेसी) का शाब्दिक अर्थ अधिकारी–वर्ग की एक व्यवस्था है। १९वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में, विशेषत: जर्मनी में, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग अधिकारियों द्वारा शासित सरकार के लिए किया जाता था। कोजर तथा रोजनबर्ग ने इसको परिभाषित करते हुये कहा है कि, ''अधिकारीतंत्र को एक सोपानिक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसे बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों के अनुसरण में लगे अनेक व्यक्तियों के काम को समन्वित करने के लिए तर्कसंगत ढंग से रूपांकित किया गया है।'

लोग राजनीति में वास्तविक रूप से शामिल नहीं होते हैं, वे केवल अपनी पसंद के नेता का चुनाव करने के लिए राजनीतिक विकल्प का प्रयोग करने में लगे रहते हैं और अपने नेता का साथ देने वाले समूहों को एकत्र करते रहते हैं। राजनीति वह क्रिया होती है जो नेताओं में निर्वाचित होने से पहले और बाद में पूर्ण रूप से निहित रहती है। राजनीति के विषय में चर्चा, बहस और प्रोत्साहन के माध्यम से सर्वसम्मति को प्राप्त करने में सफल होने वाले गुण निहित हैं और जो इस आम सहमति को आगे बढ़ाने के लिए कानून और क्रियान्वयन में प्रभाव दर्शाते हैं। आखिरकार, आजादी के ६८ साल बाद भी भारतीय राजनीति और लोकतंत्र जीवित और जीवंत है। जब हम देश के भौगोलिक आकार और अपने लोगों की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली की विविधता को ध्यान में रखते हैं तब यह और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। सभी लोगों को एक साथ एकत्रित होकर अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी होनी चाहिए, जिससे लोगों को अधिक प्रसन्नता मिलती हैं। स्वतंत्रता के बाद, भारत की शायद यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिस पर गर्व किया जा सकता है।

भारत में पंचायती राज की अवधारणा पर एक नजर डालें। ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जो भारत की शासन प्रणाली से एक तिनकेभर भी समानता प्रकट कर सके। यहाँ लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है, जिससे शांति और संतुलन बना रहता है। राजनीति का सक्रिय अभ्यास बहुत ही निचले स्तर से किया जाता है और हम लोग कई वर्षों से इसे करते भी आ रहे हैं। यह सब चर्चा और बहस के माध्यम से आम सहमति को सफलता पूर्वक प्राप्त करने का साधन है। बेशक, इसमें काफी कमियाँ हैं, लेकिन तो क्या यह योजना ही नहीं है। यह सब आम सहमति के माध्यम से लोगों के लिए एक बेहतर परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है, जो इसमें शामिल है। यह सब राजनीति ही कहलाती है और भारत में पूर्णरूप से क्रियान्वित है। भारतीय राजनीति पर गलत व्याख्या करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि अब तक हमने क्या हासिल किया है। यह दोष मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन यह अब तक का सबसे अच्छा विकल्प रहा है, जिसे हमारे लिए काम कर रही राजनीति को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख साधन माना जाता है।

उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था आधुनिक समाज में राजनीतिक व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है जिसे दुनियाँ के अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। 'अब्राहम लिंकन' ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहा है कि ''लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है।'' इस तरह लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता

का शासन होता है अर्थात् सरकारी तंत्र का संचालन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं और जो अपनी नीतियों एवं कार्यों हेतु जनता के प्रति उत्तदायी होते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के निम्नांकित लक्षणों की चर्चा की जा सकती है :

१. इस व्यवस्था में सरकार का निर्माण जनता द्वारा जन–प्रतिनिधियों द्वारा होता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
२. इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों के बीच खुली प्रतिस्पर्धा होती है अर्थात् यह खुले चुनाव द्वारा सम्पन्न होता है।
३. इसमें चुनाव, वयस्क मताधिकार के आधार पर समय–समय पर सम्पन्न होते हैं।
४. इसमें नागरिक स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्ति, धर्म–पालन, संघ–निर्माण आदि की स्वतंत्रता की गारण्टी होती है।
५. इस व्यवस्था में स्वाधीन न्यायपालिका होती है।
६. इसमें जनसम्पर्क के माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता है।
७. इसमें शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था होती है; अर्थात् सरकार के तीन स्तम्भ के रूप में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

   भारत में कार्यपालिका को विधायिका के नियंत्रण में रखा गया है, अत: यहाँ पृथक्करण का सिद्धान्त कठोर रूप में लागू नहीं होता है।
८. इसमें सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने हेतु दबाव समूह को कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है।

उपर्युक्त लक्षण मुख्यतया राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है परन्तु आधुनिक युग में लोकतंत्र सरकार या राजनीतिक व्यवस्था का केवल रूप मात्र नहीं है बल्कि व्यापक और नैतिक तौर पर यह एक जीवन पद्धति है, समाज की एक व्यवस्था है, सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों का एक तरीका है, आदि। ऐसी समाजिक और राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों की गरीमा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित होती है।

बिलकुल, हम सबसे आगे आ कर कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और इसे सबसे अच्छा भी माना जाता है। ठीक है, फिर से देखो, क्या वास्तव में इस प्रणाली में प्रतिनिधित्व है? मतदान के समय, लोग विश्वास और समझ के आधार पर अपने नेता का चयन करते हैं और विकास करने का एक विकल्प बनाते हैं और वह नेता निर्वाचित होने के बाद लोगों के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व करता है। यह आदर्शवाद है लेकिन क्या यह वास्तविक सच है? क्या निर्वाचित नेता वास्तव में यह विचार करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं? या अधिकतर नेता अक्सर, अपने स्वार्थ के लिए इसके बारे में क्या चाहते है?

इस तथ्य को बहुत गहनता पूर्वक समझने पर पता चलता है कि अधिकांश भारतीय लोग अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन हैं और उनके घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह बहुत कम शिक्षित होते हैं और अपने आस–पास के मामलों के प्रति भली प्रकार जागरुकता नहीं दिखा पाते हैं। फिर भी, जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, उनमें से ९८ प्रतिशत लोग उस सरकार को चुनने के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश में भविष्य के लिए कानून बनाती है।

एक आदमी का एक वोट भी बहुत मायने रखता है। यह अच्छा है? क्या व्यापक बहुमत वास्तव में निर्णय लेने और उन नेताओं को समझने में सक्षम होता है जिन्हें वे चुनते हैं? शिक्षा और जागरूकता की कमी व निर्धनता से घिरे मतदाता, अक्सर उन नेताओं का चयन करने के लिए मजबूर होते हैं जो उनके जीवन के लिए बेहतर समाधान प्रदान कर सकें; परन्तु इसके विपरीत उनके वोटों को खरीद कर उन्हें वोट देने के लिए मजबूर किया जाता हैं। तो क्या वे नेता वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? बिहार राजनीति मनोरंजक में हमेशा सबसे आगे रहती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और वह अपने पद पर अपनी पत्नी को निष्ठा के तौर पर नियुक्त करता है, ऐसे समय में उस राजनीति की 'गुणवत्ता' पर सवाल उठाये जाते है जो कार्य उनके द्वारा किये जाते हैं। यह 'भारतीय' राजनीति हो सकती है लेकिन यह गलत ही नहीं बहुत गलत है।

राजनीति में दुरुपयोगों की सूची असंख्य है और राजनीति की 'गुणवत्ता' का अनुभव संदिग्ध है। शिक्षित समुदाय और नागरिक समाज असफलताओं से अवगत हैं जिसमें हम और आप भी हैं, लेकिन हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सवाल, मतभेद तथा बहस राजनीति और लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लोकतंत्र

और राजनीति की 'गुणवत्ता' का न्याय पार्टी के अंदर और उसके बाहर की चर्चा और मतभेदों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

भारत की उपरोक्त असहनीयता के बढ़ते स्तर को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। कांग्रेस और भाजपा जैसे पुरानी पार्टियों के साथ कुछ नए युग की पार्टियाँ जैसे आप पार्टी में भी असहनीय लक्षण दिखाए दे रहे हैं। सभी पार्टियाँ किसी ना किसी रूप में मतभेदों को खण्डन करने की दोषी हैं। जब कई पार्टियों के लोगों या उनके स्वयं की पार्टी के सदस्यों ने पूछताछ के दौरान हिंसक तरीकों का सहारा लिया हो तो यह समझना आवश्यक है कि इसमें चिंताजनक विषय क्या है? यहाँ तक कि मीडिया, जो लोगों के लिए रक्षक के रूप में कार्य करती है, उसे भी बख्शा नहीं जाता है।

राजनीति के क्षेत्र में भिन्न–भिन्न विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियाँ, परस्पर–विरोधी मानकों या आदर्शों की पुष्टि के लिए भी किया करते हैं। हमारे विचारक 'अरस्तु' ने शासन की स्थिरता पर बल देते हुए क्रांति की निंदा की थी और क्रांति को रोकने के उपाय सुझाए थे, पर वहीं 'कार्ल मार्क्स' ने मनुष्य की प्रगति के क्रांति को आवश्यक बताया।

भारतीय राजनीति में संसद और राज्य विधानसभा के साथ एक अन्य समस्या बढ़ती जा रही है, जो मंच पर–स्वतंत्र और निष्पक्ष बहस के लिए केवल एक कागज है लेकिन वास्तव में, यह लोगों के एक अत्यधिक क्रोध और आक्रामक व्यवहार को प्रकट करती है। मनमोहन सिंह के पास अन्य पार्टियों के आक्रामक राजनेताओं के खिलाफ क्या मौका है? फिर भी, दैनिक आधार पर हम लगातार चिल्लाते हुए बहस करते रहते हैं। तो क्या यह उचित है कि जिनके पास उचित भाषण देने की क्षमता नहीं है? क्या यह उनकी पूर्व योग्यता के आधार पर जाना जाता है? संसद के प्रत्येक प्रतिनिधि की आवाज समान और निष्पक्ष प्रभाव– वाली होनी चाहिए और सभी को अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। यह कहना आसान है कि जैसा व्यवहार दिखता है वह हमेशा के लगभग विपरीत है।

भारतीय राजनीति पर संपति व प्रतिष्ठा का प्रभाव, अब इन सभी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। राजनीति एक ऐसे व्यवसाय में बदल गई है, जिसमें बहुत अधिक पैसा है जिसे कानूनी ठंग से बहुत कम परन्तु निजी स्वार्थों के लिए गैर–कानूनी ठंग से बहुत अधिक कमाया जा रहा है। यह एक सार्वभौमिक घटना है जो बड़ी समस्या है। जब तक राजनीति से अवैध धन कमाया जाता रहेगा, तब तक इसे दोष मुक्त या निष्पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। अगर भारतीय लोकतंत्र की राजनीति को निष्पक्ष रूप से समृद्ध बनाना है तो राष्ट्र के लिए एक साथ आगे बढने का प्रयास करें और समझें कि इसे करना है?

यह समय, हम लोगों के पास जागरूक होने और उन नेताओं और राजनीतिक दलों पर सवाल उठाने, और उन्हें सही प्रकार से बदलने के लिए मजबूर करने का है, जिनके लिए हमारे पास वोट के रूप में एक महत्वपूर्ण अस्त्र उपलब्ध है। क्या यह नहीं है कि लोकतंत्र ही सब कुछ है? आज जिस तरह से हमारे नेता ईमानदार अफसरों और सैनिकों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि भर्त्सना के योग्य है। विडंबना है कि देश को ईमानदार कर्मचारियों, कर्तव्यनिष्ठ अफसरों व देशभक्त सैनिकों की आवश्यकता है, वहीं हमारे ये सफेदपोश नेता भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। अगर यही हाल रहा, तो अंदरुनी समस्याओं के अलावा चीन और पाकिस्तान अपने षडयंत्र में सफल होकर हमारे देश में अशांति फैला सकते हैं, जिन सबका परिणाम यह होगा कि देश का विकास थम जाएगा। आज हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो चुका है। जबकि हमारे नेता गरीबी के सच्चे–झूठे आँकड़े पेश कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति हो रही है। एक गठबन्धन सत्ता बचाने में जुटा है, तो दूसरा सत्ता हासिल करने में। लेकिन किसी के पास जनता और देश के हित में कोई नीति नहीं है।[४]

भारत सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर लोगों को अकर्मण्य बना रही है। अक्सर अर्थ, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर किसी खास वर्ग को पिछड़ा बताकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी, बिजली, मकान आदि देना, यह नहीं तो और क्या है? जब लोगों की निर्भरता सरकार पर बढ़ने लग जाती है, तो उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद सरकार का एक गुट बाकी जनता को यह कहता है कि सब हाशिये पर रह रहे लोगों के चलते हो रहा है। उसके बाद जन–कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जाती है। यह सब समाज में गैर–बराबरी और वैमनष्य को बढ़ाने जैसा ही है।[५]

चार अगस्त को 'तेजाब से जली लड़कियों को देंगे अपना खून' रिपोर्ट पढ़कर दिल को बड़ी राहत महसूस हुई। देखा जाए, तो आज ऐसे युवाओं की हमारे समाज को जरूरत है, जो पीड़िताओं के दुख–दर्द को अपना समझे। गुड़गांव में इस जीवन रक्षक संगठन की शुरुआत करने वाले सभी सदस्यों ने तेजाब पीड़िताओं के इलाज के लिए अपना खून दान में देने का निश्चय कर अपने राज्य हरियाणा के साथ–साथ इंसानियत का सिर भी ऊँचा किया है। देश के अन्य राज्यों के युवा भी इसी तरह की कोशिश करें, तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा, तेजाब हमले के खिलाफ जागरूकता की जरूरत है। सरकार के स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए। साथ ही, स्वयं सेवी संगठनों भी आपस में मिलकर काम करने होंगे।[६?]

अक्सर यह देखा गया है कि कुछ नेता कई सीटों से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में, अगर वह एक से अधिक सीटों पर जीतते हैं, तो छह महीने के अंदर उन्हें एक छोड़कर बाकी सीटें छोड़नी पड़ती है। इसके बाद खाली सीट के लिए फिर चुनाव होता है, जिसमें जनता का पैसा खर्च होता है। इसलिए यह भारतीय चुनाव प्रणाली की खामी की तरह है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आज तक के चुनावी इतिहास को देखें, तो कई सौ करोड़ रुपये इस कारण खर्च हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को नेता मानता है, तो उसे जनता का भरोसा हासिल करने के लिए एक ही जगह से खड़ा होना चाहिए। मैं सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से गुजारिश करता हूँ कि वे एक सीट से दावेदारी का प्रावधान लागू करें।[७]

देश में वर्तमान समय की बात की जाए, तो लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो गए, लेकिन संविधान ने देश– वासियों को जो दायित्व दिए थे, उनके निर्वहन से उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। आज देश में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्या जोरों से तूल पकड़ती जा रही है, लेकिन इससे समाज और देश को निजात दिलाने के लिए न तो देश की राजनीतिक पार्टियाँ अपने को आगे लाकर समाज में व्याप्त समस्या के समाधान पर गौर करती हुई दिख रही हैं, न ही वह समाज जो आजादी के पहले देश और समाज के लिए सबकुछ न्यौछावर कर देने को उतावला दिखाई पड़ता था, देश की आजादी के बाद से देश में रहने वाले नेताओं के सुर ही नहीं बदले, समाज के रहवासियों का जीने का तरीका और उनका सलीका भी बदल चुका है। देश और समाज का सत्यानाश करके उन्हें केवल स्वहितों की पड़ी रहती है।

देश के संविधान निर्माण के समय संविधान में देश और समाज के प्रति समर्पण के लिए लोगों को जो उत्तरदायित्व दिए गए थे, उनका आज हनन होने के अलावा कुछ भी नहीं हो सका है। समय और परिस्थिति में बदलाव के साथ मानव जीवन के व्यवहार और उसके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन वह भी एक दायरे में रहकर, लेकिन वर्तमान विकास की अंधी दौड़ में अपने हितों के पीछे समाज और राजनीतिक दलों की नियत पागलों की तरह होती जा रही है। उन्हें अपने हितों को साधने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है।

देश में समाज का एक तबका आज भी ऐसा है, जो गरीबी और सामाजिक परिदृश्य में व्याप्त असमानता के बीच अपने जीवन को जीने को विवश है। देश में वर्तमान समय में पूँजीवादी व्यवस्था और विकासवाद की बात की जाती है। देश में विकास की अंधीलीला जिस तरह से अपना कारवां बांधकर आगे बढ़ने को बेताब दिख रही है, उसमें संविधान में वर्णित समाज, देश और पर्यावरण व्यवस्था को चलाने के कुछ मुख्य संदर्भ काफी पीछे छूटते जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी मानी जा सकती है, लेकिन वर्तमान दौड़ में अपने को बनाए रखने के लिए देश और समाज का प्रतिष्ठावान तबका गरीबों और दलितों को दबाने में ही अपना भला समझता है।

देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश में पर्यावरण प्रदूषण की भयावह स्थिति काल के समान मुँह उठाए खड़ी नजर आ रही है, जिस पर दिल्ली के तीन मासूम जागृति दिखाते हैं, लेकिन देश की बिगड़ैल राजनीतिक व्यवस्था और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को ताक पर रखने वाला समाज इस समस्या से उत्पन्न होने वाली विकट स्थिति से अवगत होने के बावजूद या तो ध्यान देना नहीं चाहती या उसे अपने हितों के आगे ये सारी स्थितियाँ बौनी लगने लगती

हैं। देश में आजादी के सात दशक बाद भी लोगों को यह बातने की आवश्यकता महसूस की जाने लगे कि तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या उचित होगा, तो यह देश और संवैधानिक ढाँचे के प्रतिकूल ही माना जा सकता है।

आज देश में लोगों को स्वच्छता और जरूरी ज्ञान सरकारी तंत्र द्वारा दिया जा रहा है, तो यह संविधान की आत्मा और उसके उत्तरदायित्वों की हानि ही कही जानी चाहिए। आज देश में बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या व्याप्त है, लेकिन राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए संसद को केवल अपने हितों के साधने का अड्डा मानकर चल रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके जिस जनप्रतिनिधि को संसद में भेजा जाता है, वह उस संसद तक पहुँचते ही अपने सारे वादे और जिम्मेदारियों को भूलकर अपने हितों को लेकर राजनीति साधने में ही दिखाई पड़ता है। देश की आबादी में लगभग २० लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, लेकिन उनके हितों को लेकर राजनीति करता हुआ कोई भी अपने बयानों के तीर भाँजता नहीं दिखाई देता।

कुपोषण, मलेरिया और अन्य भयावह बीमारियाँ देश की आजादी के समय भी देश के लोगों को काल के मुख में समेटने को उतारू दिख रही थीं, और आज भी विकराल रूप में मुँह फैलाए नजर आ रही है, लेकिन देश इन रोगों से छुटकारा दिलाने में असमर्थ दिख रहा है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को भी मलेरिया जैसे रोगों से मुक्ति मिल गई, जिसे आर्थिक सहायता भारत ही करता है, फिर यह सवाल उठना लाजिमी हो जाता है कि आखिर यह समस्यायें किस स्तर पर व्याप्त हैं। दूसरी पंच– वर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया, उस समय फौरी राहत तो देश के गरीब और निचले तबके को मिला, लेकिन फिर उदारीकरण का दौर आते–आते देश में पूँजी बनाने की प्रक्रिया इतनी तेजी से अपने पाँव पसारने लगी कि आज गरीब और निचले तबके का मजदूर किसान आत्महत्या करने को विवश नजर आता है, और दूसरी ओर देश में पिछले पंद्रह वर्ष में हुए धन बढ़ोतरी का ६१ प्रतिशत हिस्सा केवल एक प्रतिशत लोगों के पास सिमटकर रह गया, फिर इसे किसकी नाकामी मानी जाए कि देश में इस तरीके की असमानता होने के बावजूद समय–समय पर संविधान की दुहाई देकर राजनीतिक दल अपने हितों और निजी स्वार्थ के लिए संविधान में बदलाव और किसी कड़े फैसले के आ जाने पर उसे हटाने की मांग करने की शुरुआत कर देते हैं।

संदर्भ

[१] *महेश तिवारी*
[२] *कैल थॉमस*
[3] *https://hindi.mapsofindia.com*
[४] *अकलंक जैन,* बदरपुर, नई दिल्ली
[५] *ब्रजमोहन,* पश्चिम विहार, नई दिल्ली
[६] *मोती लाल जैन,* ९९, सूर्या निकेतन, दिल्ली
[७] *राज,* बोधगया, बिहार

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,61-67**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 26 अप्रैल 2018

महिला उत्थान महत्व का विषय

बृजेन्द्र कुमार शुक्ला*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *महिला उत्थान महत्व का विषय* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र का लेखक मैं *बृजेन्द्र कुमार शुक्ला* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। मैंने शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

महिलाएँ भारतीय समाज का एक प्रमुख भाग हैं जिनके अध्ययन के बिना भारतीय समाज का अध्ययन अधूरा है। भारत में जन– गणना के आंकड़े महिलाओं का जनसंख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। जिनके अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति विद्यमान है।

हमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में समाज के पुरुष सदस्यों को शिक्षित और संवेदित करना है और उनके बीच एकजुटता और समानता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने भेदभावपूर्ण व्यवहारों को कमजोर वर्ग की ओर रोक दें। सबसे पहले हमारे घरों से सभी प्रयास शुरू होने चाहिये; जहाँ हमें किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और निर्णय लेने के समान अवसर प्रदान करके हमारे परिवार के महिला सदस्यों को सशक्त करना चाहिए। भारत शक्तिशाली राष्ट्र तभी बन सकता है जब यह वास्तव में अपनी महिलाओं को शक्ति देता है।[1]

भारत में स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया जाये तो वैदिक और उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में इन्हें लगभग पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे तथा इस रूप में उन्हें पुरूषों के अधीन न मानकर पुरूषों के समान माना जाता था; परन्तु आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में उनके अधिकारों का परिसीमन इस काल में भी दृष्टिगत होता है।

पौराणिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। यौन परिपक्वता पूर्व विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रारम्भ हो चुका था, परन्तु बौद्ध काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

हमारे शास्त्रो में कहा है जहाँ नारियों पूजी जाती है अर्थात् सम्मानित की जाती है, वहाँ देवताओं व समृद्धि का वास होता है, इसलिए हमारे यहाँ नारियों का सम्मान करना प्राचीन परम्परा है। हम माता का नाम पिता से भी पहले लेते है। माता को स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। नारी, नर की सह–भागिनी है; इसलिए प्राचीन परम्परा में हर प्रकार के कर्मकाण्ड में नारी की सह– भागिता अनिवार्य थी। कोई भी कार्य नारी के बिना सम्पन्न नहीं माना जाता था, इसीलिए नारी को अर्द्धांगिनी कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि नर, नारी के बिना अपूर्ण है। नारी पुरुष का आधा अंग है। नर–नारी मिल कर ही

* प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, जनता इण्टर कॉलेज (बेलहारी) सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in

पूर्णांङ्ग माने जायेगे, इसलिये प्राचीन काल में नारियों को शिक्षा देने का भी विधान था। प्राचीन काल में अनेक विदुषी नारियाँ भारत में पैदा हुईं। भारत कई वर्षो तक पराधीन रहा। विदेशी शासकों ने यहाँ की शिक्षा व सस्कृति को झकझोर दिया। उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नारी शिक्षा पर पड़ा। विदेशी शासकों द्वारा नारियों का शोषण होने लगा, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप बाल–विवाह का जन्म हुआ। भारतीय लोग कन्या को पढ़ाने की अपेक्षा जल्दी शादी करने में रुचि लेने लगे। इसलिए नारी शिक्षा समाप्तप्राय हो गयी।[२]

स्त्रियों को अशिक्षित रखने के दो कारण हो सकते हैं :

१. *परम्परागत कारण;* हिन्दू धर्म में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें बह्मचर्य आश्रम में प्रवेश व शिक्षा की अनुमति नहीं दी गयी है। ब्राह्मणवादी कर्मकाण्डीय व्यवस्था में भी स्त्रियों को विवाह के अलावा किसी भी संस्कार का अधिकारी नहीं माना गया है। परिवार के पितृ–सत्तात्मक स्वरूप के कारण भी सत्ता संरचना में स्त्रियों के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो पाये हैं। अनुलोम एवं कुलीन विवाह की मान्यतायें, संयुक्त परिवार व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के नियम भी स्त्रियों की स्थिति निम्न बनाने में उत्तरदायी रहे हैं।

२. *आधुनिक कारण;* आधुनिक समय में महिलाओं की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता, उनमें व्याप्त व्यापक अशिक्षा और राज्य द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिये किये जाने वाले प्रयासों की कमियों के कारण उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हो पाया है। व्यक्तिगत कानूनों के कारण आज भी महिलायें कानून के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित है। उदारीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने महिलाओं को आज उपभोग की वस्तु के रूप में प्रचारित किया है जिससे उनकी स्थिति निम्न हुई है।

शिक्षा मनुष्य को मानवता का सच्चा स्वरूप प्रदान करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशुवत् है। शास्त्रो में कहा है –'विद्या विहीनः पशुः' अर्थात् विद्या या शिक्षा से विहीन मनुष्य पशु है; इसलिये प्रत्येक मानव के लिये शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी समाज की सभ्यता व प्रगति को शिक्षा के द्वारा ही मापा जाता है। नर व नारी दोनों मिलकर–समाज का निर्माण करते हैं। नारी के बिना नर समाज अपूर्ण है। नर को शिक्षित कर नारी को पशुवत बनाना भयंकर पशुता है, इसलिए किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए नारी शिक्षा आवश्यक है। नारी–नर की प्रथम शिक्षिका व गुरु है। अपनी प्रथम शिक्षिका को ही अशिक्षित रखना घोर अज्ञानता व निपट पिछड़ेपन की निशानी है।

आधुनिक युग विकास व विज्ञान का युग है। भारत में आज भी नारी शिक्षा में लोगों की रुचि नही रह गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पूर्ण नारी समाज अशिक्षित है। बचपन से ही भारतीय परिवारों में लड़कियों से घर का काम काज लिया जाता है और लड़को को स्कूल भेजा जाता है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी आज भी अशिक्षित है। लड़कियों को पर्दे में रखना व उन्हें अधिक लज्जालू बनाना भी नारी अशिक्षा का कारण है। इसी कारण से लड़कियों को दूर के विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा सकती हैं। नारियों के लिये शिक्षा उपलब्ध न होने से भी आज की नारी अशिक्षित रह गयी है।

आधुनिक युग में प्रत्येक लड़के या लड़की को समान समझना चाहिये, इसीलिए प्रत्येक भारतीय को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिये। लड़की को बचपन से ही पुरुष की तरह प्रत्येक कार्यों में भाग लेने का मौका देना चाहिये जिससे शिक्षा सस्थाओं में जाने के लिए उनकी झिझक दूर हो जाये। लड़कियों के लिये अलग शिक्षा सस्थाओं का प्रबन्ध होना चाहिये; इसलिए हर गाँव व मुहल्लों में कन्या विद्यालयों का निर्माण किया जाये। समाज में नारी शिक्षा के महत्त्व को अधिक प्रचारित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिये, परन्तु नारी का शिक्षित होना, पुरुष से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। नारी शिक्षा का महत्त्व केवल आजीविका के लिये ही नहीं है, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में नारी का शिक्षित होना अत्यन्त अनिवार्य है। शिक्षित नारी अपनी सतान को बाल्यकाल से ही प्रगति की ओर ले जाने में सक्षम है। एक ग्रहणी के रूप में नारी घर का कुशल संचालन करने में समर्थ होती है। एक पुरुष की सह–भागिनी होने के नाते शिक्षित नारी एक योग्य व दूरदर्शी सलाहकार होती है।

भारत में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हेतु राज्य द्वारा किये गये प्रयासों को दो रूपों में देखा जा सकता है; १. संवैधानिक प्रयास तथा, २. कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गये प्रयास।

संवैधानिक प्रयास के रूप में –संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की दशा में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया था अतः संविधान में न केवल उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गये बल्कि राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में भी इसको जोड़ा

गया। अनुच्छेद –१४ के माध्यम से उन्हें 'विधि के समक्ष समानता' और 'विधियों का समान संरक्षण' प्रदान किया गया है और अनुच्छेद –१५(१) में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबन्धित किया गया। महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु विशेष प्रावधान करने का अधिकार अनुच्छेद –१५(३) के माध्यम से दिया गया। साथ ही सरकारी नियोजन में लिंग के आधार पर भेद का विरोध अनुच्छेद –१६(१) के अन्तर्गत किया गया।

कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गये प्रयास –

१. *सम्पत्ति का अधिकार;* हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम –१९५६ के तहत् हिन्दू महिलाओं को उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये; किन्तु इस अधिनियम के प्रावधान 'पुरूष श्रेष्ठता की धारणा' से प्रभावित रहे।

२. *वैवाहिक कानून;* हिन्दू विवाह अधिनियम –१९५५ के माध्यम से महिलाओं को विवाह के क्षेत्र में कई तरह की समानता प्रदान की गई। जिसने इसकी परिस्थिति–सुधार को संभव बनाया परन्तु मुस्लिम व्यक्तिगत कानून –१९३७ और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनिमय –१९३९ के तहत् मुस्लिम महिलाओं के अधिकार अभी भी सीमित हैं।

३. *संरक्षण सम्बन्धी विधान;* बच्चों ने संरक्षण के रूप में माता के अधिकार को हिन्दू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम –१९५६ और अविभावक तथा आश्रित अधिनियम –१९९० के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया है परंतु माँ का अधिकार अभी भी पिता से कम है।

इसके अलावा रोजगार सम्बन्धी विधान, सामाजिक और घरेलू उत्पीड़न सम्बन्धी विधान आदि अनेकों योजनायें हैं जो इस दिशा में प्रयास रत हैं।

...इसलिए शिक्षित नारी आजीविका भी जुटा सकती है और जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष की योग्य सहायिका सिद्ध होती है। शिक्षित नारी एक सभ्य समाज का द्योतक है। आज की नारी हर क्षेत्र मे भाग लेकर पुरुष से भी आगे पहुँच रही हैं। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये स्वयं नारियों को भी त्याग करना चाहिये। अधिकतर माताएँ अपनी पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को ही प्राथमिकता देती हैं। फलत पुत्रियाँ हतोत्साहित हो जाती हैं; इसलिए जब तक हम मानसिक रूप से स्वयं को इस योग्य न बना लें कि लड़का लड़की समान हो तब तक नारी शिक्षा का प्रसार द्रुत गति से नहीं हो सकता है।

अब महिला उत्थान को महत्व का विषय मानते हुए कई प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्ति–करण के कार्यों में तेजी भी आई है। इन्हीं प्रयासों के कारण महिलायें खुद को अब दकियानूसी जंजीरों से मुक्त करने की हिम्मत करने लगी हैं। सरकार महिला उत्थान के लिए नई–नई योजनायें बना रही हैं, कई एनजीओ भी महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं जिससे औरतें बिना किसी सहारे के हर चुनौती का सामना कर सकने के लिए तैयार हो सकती हैं।

आज की महिलाओं का काम केवल घर–गृहस्थी संभालने तक ही सीमित नहीं है, वे अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में दर्ज करा रही हैं। बिजनेस हो या पारिवार महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वे हर वह काम करके दिखा सकती हैं जो पुरुष समझते हैं कि वहाँ केवल उनका ही वर्चस्व है, अधिकार है। जैसे ही उन्हें शिक्षा मिली, उनकी समझ में वृद्धि हुई। खुद को आत्मनिर्भर बनाने की सोच और इच्छा उत्पन्न हुई। शिक्षा मिल जाने से महिलाओं ने अपने पर विश्वास करना सीखा और घर के बाहर की दुनियाँ को जीत लेने का सपना बुन लिया और किसी हद तक पूरा भी कर लिया।[३]

महिला सशक्तिकरण (उत्थान) का अर्थ है –हीनता के ढांचे, कानूनों, सम्पत्ति, अधिकारों, स्वामित्व के ढांचे और अन्य संस्थायें जो कि पुरूष प्रभुत्व को बनाये रखने या बढ़ाने में सहायक हैं, उनमें आमूल परिवर्तन किया जाये। इस नई नीति के तहत् सशक्तिकरण (महिला उत्थान) की प्रक्रिया में औरतों में संगठन निर्माण और चेतना जागरण पर जोर दिया गया जिसे और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक सेवायें प्रदान की जायेगी।

...लेकिन पुरुष अपने पुरुषत्व को कायम रख महिलाओं को हमेशा अपने से कम होने का अहसास दिलाता आया है। वह कभी उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो कभी उस पर हाथ उठाता है। समय बदल जाने के बाद भी पुरुष आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना पसंद नहीं करते, उनकी मानसिकता आज भी पहले जैसी ही है। विवाह के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब अधिकारिक तौर पर उन्हें अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का लाइसेंस मिल गया

है। शादी के बाद अगर बेटी हो गई तो वे सोचते हैं कि उसे शादी के बाद दूसरे घर जाना है तो उसे पढ़ा–लिखा कर खर्चा क्यों करना। लेकिन जब सरकार उन्हें लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं लालच देती है, तो वह उसे पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हम यह समझने लगते है कि परिवारों की मानसिकता बदल रही है।

दुर्भाग्य की बात है कि नारी सशक्तिकरण की बातें और योजनायें केवल शहरों तक ही सिमटकर रह गई हैं। एक ओर बड़े शहरों और मेट्रो सिटी में रहने वाली महिलायें शिक्षित, आर्थिक रुप से स्वतंत्र, नई सोच वाली, ऊँचे पदों पर काम करने वाली महिलाएं हैं, जो पुरुषों के अत्याचारों को किसी भी रूप में सहन नहीं करना चाहतीं। वहीं दूसरी तरफ गांवों में रहने वाली महिलाएं हैं जो ना तो अपने अधिकारों को जानती हैं और ना ही उन्हें अपनाती हैं। वे अत्याचारों और सामाजिक बंधनों की इतनी आदी हो चुकी हैं की अब उन्हें वहाँ से निकलने में डर लगता है। वे उसी को अपनी नियति समझकर बैठ गई हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आश्वासन देती है। इसके अलावा यह व्यक्ति की स्थिति, बराबरी के अवसर और गरिमा की समानता भी प्रदान करती है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान माना जाता है। हमारे संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों में महिला सशक्तिकरण की नीति अच्छी तरह से विकसित हुई है। अनुच्छेद–१४ महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद–१५(१) विशेष रूप से लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद–१५(३) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद–१६ किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। ये अधिकार मौलिक अधिकार अदालत में न्यायसंगत हैं और सरकार उसी का पालन करने के लिए बाध्य है।

कालान्तर में महिला सशक्तिकरण या महिला उत्थान के प्रयासों में गति आई और २००१ को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' घोषित किया गया। पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई ताकि महिलाओं के उत्थान और समुचित विकास के लिए आधारभूत व्यवस्थायें निर्धारित की जा सकें। इस नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :

१. देश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सह–भागिता सुनिश्चित करना।
२. महिलाओं हेतु ऐसे वातावरण निश्चित करना कि वे स्वयं सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बना सकें।
३. भेदभाव को दूर करने हेतु सामाजिक प्रक्रिया विकसित करना।
४. मानवाधिकार के उपयोग में उन्हें सक्षम बनाना।
५. समाज में समान भागीदारी हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना।
६. बालिकाओं और महिलाओं के प्रति विविध अपराधों के रूप में व्याप्त असमानता को खत्म करना।

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई; महिलाओं की आवाज़ को हर तरीके से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहारों का लक्ष्य हैं। भारत भी अछूता नहीं है।

भारत एक जटिल देश है। यहाँ सदियों से विभिन्न प्रकार की रीति–रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं का विकास हुआ है। ये रीति–रिवाज और परंपराएं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, हमारे समाज की सामूहिक चेतना का एक हिस्सा बन गई हैं। हम महिलाओं को देवी मान उनकी पूजा करते हैं; हम अपनी मां, बेटियों, बहनों, पत्नियों और अन्य महिला रिश्तेदारों या दोस्तों को भी बहुत महत्व देते हैं लेकिन साथ ही भारतीय अपने घरों के अंदर और अपने घरों के बाहर महिलाओं से किए बुरे व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध हैं।

हर धर्म हमें महिलाओं के सम्मान और शिष्टता के साथ व्यवहार करना सिखाता है। आज के आधुनिक में समाज की सोच इतनी विकसित हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कु–रीतियाँ और प्रथाएँ आदर्श बन गई हैं। जैसे सती–प्रथा, दहेज–प्रथा, परदा–प्रथा, भ्रूण–हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार; ऐसे सभी कार्यों में शारीरिक और मानसिक तत्व शामिल होते हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अभी भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण की सोच न केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनके दु:खदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केंद्रित करती है बल्कि साथ ही यह पुरुषों को महिलाओं के सम्बन्ध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति–सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था; शुरुआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतों के उदाहरण भी हैं।

सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल–विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधु, सती–प्रथा आदि से शुरू हुई हैं। महिलाओं के सामाजिक–राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्य–युगीन काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसा ही था लेकिन ब्रिटिश शासन अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में लेकर आया।

राजा राम मोहन रॉय जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने महिलाओं के खिलाफ प्रचलित भेदभाव संबंधी प्रथाओं पर सवाल खड़ा किया। अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिशों को सती–प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे आदि जैसे कई अन्य सामाजिक सुधारक ने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उदाहरण के लिए १८५६ के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवाओं की शर्तों में सुधार ईश्वर चंद्र विद्या– सागर के आंदोलन का परिणाम था। स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लगभग सभी नेताओं का मानना था कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोका जाना चाहिए और ऐसा होने के लिए भारत के संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करना सबसे उपयुक्त माना जाता था जो पुरानी शोषण प्रथाओं और परंपराओं को दूर करने में सहायता करेगा और ऐसे प्रावधान भी करेगा जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे।

अत: जरूरत है कि कुछ सुझावों और सुधारों की जिससे महिला सशक्तिकरण या हम जिसे महिला उत्थान भी कह सकते हैं; के लक्ष्य को प्राप्त करके आधी दुनियाँ की पुरूषों के समकक्ष लाया जा सके। ये सुझाव निम्न हैं :

१. परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक चरण अभी भी परिवार और समाज हैं और इसलिए पुरूष प्रधान सोच की बदलना होगा।
२. निचले स्तर पर शिक्षा को प्रसारित करके अशिक्षा रूपी बाधा को खत्म करना होगा।
३. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्यता सुजाता मनोहर का सुझाव भी व्यावहारिक है कि 'सम्मान पूर्ण जीवन के लिए महिला नेतृत्व को आगे आना होगा।
४. महिला वर्ग को मिल रही स्वतंत्रता, सुविधा एवं भागीदारी को सार्थक सिद्ध करते हेतु कदम उठाने होंगे और इसके लिए पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण बंद करना होगा क्योंकि छेड़छाड़, बलात्कार आदि का यह भी एक कारण है।
५. ७३वें, ७४वें संविधान संशोधन से ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण अवश्य हुआ है, परन्तु इन्हें प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देकर वास्तविक नेतृत्व ग्रहण करने में सक्षम बनाना अभी बाकी है।

ऐसे अनेक सुझाव हैं जो महिला उत्थान के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं।

भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न लेख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकारों की रक्षा करते हैं। महिलाओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और अन्य संवैधानिक प्रावधान कई तरह के विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।[४]

मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (१९७५), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटजीज (१९८५), बीजिंग घोषणापत्र और प्लैटफॉर्म फ़ॉर एक्शन (१९९५) तथा यूएनजीए सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज, २१वीं शताब्दी के लिए लैंगिक समानता, विकास, शांति और आगे की कार्रवाइयों को लागू करने के लिए ''बीजिंग घोषणापत्र''।[५] इन सभी को भारत के द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है। इन सभी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, कानूनों और नीतियों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अभी भी संतोषजनक रूप से सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्यायें अभी भी समाज में मौजूद हैं। महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, दहेज–प्रथा अभी भी प्रचलित है, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का अभ्यास किया जाता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अन्य जघन्य यौन अपराध बढ़ रहे हैं।

महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण तरीके से सुधार हुआ है लेकिन यह परिवर्तन केवल महानगरों या शहरी क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। अर्ध–शहरी क्षेत्रों और गांवों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं का जो भी सुधार और सशक्तिकरण हुआ है वह विशेष रूप से उनके अपने स्वयं के प्रयासों और संघर्ष के कारण हुआ है हालांकि उनके प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं। वर्ष २००१ में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया। नीति के विशिष्ट उद्देश्य हैं;

- महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक पर्यावरण का सृजन करने के लिए उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाना।
- सभी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के आनंद के लिए पर्यावरण का निर्माण करना।
- राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान पहुँच प्रदान करना।
- स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्ता की शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन आदि के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना।
- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
- सक्रिय भागीदारी और पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और समुदाय प्रथाओं को बदलना।

हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि मॉडर्नाइज़ेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। आज महिलाएं एक कुशल गृहणी से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका बेहतर तरीके से निभा रही हैं। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है।[६]

''आज देश की स्थिति/ जाने किस मोड़ पर खड़ी/ बेहया और बेशर्मी की/ कोई सीमा अब नहीं रही/ कर्म–अकर्म का मानव को/ रहता नहीं जब कुछ ज्ञान/ तभी अनागत के कुटिल चरण का/ पा सकता नहीं कुछ भान/ लूटपाट औ अनाचार ने कैसा रंग जमाया/ अपने ही हाथों ने अपने मुख कालिख लगवाया।''

''अरे बावले रहा न तुझको/ जीवन मूल्य का तनिक–सा भी यह ज्ञान/ अपनी ही माता का तू खुद ही कर रहा अपमान/ क्रूर दिमाग औ पिशाच–सा करते तुम ताण्डव नर्तन/ अनाचार ने हद कर दी ऐसा भी क्या वहशीपन। कहीं नन्हीं बालिका को नशा पिलाकर/ तो कहीं बांधकर हाथ और पैर/ फिर भी चैन न पाया ओ पागल/ अंतड़ियों को तक को दिया चीर।''

''सामूहिक बलात्कार का नग्न प्रदर्शन/ हुई न तेरे हृदय को पीर/ रूह न कांपी ओ पापी, इतने पर भी न आया चैन/ अपनी कालिमा छुपाने, कर दिया उसका बलिदान। कहीं जलाकर, कहीं तड़पाकर/ जीवन तक को भी न छोड़ा/ ओ कायर मर्दानगी वाले/ मस्तक में ये कैसा कीड़ा दौड़ा।''

''स्वर्गलोक उनको पहुँचाकर/ तू शायद मद–मस्त बना/ मुक्ति दिलाकर नव कलिकाओं को/ तू तो है उन्मुक्त हुआ। कर्म और कर्मफल/ क्या कभी पीछा छोड़ पाएंगे/ अपनी ही अग्नि में जलाकर/ तुझे भस्म कर जाएंगे।''

''हे ईश कैसी तेरी यह लीला/ अनाचार कर दिया लीन/ तूने ये क्या आंख मूंद ली/ हो किस माया के आधीन। आज यह उक्ति सार्थक सी लगती/ यद्यपि उसका अस्तित्व नहीं/ होता नंग बड़ा परमेश्वर से/ क्या यह कोई विडम्बना नहीं।''[७]

संदर्भ

[1]*http://welcomenri.com*

[2]*http://www.hindiparagraph.com*

[3]*http://hindi.webdunia.com*

[४]भारत का संविधान

[५]*मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (१९७५),* नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटजीज (१९८५), बीजिंग घोषणापत्र और प्लैटफॉर्म फ़ॉर एक्शन (१९९५) तथा यूएनजीए सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज

[6]*http://welcomenri.com*

[७]प्रवासी कविता : बेहया– डॉ० सरोज अग्रवाल

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,68-70**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 10 अप्रैल 2018

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

प्रो० अंजली श्रीवास्तव*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *ग्रामीण महिला सशक्तिकरण* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *अंजली श्रीवास्तव* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इस छपने के लिये भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

सारांश

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी भी महिला के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान से है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की राह आगे पढ़ने, आगे बढ़ने और राष्ट्रीय विकास में योगदान की दिशा में शहरी लड़कियों से भी ज्यादा मुश्किल है। उनके लिए घर से निकलना ही कठिन है, भले ही उनके माता–पिता उन्हे पढ़ाना चाहें। देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास स्त्रियों के विकास पर निर्भर करता है। जब एक महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न केवल उसका परिवार, गाँव बल्कि देश भी मजबूती पाता है।

पैलिनीथराई के शब्दो में, ''महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूष के बराबर मान्यता दी जाती है।''

लीला मीहेनडल के अनुसार, ''निडरता, सम्मान और जागरूकता यह तीनों शब्द महिला सशक्तिकरण में सहायक हैं। यदि डर से आजादी महिला सशक्तिकरण का पहला कदम है तो तेजी से न्याय मिलने से उसकी आवश्यकता पूरी हो सकेंगी। यदि महिलाओं को वास्तव में न्याय दिलाना है तो उनकी जांच–परख प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल बनाना होगा तथा अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सजा देनी होगी।''

डॉ० बी०आर० अम्बेडकर का कथन है, ''भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु असमान व्यवहार और शोषण से अवश्य डरती है।''

सन् २०११ की जनगणना के अनुसार भारत की ८३.३ करोड़ आबादी गाँवो में रहती है। इनमें से तकरीबन ४०.५९ करोड़ महिलायें हैं और इनमें से एक तिहाई युवा महिलायें हैं। इन ग्रामीण युवा लड़कियों को शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त बनाने की जरूरत है क्योंकि नये ज्ञान से लैस लड़कियाँ अपने परिवार के दृष्टिकोण

* सहायक प्राध्यापिका, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय महाराजा महाविद्यालय (सम्बद्ध महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय) छतरपुर (मध्य प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

को बदलने में क्रान्तिकारी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए ग्रामीण युवा लड़कियों का सशक्तिकरण एक प्रकार से सामाजिक बदलाव का सबसे प्रभावशाली औजार है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम् भूमिका है क्योंकि महिला के शिक्षित होने पर ही जागरूकता आएगी। महिला सशक्तिकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ८ मार्च १९७५ को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण की पहल १९८५ में महिला अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। भारत सरकार द्वारा २० मार्च २००१ को लागू की गई। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। आज चुनौती इस बात की है कि हम कैसे इन कम पढ़ी–लिखी व घर परिवार के दायरे में सिमटी ग्रामीण महिलाओं को उद्यमशीलता से जोड़कर सशक्त बना सकें। इसके लिए सार्थक पहल का माध्यम है स्वयं सहायता समूह का गठन ताकि चन्द महिनों में वे अपनी छोटी–छोटी बचतों से मिलजुलकर अपने हुनर के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करें और उनकी बिक्री से आय अर्जित कर आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बने।

ऋण के जरिए विकास वर्तमान विकास का स्वरूप बन चुका है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैक हो या राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकारें, सभी अब ऋण के जरिए विकास की पैरवी कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय स्तर पर दिए गये छोटे–छोटे ऋणों को लघु ऋण कहा जाता है। भारत में अधिकतर लघु ऋण कार्यक्रम समूहगत ढ़ांचों के जरिए क्रियान्वित किए जाते हैं, जिन्हे स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है; लेकिन यदि स्वसहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का वास्तविक माध्यम बनना है और महिलाओं को इससे लंबे समय के लिए जोड़े रखना है तो इन समूहों में शिक्षा, साक्षरता व क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। तभी यह समूह सही मायनो में इससे जुड़ने वाली सभी महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का जरिया बन सकते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की भूमिका व भागीदारी महत्वपूर्ण है। सूरज की पहली किरण के साथ ही इन ग्रामीण महिलाओं की व्यस्त दिनचर्या प्रारम्भ हो जाती है। खेतों की बुवाई में, रोग–कीट व खरपतवारों के नियंत्रण में, फसलों की सिंचाई व्यवस्था तथा फसलों की कटाई से लेकर खलिहान व गोदामों में फसलोत्पाद की संग्रहण व्यवस्था में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं। खेती के कार्यों में महिलाओं का योगदान ५५ प्रतिशत से भी अधिक है। आज देश का दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। इस उपलब्धि का श्रेय भी काफी हद तक महिलाओं को जाता है। देश की लगभग साढ़े सात करोड़ महिलाएं पशुपालन से संबंधित विविध कार्यों को सम्पादित करती हैं। पशुपालन कार्य पर तो महिलाओं का एकाधिकार है। पशुओं को चारा खिलाना, बाटा बनाना, पशुओं को नहलाना, दूध दुहना, पशु बाड़ों की सफाई करना, पशुओं की देखभाल करना आदि कार्यों में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। इसके साथ ही दूध, दही व घी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के अतिरिक्त गोबर के उपले बनाने का कार्य भी ग्रामीण महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ग्रामीण भारत में मुर्गीपालन मुख्यत: महिलाओं द्वारा प्रबंधित क्षेत्र है। इसी प्रकार छोटे कद के अन्य पशुओं के पालन में ग्रामीण महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार वानिकी क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान प्रशंसनीय है। वनोत्पादों को संग्रहीत करना, वनोत्पादों पर आधारित अनेक वस्तुएं जैसे टोकरी, पत्तल, बीड़ी, झाड़ू, रस्सी आदि बनाने का कार्य ग्रामीण महिलाएं बखूबी से करती हैं।

ग्रामीण विकास में महिलाओं की सह–भागिता व सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार महिलाओं को कृषि व पशु– पालन से संबंधित विविध नवीन तकनीक, कौशल व अद्यतन सूचनाओं के बारे में शीघ्र व सरल ढ़ंग से जानकारी उपलब्ध करा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दिल्ली के सौजन्य से 'राष्ट्रीय कृषक महिला अनुसंधान केन्द्र' उड़ीसा में स्थापित किया है। यह केन्द्र ग्रामीण महिलाओं के कौशल व दक्ष उन्नयन, खाद्य सुरक्षा व पौष्टिक आहार के लिए समुचित प्रावधान करते हुए ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधरने हेतु कृत संकल्प है। सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र भी महिलाओं को कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शिक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। देश में लगभग ५०३ कृषि विज्ञान केन्द्र समय समय पर कृषि में संलग्न महिलाओं के कौशल व दक्षता में सुधार हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक खेती व पशुपालन से

जुड़ी महिलाओं को नव विकसित प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने एवं नवीन तकनीक को अपनाने हेतु आवश्यक ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नाबार्ड स्व–सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान कर रहा है। ग्रामीण महिलाओं को सस्ती, सुगम और गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ किया। इस मिशन के तहत सभी गाँवों में स्वास्थ्य और सफाई समितियाँ गठित की गई और उप–स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए। 'आशा' और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वस्थ रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन समुचित प्रकार से कर सकें।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति २००१ में ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देने के साथ–साथ उन्हे ऊर्जा के गैर–पारंपरिक साधनों जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, धुआँ रहित चूल्हा आदि के उपयोग से अवगत कराकर सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान देने पर जोर दिया गया। ग्रामीण भारत में कृषि कार्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना' की घोषणा वर्ष २०१०–११ के बजट में १०० करोड़ रूपये की सहायता राशि के माध्यम से की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं की सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए ग्रामीण कृषक महिलाओं का सशक्तिकरण करना है जिससे उन्हें सतत कृषि कार्यों में बढ़ावा मिल सके। 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना' का कार्यान्वयन विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाओं के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से हो रहा है।

कृषि एवं पशुपालन कार्यों में संलग्न ग्रामीण महिलाएं निरक्षरता, परम्परागत बंधनों, रूढ़ियों व अन्धविश्वासों के चक्रव्यूह में जकड़ी हुई हैं। उनका अधिकांश समय कृषि, पशुपालन व अन्य पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने में ही बीत जाता है। ऐसी स्थिति में निरक्षरता, समयाभाव व रूचि का अभाव होने की वजह से ये महिलाएं उन्नत कृषि उपकरणों, नवीन कृषि तकनीक व ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाती हैं। कई बार नवीन तकनीक व विधियों की जानकारी होने के बावजूद भी महिलाएं इनका उपयोग करने की जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं हैं और इनके लाभों से वंचित रह जाती हैं।

ग्रामीण महिलाओं को अज्ञानता व निरक्षरता के जाल से निकालने में ग्रामीण शिक्षित महिलाएं व सन्निकट अवस्थित शहरी बालिकाएं, अध्यापिकाएं व पंचायतों में निर्वाचित महिला पदाधिकारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को समर्पित रूप से प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से औद्योगिक घरानों को जो सामाजिक सरोकारों के अर्न्तगत यह सोच साकार कर सकते हैं कि 'जिन्दगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिन्दगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं।'

संदर्भ सूची

कुरूक्षेत्र, अगस्त व जून २०१६
योजना पत्रिका, जून २०१७
कुरूक्षेत्र, जनवरी व अक्टूबर २०१७
दैनिक भास्कर

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777
भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,71-74**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 26 अप्रैल 2018

पॉलीथीन प्रदूषण, अम्लीय वर्षा एवं जल प्रदूषण धरती के लिए अभिशाप

कपिलकान्त श्रीवास्तव*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *पॉलीथीन प्रदूषण, अम्लीय वर्षा एवं जल प्रदूषण धरती के लिए अभिशाप* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र का लेखक मैं *कपिलकान्त श्रीवास्तव* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। मैंने शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

पर्यावरण को प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण (स्थल, जल अथवा वायुमंडल) का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह उसमें रहने वाले जीवों (या पादपों) के लिए अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध, असुरक्षित तथा संकटपूर्ण हो जाता है अथवा होने की संभावना होती है। पर्यावरण प्रदूषण सामान्यत: मनुष्य के इच्छित अथवा अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अवांक्षित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है और वह मनुष्यों, जीवों तथा पादपों के लिए अवांक्षित तथा अहितकर हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रधान वर्गों में रखा जा सकता है:— १. भौतिक प्रदूषण जैसे स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि, और २. मानवीय प्रदूषण जैसे सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, जातीय प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण आदि। सामान्य अर्थों में पर्यावरण प्रदूषण का प्रयोग भौतिक प्रदूषण के संदर्भ में किया जाता है।[१]

भूमि और प्रकृति ने मानव को आदिकाल से संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की है जिसके अन्तर्गत उसका जैविक विकास तथा जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनाधिक्य की स्थिति के परिणामस्वरूप उसके भौतिक पर्यावरण में अत्याधिक परिर्वनत हुए हैं। मानव विकास के इस आयाम में इस पर्यावरण को नष्ट किया और निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव डाले — १. पर्यावरण प्रदूषण, २. हरित गृह प्रभाव, ३. ओजोन क्षयीकरण, ४. तेजाबी वर्षा, ५. त्याज्य समस्या, ६. विश्व तापक्रम, ७. विकिरण प्रदूषण, ८. नगरीकरण, ९. गन्दी बस्तियाँ एवं १०. उग्रवाद।

आधुनिक परमाणु, औद्योगिक, श्वेत एवं हरित—क्रान्ति के युग की अनेक उपलब्धियों के साथ—साथ आज के मानव को प्रदूषण जैसी विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वायु जिसमें हम साँस लेते हैं, जल, जो जीवन का भौतिक आधार है एवं भोजन जो ऊर्जा का स्रोत है— ये सभी प्रदूषित हो गए हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक इ०पी० ओडम ने प्रदूषण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया हैं— ''प्रदूषण का तात्पर्य वायु, जल या भूमि (अर्थात् पर्यावरण) की भौतिक, रसायन या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन हैं जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक धरोहरों के लिये हानिकारक हों।''

* प्रवक्ता, नागरिकशास्त्र विभाग, राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज (मॉयग) सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in

अन्य शब्दों में कहा जा सकता है –''प्राकृतिक धरोहरों (भूमि, पेड़, जल, पौधे, खनिज) सबका विनाश करते हुए नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए, उनको भविष्य में हमारे अस्तित्व को कायम रखने हेतु, उनका समुचित ढंग से विदोहन तथा भविष्य हेतु सुरक्षित भी रखना है, तथा 'जीओ और जीने दो' के आदर्श सिद्धान्त के अनुसार पारिस्थितिकी मूल्यों को ध्यान में रखकर विनाशरहित विकास करना है, यही मानव पारिस्थितिकी का शुभ संदेश है।

कोई भी उपयोगी तत्व गलत मात्रा में गलत स्थान पर होने से वह प्रदूषक हो सकता है। उदाहरणार्थ, जीवधारियों के लिये नाइट्रोजन एवं फास्फोरस आवश्यक तत्व है। इनके उर्वरक के रूप में उपयोग से फसल–उत्पादन तो बढ़ता है किन्तु जब ये अधिक मात्रा में किसी–न–किसी तरह से नदी या झील के जल में पहुँच जाते हैं तो अत्यधिक काई पैदा होने लगती है। आवश्यकता से अधिक शैवालों के पूरे जलाशय में एवं जल–सतह पर जमा होने से जल–प्रदूषण होने की स्थिति बन जाती है। प्रदूषक सदैव व्यर्थ पदार्थ के रूप में ही नहीं होते। कभी–कभी एक स्थिति को सुधारने वाले तत्व का उपयोग दूसरी स्थिति के लिये प्रदूषणकारी हो सकता है। प्रदूषक पदार्थ प्राकृतिक इकोतंत्र से तथा मनुष्य द्वारा की जाने वाली कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं।

प्रकृति–प्रदत्त प्रदूषक पदार्थों का प्राकृतिक तरीकों से ही उपचार हो जाता है, जैसा कि पदार्थों के चक्रों में आप पढ़ चुके हैं। किन्तु मनुष्य की कृषि या औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषक पदार्थों के लिये न तो प्रकृति में कोई व्यवस्था है एवं न ही मनुष्य उसके उपचार हेतु पर्याप्त प्रयत्न कर पा रहा है। फलस्वरूप, बीसवीं सदी के इन अन्तिम वर्षों में मनुष्य को एक प्रदूषण युक्त वातावरण में रहना पड़ रहा है। यद्यपि हम वातावरण को शत–प्रतिशत प्रदूषणमुक्त तो नहीं कर सकते, किन्तु ऐसे प्रयास तो कर ही सकते हैं कि वे कम–से–कम हानिकारक हों। ऐसा करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण–संरक्षण को उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी जितनी कि अन्य भौतिक आवश्यकताओं को वह देता है।

सामान्य रूप से व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले मध्यम व उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन १२० डिग्री सेंटीग्रेड से १८० डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य पिघलता है। अत: प्रयुक्त होने के उपरांत जहाँ फेंका जाता है– वहीं अत्यंत लम्बे समय तक बने रहकर सामान्य क्रियाकलाप बाधित करता है।

प्राथमिक रूप से प्लास्टिक थैलों, प्लास्टिक फिल्म व बोतल आदि जैसे वाहकों में प्रयुक्त होने वाली पॉलीथीन सर्वप्रथम संयोगवश संश्लेषित हुई। वर्ष १८९८ में जर्मन रसायनशास्त्री हास वान पेचमान द्वारा डाइ एजोमीथेन को गर्म करते समय पॉलीएथीलीन या पॉलीथीन सर्वप्रथम संयोगवश संश्लेषित हुई। सर्वाधिक प्रयोग होने वाली प्लास्टिक उनके सहयोगियों यूजेन बामबर्गर व फ्रेडिक शीरनर ने इस वेत पदार्थ जो –CH2 - की लंबी श्रृंखला धारित करती है, को पॉलीमेथीलीन नाम दिया। पॉलीएथीलीन या पॉलीथीन का वैज्ञानिक (आइयूपीएसी) नाम पॉली ईथीन या पॉलीमेथीलीन है। इसका वार्षिक वैश्विक उत्पादन लगभग ८ करोड़ टन है। विभिन्न प्रकार के ज्ञात पॉलीएथीलीन का रासायनिक सूत्र (C2H4)nH2 है। इस प्रकार सामान्यतया पॉलीएथीलीन समान कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है जो n के मान के साथ परिवर्तित होता है। उद्योगों में व्यावहारिक रूप से प्रयुक्त होने वाली संश्लेषित पॉलीएथीलीन का आविष्कार वर्ष १९३३ में एरिक फॉसेट व रेनाल्ड गिडसन ने संयोगवश किया था।

अधिकांश एलडीपई (लो डेंसिटी पॉलीथीन, मिडिल डेंसिटी पॉलीथीन एवं हाई डेंसिटी पॉलीथीन) अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के रासायनिक प्रतिरोधक होते हैं, अर्थात् तीव्र अम्लीय या तीव्र क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पॉलीथीन, नीली ज्वाला देते हुए धीरे–धीरे जलता है। जलने पर पॉलीथीन से पैराफीन की गंध आती है। लगातार जलाने पर ज्वाला समाप्त होने पर बूँद के रूप में हो जाता है। कमरे के तापमान पर क्रिस्टल नहीं घुलते हैं। सामान्यतया टालूईन या जाईलीन जैसे ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं ट्राई क्लोरोइथेन या ट्राई क्लोरोबेंजीन जैसे क्लोरीनेट विलायक में पॉलीथीन उच्च तापमान पर घुलता है।

कम मूल्य, सहज रूप से सुलभ होने व अत्यंत उपयोगी होने के कारण पॉलीथीन का प्रयोग अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है। कागज के थैलों, कुल्हड़ों, कागज की प्लेटों का चलन पॉलीथीन का बढ़ते प्रयोग के कारण समाप्त होता जा रहा है। आसानी से उपलब्ध होने के कारण सामान क्रय करने जाते समय कपड़े का थैला ले जाने की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। पॉलीथीन की बढ़ती लोकप्रियता व प्रयोग के कारण समाज व पर्यावरण के समक्ष नई समस्यायें व चुनौतियाँ उत्पन्न

हो रही हैं, इसका मुख्य कारण पॉलीथीन का अपघटन न होना है। पॉलीथीन के अपघटन न होने से शहरों, गाँवों व यहाँ तक कि दुर्गम वन क्षेत्रों में भी प्रयोग के पश्चात फेंके गये पॉलीथीन का ढेर बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है।

प्लास्टिक थैले में मुख्यत: जाइलीन, एथीलीन ऑक्साइड एवं बेंजीन का प्रयोग होता है। यह सभी टॉक्सिक रसायन हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिये घातक हैं। भूमि पर प्लास्टिक इकट्ठा होने पर वह लंबे समय तक गलती नहीं है। प्लास्टिक से भरे स्थान पर पौधे नहीं उगते हैं तथा यह भूमि की उर्वरा शक्ति को धीरे–धीरे समाप्त करती है। प्लास्टिक के थैले में फेंकी हुई खाद्य सामग्री को खाकर गाय, बंदर एवं अन्य जीव तड़प–तड़प कर मर जाते हैं। नदियों या समुद्र के किनारे फेंकी गई पॉलीथीन थैली को खाकर मछलियाँ, डॉल्फिन, कछुए एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। पॉलीथीन थैली या प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली गैस निकलती है, जो वायुमण्डल के लिये हानिकारक है। पॉलीथीन या प्लास्टिक भूमि, जल एवं वायु तीनों के लिये अभिशाप है। धरती पर इसके गलने में ४०० वर्ष से भी अधिक का समय लगता है।

पॉलीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग रोकने या कम करने की दिशा में मात्र राजकीय प्रयास पर्याप्त नहीं है। पॉलीथीन/ प्लास्टिक का प्रयोग कम करने की दिशा में हम सहयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन के थैले का प्रयोग न करें। सब्जी लेने या अन्य किसी कार्य के लिये बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाएं।

प्लास्टिक के कप में चाय बिल्कुल न ग्रहण करें। यह स्वास्थ्य के लिये अत्यंत खतरनाक है। इसके स्थान मिट्टी के कुल्हड़ या गिलास आदि का प्रयोग करें। पॉलीथीन के थैले में भरकर कूड़ा या खाद्य पदार्थ कदापि इधर–उधर न फेंके। यदि अपरिहार्य परिस्थिति वश पॉलीथीन या प्लास्टिक फेंकना आवश्यक हो तो ऐसे स्थान पर फेंके, जहाँ से रिसाइकिल हेतु उसे एकत्रित किया जा सके। जहाँ अत्यंत आवश्यक न हो, पानी हेतु प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग न करें।

विवाह समारोह व अन्य पर्वों पर प्लास्टिक की प्लेट तथा कप के स्थान पर पत्तल, दोना तथा मिट्टी के कुल्हड़ के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाये। जहाँ अत्यंत आवश्यक हो, प्लास्टिक के विकल्प के रूप बायोडेग्रेडेबल पदार्थों से बने बैग, कप आदि का प्रयोग किया जाए, जो मिट्टी में आसानी से गल जाते हैं।

जल प्रदूषण रोकने के उपाय

जल में ठोस कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, रेडियोएक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा– कई धातुयें जैसे– मरकरी, कैडमियम एवं लेड आदि अपने साथ निकालता है। सीवेज का जल मानव तथा पशुओं के मल को अपने साथ ले जाता है जिसमें कई जीवाणु, हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया एवं यूरिक एसिड आदि मिले रहते हैं। बहुत से साबुनों से निकलने वाला पानी भी जल को प्रदूषित करता है।

निर्माण कार्य में प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि नदी में मिलकर जल प्रदूषण फैलाते हैं। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुँचाता है। अंतत: खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। नाइट्रेट तथा फॉस्फेट लवण ही साधारणतया उर्वरक के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। यह लवण वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। कच्चा पेट्रोल, कुँओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों का एक मुख्य कारण प्रदूषित जल है। अतिसार, पेचिश, हैजा श्वांस रोग, निमोनिया, त्वचा रोग एवं टायफाइयड आदि दूषित जल के प्रयोग से ही होते हैं। सूक्ष्म–जीव जल में घुले हुये ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिये अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जिसके कारण जल में रहने वाले जीव–जन्तुओं की मृत्यु हो जाती है।

औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्राय: क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, सीसा, निकिल एवं पारा आदि विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं। यदि यह जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों

को खाने के माध्यम से शरीर में पहुँच जायें तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है जिसमें अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना और श्वसन क्रिया आदि का विकार शामिल है। जब यह जल, कपड़ा धोने अथवा नहाने के लिये नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा इनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

आज हजारों जलयान एवं पेट्रोलियम टैंकर समुद्र में चल रहे हैं। ये लाखों टन पेट्रोलियम का विसरण समुद्र की सतह पर करते हैं, जो इनके लीकेज अथवा छोटी–मोटी दुर्घटनाओं से होते हैं। यह तेल मछलियों के लिये विष है और समुद्री पर्यावरण के लिये अभिशाप है। इस तेल की कुछ हानिकारक धातुएं जैसे– सीसा, निकिल अथवा कोबाल्ट आदि वनस्पतियों अथवा जीवों के माध्यम से मनुष्य तक पहुँच जाती है।[२]

मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कूड़ा–कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। नदियाँ भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे लगातार प्रदूषित कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भू–मध्य सागर में कूड़ा–कचरा डालना बंद न किया गया तो डॉलफिन और टूना जैसी सुंदर मछलियों का यह सागर शीघ्र ही इनका कब्रगाह बन जाएगा।

अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक साबुनों के बढ़ते प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। उद्योगों के कचरे को नदियों में मिलाने से पूर्व उसमें उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ, अस्पतालों एवं रासायनिक प्रयोगशालाओं के कूड़े को जल में मिलाने के स्थान पर उसे जमीन में गाड़ना चाहिए। जल संकट की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रति वर्ष २२ मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है।

अम्लीय वर्षा के अत्यंत घातक परिणाम होते हैं

यह जल, स्थल, वायु, वनस्पतियों, जीव जन्तुओं एवं इमारतों सभी को क्षति पहुँचाती है। झीलों, तालाबों नदियों आदि का जल अत्यधिक अम्लीय हो जाता है जिसे अम्ल सदमा कहते हैं। इससे पानी में रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं। झीलों, तालाबों आदि से पानी रिस कर भू–गर्भ में स्थित विभिन्न धातुओं जैसे तांबा, एल्युमिनियत, कैडमियम आदि से क्रिया करके विभिन्न जहरीले यौगिक बनाता है जो प्राणियों को प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा से त्वचा रोग तथा एलर्जी होती है। अम्लीय जल जब घरों में जस्ता, सीसा या ताम्बे के पाइपों से गुजरता है तो इस जल में धातुओं की अधिकता हो जाती है जिससे अतिसार व पेचिश जैसे रोगों की संभावना बढ़ती है। इससे दमा तथा कैंसर का भय होता है।

इससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है। इससे पौधों की वृद्धि में कमी आती है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित का विघटन हो जाता है जिससे पत्तियों का रंग परिवणतत हो जाता है। पौधों की पत्तियाँ, पुष्प एवं फल असमय झड़ जाते हैं। प्राचीन इमारतों का क्षरण होता है जिसे ''स्टोन कैंसर'' कहते हैं। अम्लीय वर्षा से स्वीडन की बीस हजार झीलों की मछलियाँ मर गई। जर्मनी के जंगलों को अम्लीय वर्षा से अपार क्षति पहुँची है। अम्लीय वर्षा को नियत्रिंत करने के लिये सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के प्रयोग में कमी लाना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

[1]*https://sites.google.com*

[२]महेन्द्र प्रताप सिंह –*प्रमुख वन संरक्षक,* उत्तर प्रदेश

स्रोत

पर्यावरण विज्ञान
पर्यावरण अध्ययन
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
पर्यावरणीय अध्ययन, एनसीईआरटी

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008 भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2018-19) **12 एवं 13,75-78**
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777 प्रकाशनार्थ स्वीकृत 25 अप्रैल 2018

योग : स्वास्थ्य और कल्याण का सही मार्ग

अर्चना देवी* एवं डॉ0 प्रियदर्शिनी तिवारी**

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *योग : स्वास्थ्य और कल्याण का सही मार्ग* शीर्षक लेख/ शोध प्रपत्र की लेखक अर्चना देवी एवं प्रियदर्शिनी तिवारी घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख/ शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं। यह लेख/ शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं हमने इसे छपने के लिये भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध प्रपत्र आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

योग, अत्यन्त सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक अध्यात्मिक अनुशासन है, जो मन और शरीर के माध्यम समरसता स्थापित करने पर केन्द्रित है। यह स्वस्थ्य जीवन जीने की कला एवं विज्ञान दोनों है। योग का यह समग्र दृष्टिकोण भली–भांति स्थापित है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सांमजस्य लाता है।

योग की उत्पत्ति एवं विकास

योग विज्ञान का जन्म हजारों वर्ष पूर्व प्रथम धर्म या आस्था पद्धति के प्रादूर्भाव से भी पहले हुआ था। योग शास्त्र के अनुसार शिव को प्रथम योगी या आदि योगी माना जाता है। उन्हें ही योग का प्रथम आदिगुरू कहाँ जाता है। कई हजार वर्ष पूर्व, हिमालय में कांटिसरोवर के तट पर आदियोगी शिव ने यह परम ज्ञान सप्तऋषियों को प्रदान किया। ये सप्तऋषियों ने प्रभावशाली योग विज्ञान लेकर एशिया, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रीका आदि सहित विश्व के कई हिस्सों में गये। हालांकि यह योग पद्धति भारत में ही अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में पायी गयी थी।

सिन्धु–सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों और जीवाष्म अवशेषों में योग साधना का प्रदर्शन करने वाले चित्रों एवं आकृतियों की संख्या प्राचीन भारत में योग की उपस्थिती का संकेत देती है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल से किया जा रहा है, महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग, इसके अर्थ और इसके सम्बन्धित ज्ञान की उस समय मौजूद प्रभाओं को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। पतंजलि के योगसूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था है– 'योगश्चित्तवृत्ति– निरोधः।'[१]

योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'यूजिर योगे' धातु से होती है। जिसका अर्थ है– 'सम्मिलित होना या एकीकरण होना।'[२]

* शोध छात्रा, विकृति विज्ञान विभाग (आयुर्वेद संकाय), आई0एम0एस0, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) भारत
** असिस्टेंट प्रोफेसर, विकृति विज्ञान विभाग (आयुर्वेद संकाय), आई0एम0एस0, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक २०१८-१९, एम०पी०ए०एस०वी०ओ० मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

एकीकरण में अर्थ – १. जीवात्मा एवं परमात्मा का एकीकरण, २. शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा अध्यात्मिक पक्षों में एकीकरण, ३. व्यक्ति और समाज के प्रति एकीकरण।

भगवद् गीता में – विभिन्न सन्दर्भो में वर्णन आया है– १. योगः कर्मसु कौशलम्, २. दुःखः संयोगवियोग योगसंज्ञितम् ३. समत्वं योगमुच्यते।[३] महर्षि पंतजलि के बाद अनेक ऋषियों और योगाचार्यों ने उनकी भली–भाँति प्रलेखित पद्धतियों एवं साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

आजकल सभी लोगों में अपने स्वास्थ्य निवारण एवं संरक्षण सम्वर्धन के लिए योग पद्धतियों में दृढ़ आस्था है, जिसे प्राचीनकाल से अब तक महान प्रख्यात योगाचार्यो द्वारा संरक्षित एवं उन्नत किया गया है।

योग का विकास परम्पराओं उद्भव वंशावलियों, दर्शन के मार्ग से हठ योग, मंत्र योग, राज योग, जैन एवं बौद्ध आदि योग शामिल है। योग के चरम लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग के प्रत्येक शाखा के अपने सिद्धान्त और पद्धतियाँ है।

योग का प्रयोजन

''योग अत्यन्त सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक अध्यात्मिक अनुशासन है, जो मन एवं शरीर पर समरसता स्थापित करने पर केन्द्रित है। यह स्वस्थ जीवन जीने की कला विज्ञान दोनों है।''[४]

व्यापक रूप से की जाने वाली क्रियायें अष्टांग योग है। योग का तात्पर्य – संयमादि का अनुपालन करना। योग के निम्न प्रयोजन है :

१. *समाजिक रीतिरिवाज और अनुष्ठान;* समाज के कल्याण में योग की महनीय भूमिका होती है। *मनुष्य सामाजिक सम्बन्धों का जाल है।* समाज में रीतियों प्रथाओं का निर्माण करता है जब मनोसंवेग व्यक्ति उत्तम समाज स्थापित करता है, जो कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है।

२. *वैचारिक पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता;* योग के नियमों का विचारों पर अति गम्भीर प्रभाव पड़ता है। व्यापक रूप से की जाने वाली योग साधनाएँ (आचरण) है। अष्टांग योग के माध्यम से समाज में सहिष्णुता स्थापित की जाती है। मानव जीवन में यम से संयम है, और नियम का अनुपालन है। उन्हें योग साधना की पहली सोपान कहा जाता है, मानव शरीर एवं मन पर संयम प्राप्त कर विचारो प्रतिलेखियों के प्रति प्रेम स्थापित करना है जो राष्ट्र के निर्माण एवं कल्याण की भावना जागृत करता हैं।

३. *सभी जीवों के प्रति करूणा का दृष्टिकोण;* करूणा का भाव दया एवं आर्द्रता से है। *आर्तेषु कारूण्यं/ मैत्रीकारूण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरूपेक्षणम्। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधा।*[५] (चरकसूत्र ९:२६)

मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुखः पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्[६]

योग मन–मस्तिष्क के प्रति जागरूकता विकसित करने और उन पर नियन्त्रण पाने में सहायता करता है। जो मनोविकार पर नियन्त्रण प्राप्त करने के पश्चात् सभी मानव जगत में एकीकरण का भाव जागृत होता है। सभी राग एवं रंगों की योग साधना के सार्थक जीवन निर्वाह के लिए रामबाण माना जाता है। जो समाजिक एवं व्यक्तिगत व्यापक स्वास्थ्य का सही मार्ग का अनुसरण करता है।

४. *जीवन शैली में योग;* जीवन शैली लोगों के जीने का तरीका है और इसका व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति पर जबरजस्त प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भिक जीवन में ही स्वस्थ जीवन जीने की सलाह दी जाती है। यथा– अमीरों में मोटापे की समस्या की, मधुमेह, योग सबसे उत्तम शैली मापोक (माड्यूल) है क्योंकि यह अपने आप में व्यापक एवं समग्र प्रकृति का है। विभिन्न योग : क्रियाओं के अभ्यास से तनाव की धारणा को समान्य बनाकर, इसकी प्रतिक्रिया के अनुकूल कर, मन में दबे तनाव को मुक्त करके प्रभावी तरीको से प्राप्त किया जा सकता है। योग आज अपनी चिकित्सकीय शाखा की वजह से लोकप्रिय है और दुनियाभर में इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा एवं कल्याण की विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सको द्वारा पूरक चिकित्सा के रूप में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

चिकित्सा के रूप में योग

योग सिद्धान्तों और पद्धतियों का उपचार के लिए प्रयोग 'योग चिकित्सा' कहलाता है। यदि हम उपनिषद्, गीता, योगसूत्र, प्राचीन हठ योग, ग्रन्थों या अन्य योग ग्रन्थों जैसे विभिन्न सन्दर्भों की जाँच करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा योग मन इसकी विभिन्न शाखाओं की स्वतन्त्रता के लिए निहित एक अनुशासन है। मन जो अनुभूति का एक साधन है हालांकि महर्षि पंतजलि

के योगसूत्र में रोगों से सीधे निपटने के उपकरण नहीं दिये लेकिन व्याधि शब्द का उल्लेख बाधाओं के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ बिमारी है। (अध्याय सूत्र ३०)

'योग याज्ञवल्क्य','योग रहस्य' जैसे योग ग्रन्थों में इसके प्रत्यक्ष सन्दर्भ में भी उपलब्ध है, जो दिखाते है कि कैसे क्रियाओं, आसनों, प्राणायाम और मुद्राओं के द्वारा रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में योग चिकित्सा का अभ्यास वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के रूप में हो रहा है। योगाभ्यास से कई अन्य लाभ जैसे रक्तचाप, हृदय सम्बन्धित रोग योग के माध्यम से लाभांन्वित है। वर्तमान समय में चिकित्सा अनुसंधान भी लाखों चिकित्सकों के अनुभव की प्रतिपुष्टि करते है कि योग अनेकों प्रकार के विकारों कों लाभ प्रदान करता है।

योग और आयुर्वेद

योग एवं आयुर्वेद दोनों ही अत्यन्त प्राचीन विधायें हैं। दोनों का विकास और प्रयोग समान उद्देश्य के लिए एक काल एवं एक देश में हुआ।

आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेद। (चरकसूत्र – ३० : २०)

आयुर्वेद – (आयु = जीवन, वेद = ज्ञान या विज्ञान)

आयुर्वेद की संहिताएँ शारीरिक रोगों के लक्षण एवं उनकी चिकित्सा के साथ–साथ मनो अध्यात्मिक भावों का भी विवेचन करती है।[७]

मनोवाक्कायदोषाणां हर्त्रेऽहिपतये नः (चक्रपाणी)

योग एवं आयुर्वेद सायुज्म बहनें हैं दोनों की उत्पति वैदिक ज्ञान की एक महान प्रणाली के रूप में हुई है। योग और आयुर्वेद दोनों त्रिगुण (सत्व, रज, तम) पंचमहाभूत (पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश) के सिद्धान्तों पर आधारित है। योग और आयुर्वेद दोनों ही शरीर की कार्यप्रणाली है, जो भोजन एवं औषधियों के शरीर पर (रस–वीर्य–पाचन–ऊर्जा) के प्रभाव की अवधारणा के चक्र पर आधारित है। योग एवं आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं और समग्र प्रकृति के होते है। दोनों में शारीरिक स्वास्थ्य की समान समझ होत है कि यह स्वास्थ्य एवं मन के सन्तुलन पर निर्भर होते हैं। आयुर्वेद योग की तत्वमीमांसा और रोगी के समग्र उपचार के लिए योग पद्धतियों का सबसे अच्छा उपयोग करता है। आयुर्वेद शारीरिक एवं मानसिक उपचार में वनस्पतियो, शरीर शुद्ध प्रक्रियाओं, भोजन और मन्त्र जाप के साथ ही आसन प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं के नियमित अभ्यास की उपदेश देता है। अधिक महत्त्वपूर्ण की बात यह है कि जीवन शैली के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुये दोनों पद्धतियों ने उचित आहार, औषधि, वनस्पतियों, पंचकर्म, योगासन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से जीवन के चतुर्थ पुरूषार्थ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने का महत्व बताया। अन्तर बस इतना है कि आयुर्वेद जहाँ मनुष्य के सम्पूर्ण लाभ जो कि चतुवर्ग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के रूप में बताता है, वही योग मनुष्य के मनो अध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करता है।

योग की क्रिया–प्रणाली

योग एक एकीकृत मन शरीर औषधी के रूप में कार्य करता है। मन को सकारात्मक रूप से गतिविधियों पर केन्द्रित करें।[८] यह ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है, जिसका परिणाम शरीर के विभिन्न भागों और अंगो में ऊर्जा के स्वस्थ संचालन के रूप में होता है। जहाँ मन जाता है वही प्राण प्रवाहित होता है। यह शान्त आन्तरिक वातावरण उत्पन्न करता है जो समस्थिति सामान्य बनाये रखने का सामर्थ्य देता है। जिमसें हमें अपने जीवन काल के दौरान आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। सकारात्मक स्वास्थ्य की यह अवधारणा आधुनिक स्वास्थ्य के लिए योग का एक अद्वितीय योगदान है। क्योंकि हमारी जन–मानव की सेवाओं में निवारक और प्रोत्साहन दोनों के रूप में योग की भूमिका है।

निष्कर्ष

वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक चिकित्सा का प्रभुत्व है। औषधियों का मूल्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। वही मानव को सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं एवं कल्याण की आवश्यकता है। योग के माध्यम से मानव जीवन सरल एवं सुलभ हो सकता है। आज की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन के लोकप्रियता की ओर अग्रसर है हालांकि नई तकनीकों का विकास रिकार्ड द्रुततर गति से हो रहा है, लेकिन वह बहुत महँगे होने की वजह से बड़ी आबादी की पहुँच से बाहर है। इसकी वजह से समग्र मानवीय बिमारी गैर कर संचारी रोग के उपचार और रोकथाम के लिए पूरक और तरीको की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करने के मजबूत सार्वजनिक इच्छा दिखायी देती है।

वर्तमान परिदृश्य में योग स्वास्थ्य सेवा की सबसे उपयुक्त सराहनीय और पारंपरिक प्रणाली साबित हो रही है।

Footnotes

[१]*पातंजल योगदर्शन* –स्वामी श्री ब्रह्मलीनमुनि, प्रकाशन –चौखम्भा प्रकाशन, संस्करण : सप्तम –समाधिपाद

[२]स्वस्थवृत्त विज्ञान –प्रो० रामहर्ष सिंह, प्रकाशक – चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, संस्करण–२००९

[३]*श्रीमद्भगवद्गीता (साधक संजीवनी) १–२,* प्रकाशन, स्वामी रामसुख, गीताप्रेस, गोरखपुर।

[४]पावन परम्परा (पत्रिका) –डॉ० विनोद कुमार सिंह, संस्करण–२०१५

[५]*चरकसंहिता* –डॉ० लक्ष्मीधर द्विवदी, प्रकाशक– चौखम्भा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, संस्करण, २००७, चरक सूत्र ३०: २२

[६]वही

[७]स्वस्थवृत्त विज्ञान – प्रो० रामहर्ष सिंह, प्रकाशक – चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, संस्करण–२००९

[८]*योजना पत्रिका,* ईश्वर वीवासव रेड्डी, संस्करण–२०१५, पृष्ठ संख्या १२

लेखकों के लिए निर्देश

शोधपत्र का अनुरोध

लेखक अपना शोधपत्र डॉ. मनीषा शुक्ला ,प्रधान सम्पादिका आन्वीक्षिकी भारतीय शोध पत्रिका को ई-मेल पर प्रेषित करें। (maneeshashukla76@rediffmail.com)

प्राप्त शोधपत्र पत्रिका में प्रकाशन के पूर्व पुनर्निरीक्षित किये जायेंगे। स्वीकृत शोधपत्र कहीं और प्रकाशित नहीं होना चाहिए और न ही उस शोधपत्र का कोई भी भाग प्रधान सम्पादिका के अनुमति के बिना कहीं और प्रकाशित किया जा सकता है। कृपया अपने शोधपत्र की पाण्डुलिपि निम्न भागों में तैयार करें, शीर्षक ;सारांश ;पाण्डुलिपि ;पुस्तक संदर्भ सूची। कृपया पुनर्निरीक्षण की गुणवत्ता में सहायता करने हेतु अपना नाम पता पाण्डुलिपि पर न दें।

शीर्षक : शीर्षक पाण्डुलिपि पर अवश्य दें, किन्तु अपना पूरा नाम, पता, संस्था जहाँ पर अध्ययन अथवा अध्यापन कार्य सम्पादित किया गया हो, आपका विषय, दूरभाष अथवा मोबाइल, फैक्स, ई-मेल पत्राचार हेतु अलग पृष्ठ पर अवश्य दें। उपर्युक्त तथ्य आपके शोधपत्र के शब्द सीमा के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

सारांश : कृपया शोधपत्र का सारांश 120 शब्दों में दें।

पाण्डुलिपि : इसके अन्तर्गत मुख्य पाठ्य सामग्री होगी ; जो 5 से 10 पृष्ठ तक होनी चाहिये। शोधपत्र 10 पृष्ठ से (सारांश, शब्द संक्षेप, संदर्भ सूची समेत) अधिक प्रकाशन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। अन्यथा वृहद् शोधपत्र (10 पृष्ठ से अधिक) प्रकाशन में देर भी हो सकती है। लेखक को यह बात स्वीकार होनी चाहिए कि शोधपत्र पुनर्निरीक्षण के दौरान किये गये संशोधन उन्हें मान्य होंगे। शोधपत्र प्रकाशन के दौरान त्रुटि की सम्भावना न बने इसका पूरा ध्यान रखा जाता है फिर भी कोई त्रुटि पाये जाने पर लेखक संशोधित रीप्रिंट प्राप्त कर सकता है ; पत्रिका में संशोधन की व्यवस्था नहीं है।

सन्दर्भ वर्णमालाक्रमानुसार : शोधपत्र के समापन पर कृपया संदर्भ वर्णमाला क्रमानुसार दें। पत्रिका का वर्ष, लेखक, पृष्ठ संख्या, भाग इत्यादि विस्तार से दें। पुस्तक शीर्षक या पत्रिका शीर्षक इटालिक दें।

पुस्तक : प्रकाशक का नाम, संस्करण संख्या, प्रकाशन वर्ष, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, पृष्ठ संख्या

पत्रिका : पत्रिका का नाम, लेख का शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, अंक संख्या/माह, वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा मासिक जो भी हो स्पष्ट करें।

समाचार पत्र : प्रकाशक, तिथि, सन् , पृष्ठ संख्या,

इण्टरनेट : वेबसाइड, पृष्ठ संख्या, मुख्य शीर्षक, अन्त: शीर्षक।

मानचित्र एवं सारणी : मानचित्र एवं सारणी अथवा चित्र शोधपत्र की समाप्ति के अन्त में दें। यह ब्लैक एण्ड व्हाइट ही होना चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत पाण्डुलिपि में दें (उदाहरण सारणी संख्या 1)

विशेष : कृपया अपना शोधपत्र ई-मेल करने के बाद डॉक से अवश्य भेजें। अपने शोधपत्र के साथ-साथ अपना बायोडाटा, फोटो, स्वपता लिखा लिफाफा (25 रू के टिकट सहित) भेजें। शोधपत्र यदि हिन्दी भाषा में है तो ए.पी.एस प्रियंका रोमन (ए.पी.एस. कार्पोरेट 2000++) में तैयार सी.डी के साथ दें। शोधपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लेखक को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। ई-मेल से प्राप्त शोधपत्र हेतु ई-मेल से स्वीकृति भेजी जायेगी। शोधपत्र प्रेषित करने के पूर्व प्रधान सम्पादिका से दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करें। सम्पादक मण्डल अथवा सलाहकार समिति में सम्मिलित करने का अंतिम निर्णय संस्था का होगा।

सदस्यों से निवेदन है कि वर्ष में 20 सदस्य पत्रिका से जोड़कर संस्था का सहयोग करें।

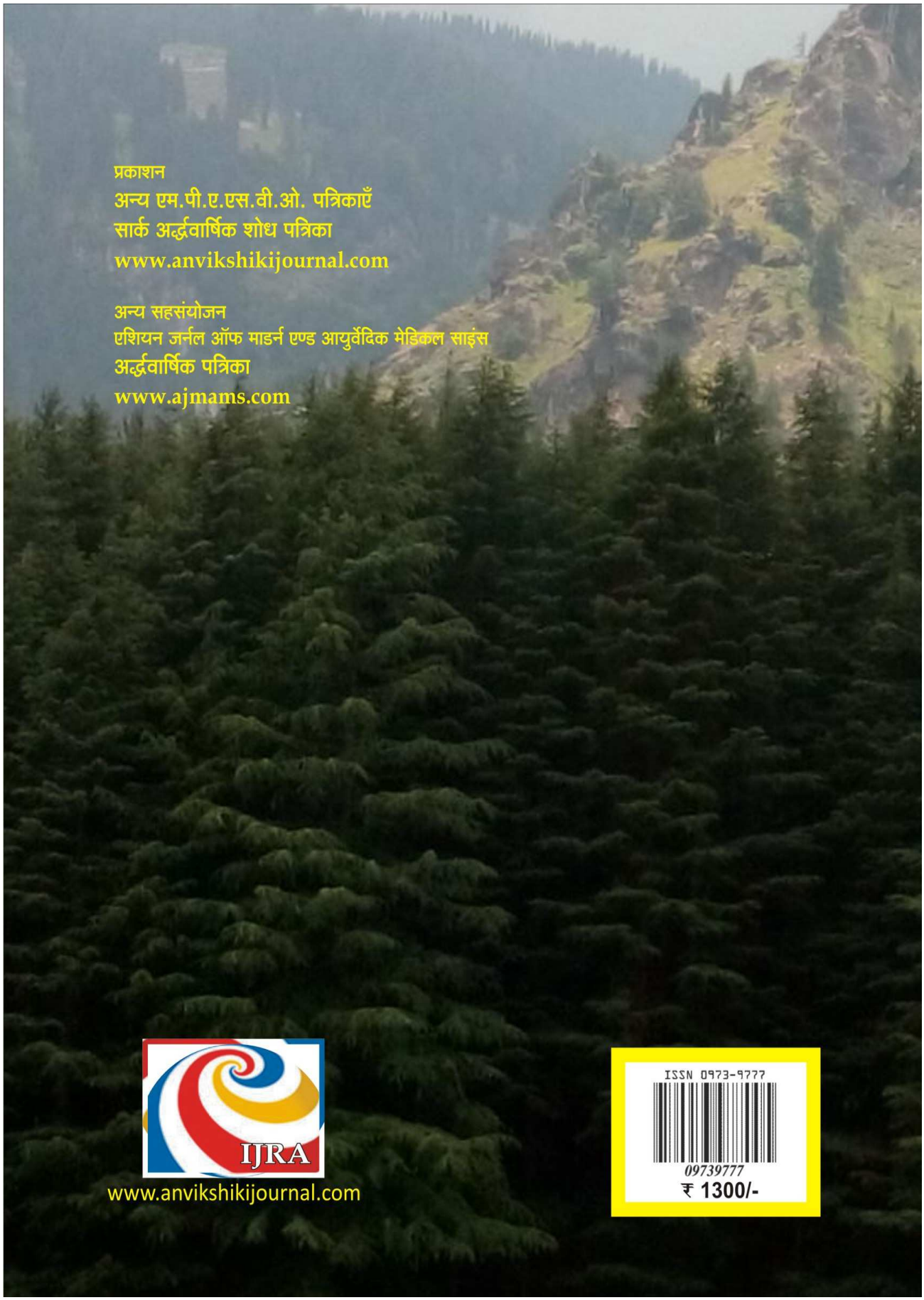
प्रकाशन
अन्य एम.पी.ए.एस.वी.ओ. पत्रिकाएँ
सार्क अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका
www.anvikshikijournal.com
अन्य सहसंयोजन
एशियन जर्नल ऑफ माडर्न एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस
अर्द्धवार्षिक पत्रिका
www.ajmams.com
IJRA
www.anvikshikijournal.com
ISSN 0973-9777
09739777
₹ 1300/-